रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 58] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 1992/चैत्र 11, 1914
No. 58] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 1992/CHAITRA 11, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मन्त्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 1—आई टी सी (पी एन)/92—97

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1992

विषय :—अप्रैल, 1992 मार्च, 1997 के लिए निर्यात एवं आयात नीति

फाइल सं. आई पी सी/4/5(244)/92-93:—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध—1 में दी गई निर्यात एवं आयात नीति एतद्द्वारा अधिसूचित की जाती है। यह 1 अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी और पांच वर्षों की अवधि अर्थात 31 मार्च, 1997 तक प्रभावी रहेगी।

2. प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1 और 2) 1990—93 में निर्धारित प्रक्रिया (वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2—आई टी सी (पी एन)/90—93 दिनांक 30 मार्च, 1990 के तहत जारी) और आयात एवं निर्यात नीति (खण्ड 1 और 2) 1990—93 (वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1—आई टी सी (पी एन)/90—93 दिनांक 30 मार्च, 1990 और संख्या 19—आई टी सी (पी एन)/90, दिनांक 30 मार्च) में दी गई अनुसार प्रक्रिया और अन्य विवरण के साथ निर्यात एवं आयात नीति, 1992—97 के प्रावधानों सहित लागू रहेगी और इन्हें इस नीति के तहत बनाई गई, जारी की गई सम्पन्न की गई मसझी जाएगी।।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

प्रामुख

मुझे नई निर्यात एवं आयात नीति को प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है जो प्रथम अप्रैल, 1992 से प्रभावी होगी। स्थाई नीतियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई नीति 5 वर्ष अर्थात् आठवीं पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि के लिये प्रभावी रहेगी। नई नीति वर्तमान आयात निर्यात नीति (1990—93) का स्थान लेगी।

इसे व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया है कि व्यापार केवल वास्तविक स्वतन्त्र प्रणाली के अन्तर्गत ही पनप सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा व्यापार नीति में 4 जुलाई, 1991 एवं 13 अगस्त, 1991 को व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की गई थी। नई नीति व्यापार नीति सुधारों द्वारा निर्धारित दिशा को सुदृढ़ बनाएगी यह नीति औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियों में किये गये परिवर्तनों की भी पूरक होगी।

नई नीति की आधारभूत विशेषता इसका उदारीकरण होना है। इसमें लाइसेंसिंग, मात्रिक प्रतिबन्धों और अन्य विनियमन व दण्ड-विधान नियंत्रणों से स्थाई तौर पर मुक्ति दिलाई गई है। दो प्रतिबन्धात्मक सूचियों को छोड़कर किसी भी मद का आयात एवं निर्यात मुक्त रूप से किया जा सकता है। आयात की प्रतिबन्धात्मक सूची व निर्यात की प्रतिबन्धात्मक सूची कतिपय मदों के आयात और निर्यात को प्रतिबन्धित करती है। वर्तमान परिस्थितियों में इन सूचियों को यथासंभव छोटा रखा गया है। सरकार की यह नीति है कि ज्यों ही निर्यात परिवेश प्राप्त कर लिया तथा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी, इन सूचियों में समय-समय पर कमी कर दी जायेगी।

निषेधात्मक सूचियों में सम्मिलित मदों पर लोक नीति के आधार पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। सरणीकृत मदों का व्यापार साधारणतया केवल नामित एजेंसियों के द्वारा ही किया जायेगा, तथापि, केन्द्र सरकार सरणीबद्ध मदों के आयात या निर्यात के लिये किसी अन्य को भी लाइसेंस दे सकती है। सरणीबद्ध मदों की संख्या में काफी हद तक कमी की गई है, तथा सरणीकरण कतिपय पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, खाद्य तेलों, अनाजों और कुछ अन्य मदों तक ही सीमित रह गया है। कुछ अन्य मदों को भी प्रतिबन्धात्मक सूचियों में सम्मिलित किया गया है तथा उन्हें लाइसेंसिंग, पंजीकरण, सीलिंग सीमा आदि प्रतिबन्धों के अन्तर्गत रखा गया है। उपभोज्य एवं स्थायी माल पर यथापूर्व प्रतिबन्ध जारी रहेगा। ये प्रतिबन्ध आर्थिक कारणों के साथ-साथ, सुरक्षा, बचाव, पर्यावरण, रोजगार तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से आवश्यक समझे गये हैं। निषेधात्मक सूचियों में सम्मिलित कतिपय मदों के सम्बन्ध में आयात अथवा निर्यात की शर्तें इस आशय के लिये जारी सार्वजनिक सूचनाओं के द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी ताकि विशिष्ट मामलों में लाइसेंसिंग से बचा जा सके। जब भी कोई प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी तो यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखा जायेगा कि प्रतिबन्ध अनुपालन एवं प्रशासन दोनों के लिये ही आसान और सरल हों।

नीति में निर्यात के प्रति सुस्पष्ट झुकाव है तथा निर्यात के लिये अभिमुख विशेष स्कीमों को सुदृढ़ किया गया है।

शुल्क मुक्त स्कीमों के कार्यक्षेत्र को मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों के अतिरिक्त मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों को आरम्भ करके और विस्तृत कर दिया गया है। इससे निर्यातक को पूर्ण रूप से मूल्य सीमा तथा मात्रिक प्रतिबन्धों के बिना अतिसंवेदशील माल को छोड़कर, माल का आयात निर्यात करने के लिये अधिक नम्यता प्राप्त होगी। अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अन्तर्गत निर्यात सदन, व्यापार सदन तथा स्टार व्यापार सदन स्व-प्रमाणीकरण की सुविधा के पात्र होंगे। बाद में कुछ विशिष्टीकृत उत्पादों के निर्यात को भी स्व-प्रमाणीकरण स्कीम के अन्तर्गत लाया जायेगा।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम (ई. पी. सी. जी.) को उदार बनाया गया है तथा तदनुरूप निर्यात आभार के साथ पूंजीगत माल का आयात 25% या 15% सीमाशुल्क की रियायती दरों पर इस तरह से दो प्रकार से उपलब्ध रहेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत नये पुराने दोनों पूंजीगत माल का अवयवों का आयात किया जा सकता है। पूंजीगत माल के घरेलू विनिर्माता जिन्हें संघटकों का आयात करना अपेक्षित है, लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 15% सीमाशुल्क का रियायती दरों का भुगतान करके निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम चयन कर सकता है।

रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन स्कीमें मामूली आशोधनों के साथ जारी रहेंगी।

व्यापार नीति सुधारों में, निर्यात अभिमुख यूनिटों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को अधिक स्वायत्तता एवं नम्यता दी गई थी। नई नीति के अन्तर्गत उन्हें केवल अपनी मशीनरी ही नहीं बल्कि पट्टे पर ली गई मशीनरी को लगाने की भी अनुमति दी गई है। वे अपने उत्पादन को निर्यात सदनों, व्यापार सदनों, या स्टार व्यापार सदनों के माध्यम से भी निर्यात कर सकते है।

निर्यात सदनों, व्यापार सदनों तथा स्टार व्यापार सदनों की निर्णयिक भूमिका को दोहराया गया है।

निर्यात संवर्धन परिषदों (ई. पी. सी.) ने निर्यात के संवर्धन हेतु प्रमुख भूमिका निभाई है। नई नीति में उनकी भूमिका को मान्यता दी गई है। नई नीति के अन्तर्गत लाभ अथवा रियायत अथवा कोई भी लाइसेंस प्राप्त करने के लिये किसी भी आयातक/निर्यातक के लिये निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी पंजीकरण-सह-पदस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्य अपेक्षा बनी रहेगी।

अभिग्रहीत निर्यातों को परिभाषित किया गया है तथा शुल्क मुक्त स्कीम वापसी स्कीम के अन्तर्गत लाभ तथा सीमाकर उत्पाद शुल्क में छूट अभिग्रहीत निर्यातकों को भी मिलेगा।

कुछ श्रेणियों के निर्यात तथा निर्यातक विशेष आयात लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे। इनमें अभिग्रहीत निर्यात निर्यात सदन, व्यापार सदन तथा स्टार व्यापार सदन और वे विनिर्माता जो आई. एस. ओ. 9000 (सीरिज) या बी. आई. एस. 14000 (सीरिज) गुणवत्ता के प्रमाणीकरण को प्राप्त कर लेंगे, शामिल है।

व्यापार और उद्योग के सहयोग से केन्द्र सरकार का गुणवत्ता पर जागरूकता के लिये तथा भारतीय उत्पादों को विश्व स्तरीय बनाने के लिये कदम उठाने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

इस नीति का सरलता एवं सुस्पष्टता उद्देश्य है। इस नीति की प्रक्रिया भी होगी। प्रक्रिया को संशोधित किया जा रहा है जो संचालित करने में आसान एवं सुलभ होगी प्रक्रिया पुस्तक जल्दी ही ही जारी की जायगी तथा तब तक वर्तमान प्रक्रिया लागू रहेगी।

इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि नई नीति पांच वर्ष की अवधि तक स्थाई रहेगी तथापि, उदारीकरण की दिशा में परिवर्तन करने होंगे। आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य परिवर्तन भी आवश्यक हो सकते हैं। सरकार की इच्छा है कि जहां तक संभव होगा, प्रत्येक तिमाही में ऐसे परिवर्तन किये जायेंगे।

आशा है कि यह नीति देश के हित में विदेश व्यापार को बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करेगी।

इसको समाप्त करने से पूर्व, मैं मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के कार्यालय, वाणिज्य संचालय तथा उन सभी जिन्होंने इस नीति को बनाने में योगदान दिया है, के प्रति अपनी वास्तविक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। मैं वाणिज्य संचालय के राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के कम्प्यूटर सेंटर तथा भारत सरकार मुद्रणालय को उनकी सेवाओं के लिये धन्यवाद देता हूं।

नई दिल्ली
31-3-1992

देवेन्द्र राज मेहता
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

अध्याय—एक

भूमिका

1. अधिसूचना :—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 1992-97 की अवधि के लिए निर्यात एवं आयात नीति को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

2 विनियोग एवं अवधि :—निर्यात एवं आयात नीति 1-4-92 से लागू होगी तथा पांच वर्ष की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च, 1997 तक प्रभावी रहेगी।

3. संशोधन :—इस नीति में संशोधन अथवा परिवर्तन करने के लिए सरकार जनहित में अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसे संशोधन, यदि कोई होंगे तो, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं के द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

4. अन्तर्वर्ती व्यवस्था :—पूर्ववर्ती निर्यात-आयात नीतियों के अन्तर्गत कोई भी जारी की गई अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य परिवर्तन तथा जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू थे, यदि इस नीति के प्रावधानों से असंगत न हों, प्रभावी माने जाएंगे तथा इस नीति के अन्तर्गत माने जाएंगे। इस नीति से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस उन्हीं अनुमति मदों के आयात/निर्यात के लिए मान्य रहेंगे।

5. निर्यात एवं आयात जो खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय थे अथवा जिनके लिए पूर्ववर्ती नीतियों में किसी लाइसेंस/परमिट की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस नीति के अन्तर्गत नियंत्रण अथवा लाइसेंस की आवश्यकता है, वे भी अनुमेय रहेंगे बशर्ते कि 31 मार्च, 1992 तक अथवा इससे पूर्व की अवधि में मालवाहों को लादा गया हो।

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (विकासात्मक एवं विनियमन) विधेयक, 1992 संसद में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के पश्चात् यह नीति नए अधिनियम के अन्तर्गत आई हुई मानी जाएगी।

2. इस कार्यालय को महानिदेशक, विदेश व्यापार के रूप में पुनः नामोद्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव है।

अध्याय—दो

उद्देश्य

6. इस नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

(क) भारत के विदेश व्यापार को विश्वव्यापी बनाने के लिए ढांचे को स्थापित करना;

(ख) भारतीय उद्योग की उत्पादकता, आधुनिकीकरण एवं प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देना तथा इनके निर्यात सामर्थ्य को बढ़ाना ;

(ग) माल की गुणावस्था के अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तरों को प्राप्त करने और उच्च बनाने के लिए प्रोत्साहन देना जिससे कि विदेश में भारत के उत्पादों की छवि को बढ़ावा मिले ;

(घ) भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्यों तथा पूंजीगत माल आसानी से उपलब्ध करवाना;

(ङ) व्यापार के लिए विनियंत्रित ढांचे के अन्तर्गत प्रभावी एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी आयात प्रतिस्थापन एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना;

(च) भारत के विदेश व्यापार पर कुप्रभाव डालने वाले मात्रिक, लाइसेंसिंग और अन्य विवेकाधीन नियंत्रणों को कम अथवा समाप्त करना ;

(छ) देश में अनुसंधान तथा विकास और प्रौद्योगिकीय सामर्थ्य को प्रोत्साहन देना,

(ज) निर्यात एवं आयात को संचालित करने वाली प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना ।

अध्याय—तीन

परिभाषाएं

7. इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे :—

(1) "उपांग" या "संलग्नी" का अर्थ है एक पुर्जा, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक टुकड़े को कार्यसाधकता को सहयोग देता है ।

(2) "अधिनियम" का अर्थ है—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 ।

(3) "वास्तविक उपयोक्ता" का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है ।

(4) "वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए बाहर का ठेका लेने वाली यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए विनिर्माण के लिए आयातित माल का प्रयोग करता है ।

(5) "वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्न में इस्तेमाल करता हो :—

(1) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार का पेशा कर रहा हो; या

(2) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल; या

(3) कोई भी सेवा उद्योग ।

(6) "पूंजीगत माल" का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है ।

(7) निर्यात और आयात के "सरजीवद्ध" का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा नामजद की गई एजेंसियों के माध्यम से निर्यात और आयात करना ।

(8) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है---वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत दिये गए आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी अधिकार का प्रयोग करने, किसी कार्यभार अथवा कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो।

(9) "संघटक" का अर्थ है वह उस संयोजन या संयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए और जिसमें सहायक या उपयंगी भी शामिल है ।

(10) "उपभोज्य" माल का अर्थ है कोई मद जिसको विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है या जिसकी आवश्यकता होती है परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग नहीं होती है । मदें जिनको निर्माण के दौरान वास्तविक रूप में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा ।

(11) "उपभोक्ता माल" का अर्थ खान के उस माल से है जो आगामी संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा करेगा और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ माल भी शामिल होगा ।

(12) "प्रतिसंतुलन व्यापार" (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस प्रकल्प से है जिसके अन्तर्गत व्यापार समझौता या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से अथवा तीसरे देश के जरिये सीधे आयात/निर्यात भारत के आयात/निर्यात से संतुलित होते हों । प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमति एस्को एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है ।

(13) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "शुल्क वापसी" का अर्थ है---किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती ।

(14) "उत्पाद शुल्क देय माल" का अर्थ है---कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का एक) के तहत उत्पाद शुल्क के अधीन हो ।

(15) "निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक–आयातक कोड नम्बर धारी हो ।

(16) "निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन" का अर्थ है "निर्यातक" जिसके पास मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किया गया निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र हो ।

(17) "निर्यात आभार" का अर्थ है---लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित अथवा यथा निर्दिष्ट मात्रा, मूल्य या दोनों में निर्यात करने का आभार।

(18) "आयातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, आयात करना चाहता है और जो आयातक--निर्यातक कोड नम्बर धारी हो ।

(19) "अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर पुनः अदायगी स्कीम" का अर्थ है वह स्कीम जिसमें निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त विशेष निवेश के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के बीच अंतर के बराबर धनराशि को पुनः अदायगी करने की व्यवस्था हो ।

(20) "लाइसेंस प्राधिकारी" का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो उस समय के लिए लागू किसी कानून के तहत लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो ।

(21) "लाइसेंस" का अर्थ है---प्रदान किया गया लाइसेंस जिसमें सीमाशुल्क निकासी परमिट अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई कोई अनुमति शामिल है ।

(22) "लाइसेंसिंग वर्ष" का अर्थ उस वर्ष से है जो प्रथम अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो।

(23) "जीवन रक्षक औषधियों" का अर्थ दृष्टि बचाने वाली औषधियों सहित, उन औषधियों से है जो जीवन बचाने के लिए आवश्यकता के लिए तैयार रूप में उपलब्ध है और जिन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अधिसूचित किया गया है ।

(24) "जीवन रक्षक उपकरण" के अर्थ अतिरिक्त पुर्जों सहित उस उपकरण से है जो जीवन बचाने के लिए आवश्यक है और जिन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(25) "विनिर्माण" का अर्थ है---विशेष नाम गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया, उत्पन्न किया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो।

(26) "विनिर्माता निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो माल का निर्माण करता है तथा उनका निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।

(27) "व्यापारी निर्यातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।

(28) "अधिसूचना" का अर्थ उस अधिसूचना से है जो राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

(29) "पुर्जे" का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपभोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के लिए संशोधन करने के योग्य न हो। "पुर्जा" एक संघटक अथवा उपसाधक हो सकता है।

(30) "व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कार्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति।

(31) "नीति" का अर्थ समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात-आयात नीति, 1992–97 से है।

(32) "निर्धारित" का अर्थ है आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 अथवा इसके तहत अथवा नीति के अंतर्गत बनाये गए नियम और आदेश।

(33) "सार्वजनिक सूचना" जनता की सूचना के लिए नीति के तहत प्रकाशित सूचना।

(34) "कच्ची सामग्री" का अर्थ है—

(1) मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु यह कच्ची, स्वाभाविक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो।

(2) किसी विनिर्माता के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उस विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या उनको संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या स्वाभाविक अवस्था में हो।

(35) "पंजीकरण—सह—सदस्यता प्रमाण-पत्र" का तात्पर्य अध्याय 13 में सूचीबद्ध किसी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रदान की गई सदस्यता तथा पंजीकरण के प्रमाण-पत्र से है।

(36) "अतिरिक्त पुर्जे" का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। अतिरिक्त पुर्जे में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते हैं।

(37) "विनिर्दिष्ट" का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है।

अध्याय—चार

निर्यात एवं आयात से सम्बन्धित सामान्य प्रावधान

8. विनियमित होने की स्थिति के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से निर्यात एवं आयात इस नीति के प्रावधानों अथवा देश के अन्य सम्बद्ध कानूनों द्वारा विशेषतया विनियमित को छोड़कर समस्त निर्यात एवं आयात मुक्त होगा।

9. विनियमन का प्रकार:—केन्द्र सरकार लोकहित में आयात अथवा निर्यात किए जाने वाले माल को आयात के लिए निषेधात्मक सूची अथवा निर्यात के लिए निषेधात्मक सूची, जैसाकि मामला हो, के द्वारा विनियमित करेगी।

10. निषेधात्मक सूचियां:—निषेधात्मक सूचियों में आयात अथवा निर्यात किए जाने वाला वह माल है जो लाइसेंसिंग द्वारा अथवा अन्यथा रूप से अथवा सरणीबद्ध रूप से प्रतिषेधित है। आयात की निषेधात्मक सूची तथा निर्यात की निषेधात्मक सूची इस नीति में दी गई अनुसार होगी।

11. निषिद्ध माल:—निषिद्ध माल का आयात अथवा निर्यात नहीं किया जाएगा।

12. लाइसेंसिंग:—कोई भी माल जिसका निर्यात अथवा आयात लाइसेंसिंग के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।

13. शर्तें:—लाइसेंस पर शर्तें लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होंगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी:—

(क) माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य;

(ख) वास्तविक उपभोक्ता शर्त, यदि कोई है;

(ग) निर्यात आभार, यदि कोई है;

(घ) प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संयोजन, यदि कोई है;

(ङ) न्यूनतम निर्यात मूल्य यदि, कोई है, और

(च) उद्गम का देश अथवा भवों का विवरण।

14. वैधता की अवधि:—प्रत्येक लाइसेंस में विशिष्टीकृत अवधि तक होगा और यदि लाइसेंस में कोई अवधि नहीं दी गई है तो लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च तक वैध होगा।

15. लाइसेंस अधिकार नहीं:—कोई भी व्यक्ति लाइसेंस को अधिकार समझकर नहीं ले सकता तथा लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस देने से इंकार करने का अधिकार रखता है।

16. प्रक्रिया:—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग सक्षम अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेश तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

17. सरणीबद्ध:—कोई भी मद जिसका आयात अथवा निर्यात सरणीबद्ध किया गया है, निषेधात्मक सूची में विशिष्टीकृत सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा आयात अथवा निर्यात किया जाएगा। तथापि, केन्द्र सरकार सरणीबद्ध मद के लिए आयात अथवा निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस दे सकती है।

18. आयातक-निर्यातक कोड नम्बर:—इस नीति के किसी अन्य प्रावधान द्वारा विशेषतया प्राप्त छूट के अतिरिक्त आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई.ई.सी.) के बिना कोई भी व्यक्ति निर्यात अथवा आयात नहीं कर सकेगा।

19. कानून का अनुपालन:—प्रत्येक निर्यातक या आयातक को आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947, इसके अन्तर्गत बनाए गए आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

20. नीति का स्पष्टीकरण:—इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को भेजा जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

21. नीति/प्रक्रिया में ढील:—इस नीति अथवा प्रक्रिया में ढील प्राप्त करने के अनुरोध को, आवेदक की वास्तविक कठिनाई अथवा नीति या प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना पर, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को आवश्यक ढील के लिए भेजा जाए तथा उस पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात जैसा उचित समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं।

अध्याय—पांच

आयात

22. मुक्त आयात.—पूंजीगत माल, कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्य पदार्थों, अतिरिक्त पूर्जों, उपसाधित्रों, यन्त्रों और अन्य माल का आयात बिना किसी प्रतिबन्ध के किया जा सकता है जब तक कि उनका आयात, आयात की निषेधात्मक सूची या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या उस समय के लिए किसी अन्य लागू कानून द्वारा नियंत्रित न हो।

23. वास्तविक प्रयोक्ता शर्तें.—पूंजीगत माल, कच्चा माल, मध्यस्थ, संघटक, उपभोज्य पदार्थ, अतिरिक्त पुर्जे, उपसाधित्र, यन्त्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबन्ध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है चाहे वह वास्तविक प्रयोक्ता हो अथवा नहीं तथापि, यदि इनके आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात तब तक कर सकता है जब तक कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बन्द न किया जाए।

24. पुराना माल.—पुराने पूंजीगत माल और अन्य पुराने माल का आयात तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस नीति द्वारा अनुमति न दी गई हो या उस सम्बन्ध में जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार न हो।

25. पुरानी मशीनों का लाइसेंस के बिना आयात.—निम्नलिखित क्षेत्रों में पुरानी मशीनों का आयात बिना किसी लाइसेंस के किया जा सकता है:—

(क) मुद्रण और संबद्ध प्रक्रियाएं।

(ख) पोशाक/होजरी/तैयार माल।

(ग) चर्म संसाधन/चर्म परिष्करण/चमड़े के सामान का विनिर्माण/चर्म परिधान विनिर्माण ।

(घ) रबड़ और कैनवास फुटवियर ।

(ङ) खेल के सामान ।

(च) विद्युत् लैम्प ।

(छ) पैकिंग और पैकिंग करने की सामग्री ।

(ज) गढ़े हुए हाथ के औजार ।

(झ) तेल क्षेत्र की सेवाएं ।

(ञ) लेखन यंत्र ।

(ट) समुद्री खाद्य पदार्थ ।

(ठ) इस आशय के लिए जारी सार्वजनिक सूचना के द्वारा विशिष्टीकृत कोई अन्य क्षेत्र ।

26. लाइसेंस के पुराने माल का आयात.—किसी अन्य पुराने पूंजीगत अथवा अन्य पुराने माल के आयात की अनुमति लाइसेंस के मद्दे दी जा सकती है ।

27. आवेदन पत्र : पुराने पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस प्राधिकारी से आवेदन किया जा सकता है तथा आवेदन पत्र में निम्नलिखित शर्तें होंगी :—

(क) पुराने संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर तथा उपसाधित्रों का पूर्ण विशिष्टीकरण और कीमत (कच्चा बीजक) और यदि उपलब्ध हो तो उसके साथ पूंजीगत माल की अलग-अलग कीमत, उखाड़ने की लागत, भाड़े और बीमे का भी वर्णन हो ;

(ख) संभरक द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन गारंटी ;

(ग) ऐसे आयात के समर्थन में कारण और पृष्ठभूमि जिसमें वे लाभ भी शामिल हैं जो विनिर्माण किए जाने वाले एवं निर्यात किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों की पूंजी लागत, उत्पादन तथा कीमतों में होंगे; और

(घ) उक्त पूंजीगत माल की मियाद और अवशिष्ट जीवन-अवधि को सत्यापित करते हुए किसी व्यावसायिक निष्पक्ष मनदी इंजीनियर या जिस देश से पुराने पूंजीगत माल का आयात किया गया हो उसके इंजीनियरों की किसी संस्था से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र ।

28. पुरानी मशीनरी के आयात की शर्तें.—पुराने पूंजीगत माल सात वर्षों से अधिक पुराने नहीं होंगे तथा उनकी न्यूनतम अवशिष्ट जीवन अवधि पांच वर्षों की होगी । सभी मामलों में पुराने पूंजीगत माल का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा ।

29. अन्य पुराना माल.—पूंजीगत माल को छोड़कर सभी पुराने माल का आयात केवल इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी लाइसेंस अथवा सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही किया जा सकता है।

30. पुनः निर्यात आधार पर आयात—निम्नलिखित पूंजीगत माल का आयात पुनः निर्यात आधार पर बिना किसी लाईसेंस के किया जा सकता है :

(क) सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सन्तुष्टि के अनुसार बन्धपत्र/बैंक गारन्टी देने पर मरम्मत के लिए पूंजीगत माल का आयात ;

(ख) जिग्स, फिक्सचर्स, डाईज और पैटर्नस (कन्टूर रोलर डाइज सहित), माउल्ड्स (डाई कास्टिंग के लिए माउल्ड्स सहित) और मुद्रण औजार; और

(ग) निर्माण मशीनरी तथा अन्य उपस्कर बशर्ते कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सन्तुष्टि से बन्ध-पत्र/बैंक गारन्टी प्रस्तुत की गई हो ।

31. विदेश में मरम्मत कार्य और बिना लाइसेंस पुनः आयात.—आयातित पूंजीगत माल या उनके पुर्जे (उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर) मरम्मत के लिए विदेश भेजे जा सकते हैं और बिना किसी लाइसेंस के पुनः आयात किए जा सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि सीमाशुल्क विभाग इस तथ्य से सन्तुष्ट हो कि पुनः आयातित माल वही है, जिसका निर्यात किया गया था।

32. लाइसेंस के अधीन.—देशी पूंजीगत माल जिसमें आयातित संघटक लगे हों यदि मरम्मत के लिए उन्हें विदेश भेजा जाना आवश्यक हो, तो उसे पुनः आयात के आधार पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात से ऐसे निर्यात के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भेजा जा सकता है।

33. प्रयुक्त मशीनरी और उपस्कर का आयात.—विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार विदेशी परियोजना के लिए क्रय और इस्तेमाल का साक्ष्य प्रस्तुत करने के आधार पर बिना लाइसेंस के प्रयुक्त निर्माण उपस्कर मशीनरी संबंधित अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा सहायक करण आयात कर सकते हैं। विदेश में परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रयुक्त कार्यालय उपस्कर तथा वाहन भी बिना लाइसेंस के आयात किए जा सकते हैं लेकिन शर्त यह होगी कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया जा चुका हो।

34. उपहारों के आयात की अनुमति अलबत्ता निम्नावली के अनुसार दी जाएगी । किसी अन्य मामले में उपहारों के आयात के लिए ऐसे संस्थानों और प्रतिष्ठानों द्वारा सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी पी पी) अपेक्षित होंगे जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाएं । आवेदन करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मामले के गुणावगुण पर विचार करने के उपरान्त सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किया जा सकता है । तथापि इस प्रकार का आयात विदेश अंशदायी (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अध्यधीन किया जाएगा ।

35. खुले सागर में बिक्री.—भारत में आयात करने के लिए खुले सागरों में माल की बिक्री इस नीति और कुछ समय के लिए प्रचलित किसी अन्य कानून के अधीन दी जाएगी।

36. पड़ोसी देशों के साथ व्यापार.—पड़ोसी देशों के साथ व्यापार के मामले में मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात समय-समय पर यथाअपेक्षित विशेष अनुदेश जारी कर सकता है।

अध्याय छः

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

37. स्कीम.—निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस से पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है ।

38. रियायती शुल्क पर आयात.—पूंजीगत माल का आयात ऐसे सामान की लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 25% या 16% सीमाशुल्क की रियायती दर पर किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे आयातित माल के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य के क्रमशः तीन गुने या चार गुने के बराबर निर्यात आभार को ऐसे आयातित माल की पहली खेप की सीमाशुल्क निकासी की तिथि से क्रमशः चार या पांच वर्षों की अवधि में पूरा कर लिया जाए।

39. पात्रता.—किसी विनिर्माता निर्यातक को इस स्कीम के तहत पूंजीगत माल का आयात करने का पात्र तभी माना जाएगा यदि वह कम से कम तीन वर्ष से नियमित रूप से निर्यात कर रहा हो। फिर भी, इस स्कीम के तहत पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति अन्य विनिर्माता निर्यातकों को गुण-दोष के आधार पर दी जाएगी, जो नए निर्यातक हैं अथवा जिनका निर्यात निष्पादन तीन वर्ष से कम अवधि का हो । इस स्कीम के अंतर्गत परीक्षण उपकरण, अनुसंधान एवं विकास उपकरण और पैकेजिंग मशीनरी तथा ऐसी अन्य मशीनरी या उपस्कर जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, का भी आयात किया जा सकता है।

40. पुरानी मशीनरी आयात करने के लिए शर्तें.—इस स्कीम के अंतर्गत नई और पुरानी दोनों प्रकार की मशीनरी आयात की जा सकती है। पुराने पूंजीगत माल का आयात करने के मामले में अध्याय-पांच में निहित सामान्य शर्तें लागू होंगी और लाइसेंसिंग प्राधिकारी कोई अन्य शर्त भी लगा सकते हैं।

41. निर्यात आभार.—आयातक द्वारा पूरा किया जाने वाला निर्यात आभार उसके द्वारा किए गए किसी अन्य आभार से अलग होगा और वह विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान किए गए निर्यात के औसत स्तर के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त स्कीम के अंतर्गत निर्यात आभार आयात किए जाने हेतु अनुमति पूंजीगत माल के साथ विनिर्मित उत्पादों के सीधे निर्यातों के रूप में होंगे। इस प्रयोजन हेतु अभिग्रहीत निर्यातों तथा तीसरी पार्टी के निर्यातों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

42. वास्तविक प्रयोक्ता शर्त.—स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत माल का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यधीन किया जाएगा ।

43. आवेदन की प्रक्रिया.—इस स्कीम के अंतरगत लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास किया जाएगा।

44. कम्प्यूटर सिस्टम का आयात.—कम्प्यूटर सिस्टम का आयात भी उपर्युक्त पैराग्राफ 37 से 42 द्वारा शासित होगा ।

45. बन्धपत्र और बैंक गारन्टी.—विनिर्माता निर्यातक के लिए लाइसेंस में उल्लिखित मूल्य और अवधि के लिए निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारन्टी के साथ लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास एक बंधपत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा।

46. संघटकों का आयात.—पूंजीगत माल आयात करने के लिए ई.पी.सी.जी. स्कीम के अंतर्गत कोई लाइसेंसधारी इसके आयात के बजाय पूंजीगत माल किसी घरेलू संभरक से ले सकता है। ऐसे स्रोत के लिए पार्टियों के बीच पक्का ठेका होने पर घरेलू संभरक ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारी के लिए उक्त पूंजीगत माल के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे संघटकों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 15% के सीमाशुल्क की रियायती शुल्क दर पर संघटकों के आयात के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, पूंजीगत माल के आयात से संबंधित निर्यात आभार ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारी द्वारा पूरे किए जाते रहेंगे।

अध्याय—सात

शुल्क मुक्त स्कीम

47. शुल्क मुक्त स्कीम.—शुल्क मुक्त स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के उद्देश्य के लिए शुल्क मुक्त कच्चे माल, संघटकों , मध्यस्थों, उपभोज्य, पुर्जों, अतिरिक्त पुर्जों और पैकिंग सामग्रियों का आयात निम्नलिखित पांच श्रेणियों के लाइसेंस के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासित किए जायेंगे :

48. अग्रिम लाइसेंस.—कच्चे माल, संघटकों, मध्यस्थों, उपभोज्यों, पुर्जों, अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों सहित अतिरिक्त पुर्जों, पैकिंग सामग्रियों का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए अग्रिम लाइसेंस दिए जायेंगे। ऐसे लाइसेंस निर्धारित समयबद्ध निर्यात आधार को पूरा करने तथा मूल्य संयोजन की शर्त जो भी निर्धारित की गई हो के अधीन न होंगे। अग्रिम लाइसेंस या तो मूल्य आधारित होंगे अथवा मात्रा पर आधारित होंगे। निर्यातक मूल्य आधारित या मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

49. मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस.—मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस में निम्नलिखित विशिष्टीकृत होगा :—

(क) आयात और निर्यात की जाने वाली मदों के नाम और विवरण;

(ख) आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य ;

(ग) निर्यात उत्पाद का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य ; और

(घ) सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रकाशित मानक निवेश-उत्पादन मानदण्ड के अनुसार मूल्य संयोजन या उन मदों के संबंध में जिनके लिए ऐसे मानदण्ड प्रकाशित नहीं किए गए हैं, उनका मूल्य संयोजन जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए। संवेदनशील मदों के बारे में, अथवा जहां सक्षम प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे, आयात की जाने वाली प्रत्येक संवेदनशील मद की मात्रा एवं लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का उल्लेख भी लाइसेंस में निर्धारित किया जाएगा।

50. मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस.—मात्रा पर आधारित अग्रिम लाइसेंस में निम्नलिखित विशिष्टीकृत होगा :—

(क) आयात एवं निर्यात किए जाने वाली मदों के नाम व विवरण

(ख) आयात किए जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा ;

(ग) आयात किए जाने वाली प्रत्येक मद का लागत-बीमा भाड़ा मूल्य;

(घ) निर्यात की मात्रा और जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य; और

(ङ) मूल्य संयोजन ।

51. निवेश-उत्पाद मानदण्ड.—ऐसे लाइसेंसों में समाविष्ट किए जाने वाले मात्रा के मानदण्ड सार्वजनिक सूचना द्वारा प्रकाशित मानक निवेश-उत्पादन मानदण्ड के अनुसार होंगे या, उन मदों के संबंध में जिनके लिए ऐसे मानदण्ड प्रकाशित नहीं किए गए हैं, मात्रा के मानदण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किए जायेंगे।

52. मानदण्डों में परिवर्तन.—मुख्यालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति (ए एल सी) की संस्तुति पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात मानदण्डों में परिवर्तन या अतिरिक्त मानदण्ड निर्धारित कर सकता है।

53. नम्य मूल्य संयोजन.—मूल्य संयोजन प्राप्त करने के लिए निर्यातक को नम्यता उपलब्ध कराने के लिए उसी क्षेत्र में निर्यात उत्पादों की श्रेणी या श्रेणियों के लिए मात्रा या मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जाए। लाइसेंस में आने वाली प्रत्येक ऐसी श्रेणी के लिए आयात और निर्यात के मूल्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात आभार एवं मूल्य संवर्धन को प्राप्त किया माना जाएगा। यह स्कीम फार्मास्युटीकल्स सैक्टर और ऐसे अन्य सैक्टरों के संबंध में शामिल की जाएगी जैसा भी इस संबंध में मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा नियत किया जाए।

54. स्वत: घोषित, पास बुक स्कीम.—निर्यातकों की कुछ श्रेणियों के लिए अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अधीन स्वत: प्रमाणीकरण और स्वत: घोषणा की एक स्कीम आरम्भ की जा रही है।

स्टार व्यापार सदन, व्यापार सदन और निर्यात सदन आपस में इस स्कीम का उपयोग करने के पात्र होंगे। मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा इस बारे में विशिष्टिकृत किए जाने वाले अन्य उत्पादों के निर्यातक भी आपस में इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

इस स्कीम के अधीन निर्यातक को आयात और निर्यात की जाने वाली मदों का नाम और ब्योरा तथा ऐसे निर्यात के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाला मूल्य संयोजन बताने वाली पास बुक जारी की जाएगी। निर्यातक को पास बुक के आयात की तरफ आयात की जाने वाली मदों का ब्योरा और आयात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य की प्रविष्टि करने की अनुमति होगी। वह प्रमाणित और घोषणा करेगा कि विषय वस्तु सही है। ऐसे स्वत: प्रमाणीकरण और स्वत: घोषणा के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारी कच्चे माल, संघटकों, मध्यस्थों, उपभोज्यों, अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों सहित अतिरिक्त पुर्जों, खड़ों और पैकिंग सामग्री आदि के आयात की अनुमति देगा। निर्यातक निर्यात किए जाने के बाद, पास बुक में निर्यात पक्ष की और निर्यात की गई मदों का नाम और ब्योरा तथा प्राप्त मूल्य-संयोजन की प्रविष्टि करेगा। वह प्रमाणित और घोषणा करेगा कि विषय वस्तु सही है। स्वत: प्रमाणीकरण और स्वत: घोषणा के आधार पर सीमाशुल्क प्राधिकारी किए जाने वाले निर्यात को अनुमति करेगा।

पासबुक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और समय-समय पर उसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

पासबुक धारक द्वारा आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के बराबर बैंक गारन्टी/वित्तिक बचनबद्धता (एल.यू.टी.) लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। बैंक गारन्टी/वित्तिक बचनबद्धता आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अनाधिक राशि के लिए वैध रखी जाएगी। जिसके मद्दे अभी निर्यात किया जाना है।

55. अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस.—मध्यवर्ती उत्पादों के विनिर्माताओं द्वारा सुनिश्चित समयबद्ध आपूर्ति प्रबन्ध के अंतर्गत शुल्क मुक्त स्कीम के लाइसेंस धारक अन्ततः निर्यातक को सप्लाई करने के लिए शुल्क मुक्त कच्चे माल, संघटकों, मध्यस्थों, उपभोज्यों, पुर्जों, अतिरिक्त पुर्जों और पैकिंग सामग्री के शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम मध्यवर्ती लाइसस दिए जायेंगे मध्यवर्ती लाइसेसधारी को यह विकल्प होगा कि वह शुल्क लाइसेंसधारी को आपूर्ति को अथवा विशिष्टि से अवधि में तथा विशिष्टि मूल्य संयोजन पर सीधे ही निर्यात कर ले। अग्रिम लाइसेंस के लिए लागू मूल्य तथा वांछित मानदण्ड मध्यवर्ती अग्रिम लाइसेंसों पर भी लागू होंगे।

56. विशेष अग्रदाय लाइसेंस.—विशेष अग्रदाय लाइसेंस कच्चे माल, संघटकों, मध्यस्थों, उपभोज्यों, पुर्जों, अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों सहित अतिरिक्त पुर्जों पैकिंग सामग्रियों और अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों के स्वतंत्र आयात के लिए प्रमुख/उप-ठेकेदारों को निम्न मामलों में प्रदान किए जाते हैं :—

(1) संयुक्त राष्ट्र संगठनों को या संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुराष्ट्रीय अभिकरणों के सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत की गई आपूर्ति तथा मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान :

(2) निम्नलिखित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों या अंतर्राष्ट्रीय उपयोगी बोली के तहत या उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार सीमित निविदा पद्धति के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अभिकरण/निधि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल का संभरण:—

(1) अरब आर्थिक विकास के लिए आबूधाबी फण्ड

(2) एशियाई विकास बैंक (ए. डी.बी.)

(3) के. एफ. डब्ल्यू. के माध्यम से जर्मन सहायता

(4) अंतर्राष्ट्रीय पुन: निर्माण और विकास बैंक (आई. बी. आर. डी./आई. डी.ए.)।

(5) कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय निधि (आई एफ ए डी)

(6) अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैती निधि

(7) पैट्रोल निर्यातक देश संघनिधि (ओपेक)

(8) सऊदी विकास निधि (एस एफ डी)

(9) संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू.एस.ए, आई.डी.)

(10) विदेश आर्थिक सहयोग निधि के माध्यम से मार्गीकृत येन क्रेडिट (ओ.ई.सी.एफ.)

(3) निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिटों तथा निर्यात अभिमुख यूनिटों को इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे माल का या विशेष अग्रदाय लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किसी अन्य माल का संभरण।

(4) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ एन जी सी) आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) और भारतीय गैस प्राधिकरण (जी.ए.आई.एल.) के अपतटी दोनों समुद्री एवं तटवर्ती अन्वेषण ड्रिलिंग उत्पादन संक्रियाओं के लिए कच्चे माल, संघटकों, मध्यस्थों, उपभोज्यों पुर्जों उपस्करों यंत्रों, सहायक उपकरणों, औजारों और अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति ;

(5) भारतीय मुख्य ठेकेदारों द्वारा उर्वरक संयंत्रों के लिए पूंजीगत माल का संभरण यदि संभरणों अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के अधीन किया गया है।

57. विशेष अग्रदाय लाइसेंस मात्रा पर आधारित होंगे और निवेश उत्पादन मानदण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किए जायेंगे ।

58. अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट.—अग्रिम सीमाशुल्क निकासी परमिट (ए.सी.सी.पी.) कार्य प्रयोजन मरम्मत, सेवा, पुनः स्थापना, सुधार, नवीकरण और इनमें प्रतिरूप, आरेख, जिग्स, औजार, फिक्सचर्स, मोल्डस, टैकल्स तथा औजारों जोकि निर्यात आदेश से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित हों और जिनकी आपूर्ति विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क की जाती है लेकिन जिनका निर्यात उत्पाद के साथ ही पुनः निर्यात किया जाना होता है के लिए शुल्क मुक्त माल के आयात के लिए दिया जाता है। आयातित मोल्डों, प्रतिरूपों आदि के बनाए रखने के लिए किए गए आवेदनों पर निर्यात आभार पूरा होने के बाद और आयात की तिथि को लगने वाली सीमाशुल्क के भुगतान तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों के पूरा करने पर अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

59. पात्रता.—कोई व्यक्ति जो एक व्यापारी निर्यातक या विनिर्माता निर्यातक है, आयात-निर्यात कोड संख्याधारी है विशिष्टि निर्यात आदेश/आदेश साख-पत्र धारक है और स्वयं के नाम पर निर्यात लाभ की वसूली की स्थिति में है यह शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकता है।

60. मूल्य संयोजन.—इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के द्वारा अथवा विनिर्दिष्ट मूल्य संयोजन मानदण्ड शुल्क मुक्त लाइसेंसों पर लागू होंगे। इन लाइसेंसों में सूचीबद्ध न होने वाले उत्पादों पर 33 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य संयोजन होगा। तथापि, अग्रिम लाइसेंसिंग समिति, कम मूल्य संयोजन पर किन्तु 25 प्रतिशत से कम नहीं, लाइसेंस देने के अनुरोधों पर तकनीकी आधारों पर विचार कर सकती है।

61. रुपया भुगतान क्षेत्र देशों को निर्यात.—रुपया भुगतान क्षेत्र को निर्यात इस संबंध में समय-समय पर जारी होने वाली सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा यथा निर्धारित मूल्य संयोजन के अनुसार होगा।

62. उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत लाइसेंस.—निर्यातक बिना किसी निर्यात आदेश के, विशेष अग्रदाय लाइसेंस से भिन्न शुल्क मुक्त लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्यात आदेश के बिना आवेदन के मामले में लाइसेंस का मूल्य गत तीन वर्षों के निर्यात निष्पादन के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के औसत के बराबर से अधिक नहीं होगा।

विनिर्माता एवं व्यापारी जिनका गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक औसत कारोबार 5 करोड़ रुपये है वे बिना किसी निर्यात आदेश के निर्यात उत्पादन की अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विशेष अग्रदाय लाइसेंस से भिन्न शुल्क मुक्त लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे लाइसेंस का मूल्य वार्षिक औसत कारोबार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

63. निर्यात आभार.—इस स्कीम के अधीन जारी किए गए लाइसेंस पर उपर्युक्त निर्यात आभार होगा जिसको निम्न लिखित निर्धारित अवधियों के अन्दर पूर्ण किया जाना जरूरी होगा –

क्रम सं.	निर्यात उत्पाद	अवधि
1.	परियोजना/टर्न-की परियोजना की मदें ।	निर्यात/संभरण की संविदा अवधि तक
2.	इंजीनियरिंग मदें [उपर्युक्त (1) में आने वाली मदों के अतिरिक्त]	12 महीने
3.	कम्प्यूटर हार्डवेयर्स पैरीफरल्स कैसेट्स (आडियो या वीडियो)	6 महीने
4.	अन्य	9 महीने

निर्यात आभार को पूरा करने की अवधि में वृद्धि के अनुरोध पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है ।

64. अग्रिम रिलीज आदेश:—शुल्क मुक्त लाइसेंसधारी को यह विकल्प है कि वह या तो सीधे लाइसेंस के अधीन अनुमित मदों का आयात करे या विदेशी मुद्रा/भारतीय रुपयों में नामोद्दिष्ट अग्रिम रिलीज आदेश के मद्दे देशीय स्रोतों/सरणीबद्ध अभिरणों से प्राप्त करें । अग्रिम रिलीज आदेश आवेदन करने पर उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जिसने शुल्क मुक्त लाइसेंस जारी किया है अथवा इसके लिए प्राधिकृत अन्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है ।

65. स्त्रोत एवं निकासी:—शुल्क मुक्त लाइसेंस धारक पहले से आयातित तथा सीमा गोदाम में रखे माल को प्राप्त अथवा निकाल सकता है । शुल्क मुक्त लाइसेंसधारक निर्यात संसाधित क्षेत्र/यूनिटों अथवा शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख यूनिटों में विनिर्मित या संसाधित माल को प्राप्त अथवा निकाल सकते है । किसी मामले में शुल्क मुक्त लाइसेंस-धारक लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अग्रिम रिलीज आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा ।

66. लाइसेंस की प्रत्याशा में निर्यात:—लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने की तारीख से किया गया निर्यात/संभरण निर्यात आभार अदा करने पर स्वीकार किया जा सकता है । सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा शुल्क मुक्त शिपिंग बिलों से ड्राबैक शिपिंग बिलों में परिवर्तन की अनुमति भी दी जा सकती है यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत या परिवर्तित कर दिया गया है ।

67. अग्रिम लाइसेंस को ट्रांसफर करना : निर्यात आभार पूर्ण होने, निर्यात वसूली पूरी कर ली हो और बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता की विमुक्ति पर मूल्य और गुणवत्ता पर आधारित अग्रिम लाइसेंसों या उनके मद्दे आयातित सामग्री मुक्त रूप से स्थानान्तरणीय होगी । यह सुविधा उन मामलों में उपलब्ध नहीं होगी । जहां केन्द्रीय उत्पाद नियमों के नियम-191-ख के तहत मोडवेट/प्रोफार्मा ऋणसुविधा का उपयोग कर लिया गया है ।

68. अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जे:—ऐसे मामलों में जहां इस स्कीम के अन्तर्गत अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों का आयात अनुमित कर दिया गया हैं वहां ऐसे आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों का लाइसेंस के मूल्य के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ऐसे अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जों के आयात की अनुमति दी जा सकती है ।

69. निषिद्ध मदें:—इस स्कीम के अधीन आयात की निषेधात्मक सूची में दी गई वर्जित मदों का आयात निषिद्ध है ।

70. शुल्क वापसी/अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पुनः अदायगी की स्वीकार्यता:—इस स्कीम के अन्तर्गत निर्यात किए गए उत्पादों पर कोई शुल्क वापसी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पुनः अदायगी (आई पी आर एस) अनुमेय नहीं होगा ।

71. दण्ड:—इस स्कीम के अन्तर्गत किसी लाइसेंसधारक के निर्यात आभार को पूरा करने में असफल होने पर या किसी लाइसेंसिंग शर्त का उल्लंघन करने पर वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आशय के लिए जारी किए गए आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दंड का भागी होगा ।

72. सोने और चांदी के आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए अग्रिम लाइसेंस के लिए स्कीम:—निम्न सोने और चांदी के आभूषणों व वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जा सकता है ।

(1) गोल्ड माउन्टिंग्स साकेट्स फ्रेम्स और 18 कैरेट तथा कम की फाइन्डिंग्स; और

(2) चांदी माउन्टिंग्स साकेटस फ्रेम्स और फाइन्डिंग्स आदि ।

73. शर्तें:—यह स्कीम अपरिवर्तनीय साख पत्र स्वीकृति के मद्दे दस्तावेज और/या सुपुर्दगी आधार पर नकद भुगतान की अदायगी से समर्थित निर्यातों पर सीमित होगी । सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट पत्तनों से ही आयात अनुमेय होगा ।

74. निर्यात आधार:—निर्यात केवल पूर्व आयात के मद्दे अनुमत होगा । निर्यात-आधार आयात की प्रथम परेषण की तिथि से आरम्भ होगा और उसे उक्त तिथि से 120 दिनों के अंदर पूर्ण किया जाना अपेक्षित होगा ।

75. मूल्य संयोजन—मूल्य-संयोजन की गणना उस मूल्य पर की जा सकती है जिस पर सोना (छीजन सहित) और चांदी तत्व (बिना छीजन के) आयात किया गया है । माउन्टिंग्स, फाइन्डिंग्स आदि के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनका आयात/निर्यात बराबरी के आधार पर होगा । सोने/चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है ।

जा सकती है । सोने की माउन्टिंग्स/फाइन्डिंग्स आदि पर धार में 3 प्रतिशत होने की छीजन अनुमित है । यदि निर्यात का जहाज

76. वेस्टेज या हानि—परिशिष्ट II की तालिका में यथानिर्दिष्ट अनुसार सोने की छीजन या विनिर्माण में हानि अनुमति की पर्यन्त निःशुल्क मूल्य निर्धारित निर्यात-आधार से अधिक है तो प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित फार्मूले के अनुसार आधिक्य मूल्य पर रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।

77. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "मूल्य संयोजन" प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त होगी और उसकी गणना निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार होगा :

$$\text{वी ए} = \frac{\text{ए} - \text{बी}}{\text{बी}} \times 100 \text{ जहां}$$

वी ए मूल्य संयोजन है

ए—लाइसेंस में शामिल उत्पाद के निर्यात से वसूल किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है और

बी—लाइसेंस में शामिल आयातित निवेश का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य है ।

अध्याय—आठ

हीरे, रत्न और जेवरात निर्यात संवर्धन स्कीम

78. रत्न और जेवरात के लिए स्कीम:—रत्न और जेवरात निर्यातक इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लाइसेंस और हीरे/डी टी सी अग्रदाय अनुज्ञापत्र प्राप्त करके अपने निवेशों का आयात कर सकते है ।

79. प्रतिपूर्ति लाइसेंस:—परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध रत्न और जेवरात उत्पादों के निर्यातक, अपने निवेशों के आयात और प्रतिपूर्ति के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें दी गई मदों के लिए, प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किए जाने के पात्र होंगे । इस प्रकार के लाइसेंस हस्तान्तरणीय होंगे । हीरे/डी टी सी अग्रदाय लाइसेंसों के मद्दे निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए किया गया निर्यात इस लाभ के लिए पात्र नहीं होगा ।

80. हीरे और डी. टी. सी. अग्रदाय लाइसेंस:—कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों के निर्यात के लिए तथा अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए हीरा और डी टी सी अग्रदाय लाइसेंस अग्रिम रूप में जारी किए जा सकते है । ये लाइसेंस अहस्तांतरणीय होते है । तथापि आयातित माल को संसाधित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित किया जा सकता है लेकिन निर्यात आधार पूर्ण करने का दायित्व लाइसेंसधारी का ही होगा । ये लाइसेंस प्रतिपूर्ति के 65 प्रतिशत के विलोम अनुपात में निर्धारित निर्यात आभार वहन करेंगे, अर्थात् यदि लाइसेंस 65 अमरीकी डालर के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है तो निर्यात आभार का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 100 अमरीकी डालर होगा । छूट प्रदान करते समय लाइसेंसधारी की वास्तविक हकदारी की उक्त परिशिष्ट में दिए गए समान निर्यात उत्पादों के लिए अनुमित प्रतिपूर्ति दरों के संदर्भ में पुनः गणना की जा सकती है । इस प्रकार की पुनः गणना करने से, यदि लाइसेंसधारी की हकदारी 65 अमरीकी डालर से अधिक बनती है (जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में दर्शाया गया है) तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपरिष्कृत हीरों के आयात हेतु उस मूल्य के बराबर, जो भी 65 अमरीकी डालर से अधिक हो, प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी करेंगे ।

81. हीरा अग्रदाय लाइसेंस:—कोई निर्यातक निम्नलिखित अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है ।

(क) यदि उसने पिछले तीन वर्षों से कम समय में कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों का निर्यात किया है तो स्वयं के नाम में वैध निर्यात संविदा के मद्दे; अथवा

(ख) यदि उसने कम से कम 3 वर्षों का निर्यात किया है तो पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में सर्वोत्तम वर्ष के निर्यात निष्पादन और साथ ही उसके 25 प्रतिशत के मद्दे ।

82. निर्यात आभार:—निर्यात आभार की पूर्ति सीमाशुल्क के जरिए पहली खेप की निकासी की तारीख से सात महीनों के अन्दर की जाएगी ।

83. डी. टी. सी. अग्रदाय लाइसेंस:—किसी भी नियमित डी. टी. सी. साइट होल्डर के लिए वार्षिक डी टी सी लाइसेंस अनुमित हो सकता है जो कि उसके द्वारा परवर्ती वर्ष में प्राप्त सभी डी टी सी साइटों (प्रतिपूर्ति लाइसेंस : दृदे निष्पादित साइटों को छोड़कर) के समेकित मूल्य के डेढ़ गुणा के बराबर होगा । इसमें डेढ़ प्रतिशत तक कमीशन/दलाली अधिभार भी जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि निर्यात आधार में तदनुरूप वृद्धि की गई हो । नए साइट होल्डर डी टी सी लन्दन से साइट के आबंटन हो जाने पर मासिक आधार पर लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते है । ये लाइसेंस केवल डी टी सी लन्दन से आयात के लिए ही वैध होंगे । निर्यात आभार प्रथम परेषण के आयात की तिथि से 20 दिनों के अन्दर और प्रत्येक साइट के लिए लाइसेंस पर किए गए पृष्ठांकन के अनुसार, पूरा कर लिया जाएगा ।

84. अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस:—अपरिष्कृत हीरों के लिए थोक लाइसेंस, वैध आर ई पी/हीरा अग्रदाय लाइसेंसों के धारकों की मांगों को पूरा करने के लिए, मैसर्स हिन्दुस्तान डायमण्ड कम्पनी लि. (एच. डी. सी. एल.) बम्बई तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम. एम. टी. सी.) लि., नई दिल्ली को जारी किए जा सकते है ।

85. पुनः निर्यातः—अपरिष्कृत हीरों का पुनः निर्यात करने वाला कोई निर्यातक ऐसे पुनः निर्यात पर कमीशन सहित विदेशी मुद्रा लागत घटाकर शत-प्रतिशत लागत बीमा-भाड़ा मूल्य की दर से आयात प्रतिपूर्ति का पात्र हो सकेगा । डी. टी. सी. लन्दन और खानों से (खान के चालू रहने की दशा में) आयातों के मामलों में अपरिष्कृत हीरों के मूल्य क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक पुनः निर्यात अनुमित हो सकता है । किसी अन्य स्त्रोत से किए गए आयात के लिए पुनः निर्यात आयातित अपरिष्कृत हीरों के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा लेकिन यह सुविधा थोक लाइसेंसधारियों द्वारा किए गए आयातों पर नहीं मिलेगी ।

86. सोने और चांदी के जेवरात के लिए स्कीमें:—सोने और चांदी के जेवरात के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा प्रदत्त आयात लाइसेंसों के माध्यम से सोना, चांदी माऊंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती सिंथेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसे अपने अनिवार्य निवेशों का आयात कर सकते है ।

87. सोने/चांदी की अन्तर्वस्तुः—निर्यात किए जाने पर निम्नलिखित मदों को इन स्कीमों के अन्तर्गत सुविधा मिल सकेगी :

(क) 8 कैरेट या अधिक सोना तत्व वाले सोने के जेवरात तथा वस्तुएं (सिक्कों को छोड़कर) चाहे सादे हों या जड़े हुए; और

(ख) भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले चांदी के जेवरात और वस्तुएं (सिक्कों और किन्हीं इंजीनियरी माल को छोड़कर) ।

88. स्कीमः—सोने/चांदी के जेवरात और वस्तुओं का निर्यात निम्नलिखित स्कीमों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

क. विदेशी क्रेता द्वारा संभरित सोने/चांदी के भद्दे सोने/चांदी के जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के लिए योजनाः

इस योजना के अन्तर्गत विदेशी क्रेता सोने या चांदी के जेवरात और उनसे बनने वाली वस्तुओं के विनिर्माण और अंतिम निर्यात के लिए अग्रिम रूप में निःशुल्क सोने या चांदी का संभरण कर सकता है। वह इसी प्रकार चांदी के गुलाय, फाइंडिंग्स, माउंटिंग्स आदि और 18 कैरेट और कम के सोने का संभरण भी कर सकता है। निर्यात आदेश में निम्नलिखित की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(1) वेस्टेज की अनुमति के बाद अपेक्षित सोने और चांदी की मात्रा की सीमा तक सोने और चांदी का निःशुल्क संभरण; और

(2) अपरिवर्तनीय साखपत्र के द्वारा विनिर्माण और अन्य लागतों का भुगतान अथवा सुपुर्दगी पर नकद भुगतान अथवा विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान संग्रह आधार पर (स्वीकृति पर दे दस्तावेज) सोने के जेवरात का निर्यात भी किया जा सकता है। निर्यात आदेश केवल एक विदेशी क्रेता से ही सम्बन्धित होना चाहिए। सोना, चांदी, जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात के लिए बनी यह योजना हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच. एच. ई. सी.) (या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण द्वारा) प्राप्त निर्यात आदेशों के लिए लागू होगी। नामित अभिकरण प्रत्यक्ष रूप से या अपनी पात्र संस्थाओं के माध्यम से निर्यात कर सकती हो। निर्यात केवल हवाई भाड़े और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर और कोचिन स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए ही अनुमित होगा।

प्रत्येक माह के शुरू में एच. एच. ई. सी. द्वारा घोषित सोने और चांदी के मूल्यों पर सोना तत्व (वेस्टेज समेत) और चांदी तत्व (वेस्टेज रहित) के मूल्य के संदर्भ में मूल्यसंयोजन की गणना की जा सकती है। माउन्टिंग्स, फाइंडिंग्स आदि के लिए मूल्यसंयोजन, नामित अभिकरण द्वारा तय किये गये आयातों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर आधारित होगा। सोना और चांदी जवाहरात वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है। माउन्टिंग्स और फाउंडिंग्स आदि का आयात निर्यात निबल के लिए निबल के आधार पर होगा।

ख. अनुमोदित प्रदर्शनी में बिक्री के लिये सोने और चांदी जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच. एच. ई. सी.) राज्य व्यापार निगम (एस. टी. सी.)/भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई. टी. पी. ओ.)/खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम एम. टी.सी.) और उनकी पात्र सहयोगी संस्थानों द्वारा किया गया निर्यात आता है। ये संगठन नामित अभिकरणों के रूप में कार्य करते है। यदि वाणिज्य मंत्रालय अनुमोदन कर देता है, तो इस स्कीम के अन्तर्गत अन्य व्यक्ति को भी निर्यात की अनुमति है। प्रदर्शनी लगाने के लिए निर्यात परेषण आधार पर किये जायेंगे और यह निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन होगा।

(1) विदेश में न बिकी हुई मद प्रदर्शनी बंद होने के 45 दिनों के अन्दर आयात कर ली जायेगी; और

(2) विदेश में बिकी हुई मदों के लिए सोना और चांदी तत्व प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदर्शनी बंद होने के 60 दिनों के अन्दर, आयात कर लिये जायेंगे। नामित अभिकरण निर्यात अनुमित होने से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास इस आशय के एक बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। दूसरों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में, भारतीय रिजर्व बैंक या सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नियमों के अन्तर्गत यथाअपेक्षित बंधपत्र या. बैंक गारंटी आयोजक स्वयं ही प्रस्तुत करेंगे। प्रदर्शनी बंद होने के उपरांत निर्यातक भारतीय स्टेट बैंक या प्रदर्शनी बंद होने से पहले प्रदर्शनी के स्थान पर उनके एजेंटों की सहायता से या प्रदर्शनी बंद होने के 50 दिनों के भीतर भारत में भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं की सहायता से प्रतिपूर्ति के उद्देश्य के लिए, बुकिंग करेगा।

मूल्य संशोधन की गणना, सोना तत्व (वेस्टेज समेत) और चांदी के तत्व (वेस्टेज सहित) उस मूल्य के आधार पर की जायेगी जिस पर प्रतिपूर्ति अनुमित हो सकती है या उस मूल्य पर जिस पर निर्यात बीजक बताया गया, था, इनमें जो भी उच्चतर हो, की जायेगी। निर्यातक, निर्यात बीजक बनाने समय एच. एच. ई. सी. द्वारा अधिसूचित सोना चांदी के मासिक मानदण्ड मूल्य का प्रयोग कर सकते हैं। सोना/चांदी जवाहरात वस्तुओं के लिये न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 15% और 25% है। है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज आदेश और रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

ग. सोना और चांदी जेवरात और वस्तुओं की निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति स्कीम

यह स्कीम सोना/चांदी जेवरात और वस्तुओं के निर्यात के मद्दे भारतीय स्टेट बैंक की पदनामित शाखाओं अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण के जरिए सोना/चांदी की खरीदारी के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक अभिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट मूल्य पर सोना चांदी की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करती है। यह स्कीम उन निर्यातों तक ही सीमित होगी जिनके समर्थन में अपरिवर्तनीय साख पत्र, डिलीवरी आधार पर नकद भुगतान या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान किया गया है। सोने जवाहरात के निर्यात की अनुमति संग्रह आधार स्वीकृति मद्दे दस्तावेज पर भी दी जा सकती है। निर्यातक को अग्रिम रूप में भारतीय स्टेट बैंक से सोना/चांदी प्राप्त करने का विल्कप होता है। अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रिलीज आदेश और रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किये जा सकते हैं।

मूल्य संयोजन की गणना/सोना तत्व (वेस्टेज सहित) और चांदी तत्व (वेस्टेज रहित) — के संन्दर्भ में उस मूल्य पर की जायेगी जिस पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सोने और चांदी को बुक किया जाये। सोना और चांदी जवाहरात/वस्तुओं के लिये न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 15% और 25% होगा।

घ. सोने और चांदी जवाहरात और वस्तुओं के लिये अग्रिम लाइसेंस की स्कीम

अध्याय सात में निहित अग्रिम लाइसेंस स्कीम के प्रावधान सोने और चांदी के जवाहरात और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात पर लागू होंगे।

ङ. निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई. पी. जैड.) और निर्यात अभिमुख यूनिट (ई. ओ. यू.) परिसरों से सोने और चांदी के जवाहरात और वस्तुओं के निर्यात की स्कीम

निर्यात अभिमुख यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिटों की स्कीम के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं और निर्यात संसाधन वाले क्षेत्रों में स्थापित की गई यूनिटें ई. पी. जेड. स्कीम के समान्य प्रावधानों द्वारा शासित होती है। निम्नलिखित को छोड़कर।

(1) रिजेक्ट्स समेत किसी की भी बिक्री भी अनुमति घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी. टी. ए.) में नहीं मिलेगी और

(2) यदि कोई यूनिट कार्य करना बन्द कर देती है तो सोना और दूसरी कीमती धातु एलाय, रत्न और अन्य सामग्री जो जवाहरात के विनिर्माण के लिये उपलब्ध होगा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी एजेंसी को उस एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर सौप दिया जायेगा।

ये यूनिट स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं से विनिर्मित कच्चे माल, अनाय कैरेट, स्वर्ण, रंगीन स्वर्ण, कीमती धातु जिनमें चांदी, प्लाटिनम और पलाडियम, फाइन्डिंग्स, माउन्टिंग्स, साकेट और फ्रेम भी शामिल हैं का आयात कर सकती है। ये यूनिटें हीरें, रंगीन रत्न और पत्थरों अर्ध मूल्यवान पत्थरों, अर्ध मूल्यवान पत्थरों, सिन्थेटिक पत्थरों, मोतियों आदि का भी आयात कर सकती है। उसके अतिरिक्त इन यूनिटों को भारतीय स्टेट बैंक या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी के जरिये 0.995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण भी उपलब्ध कराया जा सकता है। 0.995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण की आपूर्ति के लिये निर्यात संसाधन क्षेत्र के लिये विकास आयुक्त अथवा निर्यात-अभिमुख यूनिट परिसर के प्रायोजित प्राधिकारी के जरिये आवेदन कर सकती है। इन यूनिटों को निर्यात अभिमुख यूनिट स्कीम और निर्यात संसाधन क्षेत्र स्कीम पर लागू प्रक्रिया के अनुसार पूंजीगत माल, प्रोटोटाईप्स, तकनीकी नमूनों, उपभोज्यों, अतिरिक्त पुर्जों और पैकेजिंग सामग्री के आयात की अनुमति दी जा सकती है तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर 0.995 शुद्धता वाले स्वर्ण के आयात की अनुमति नहीं होगी।

मूल्य संयोजन को उस मूल्य पर संगणित किया जाये जिस मूल्य पर स्वर्ण कन्टेंट (जिसमें वेस्टेज भी शामिल है) चाहे यह 0.995 परिशुद्धता अथवा कोई अन्य शुद्धता वाला स्वर्ण हो का आयात किया गया हो। इसी प्रकार की प्रक्रिया आयातित चांदी (बिना वेस्टेज के) पर भी लागू होगी। सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों जिनमें वस्तुएं भी शामिल हैं, के निर्यात के लिये न्यूनतम मूल्य संयोजन क्रमशः 10% और 15% होगा। चांदी के सादे/जड़ित आभूषणों और वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य संशोधन 25 प्रतिशत होगा। एक निर्यातक को तराशें और पालिश किये गये हीरों, बहुमूल्य और अर्ध मूल्यवान पत्थरों, मोतियों और सिन्थेटिक पत्थरों जिनका उपयोग, स्टेटडिग्स के रूप में किया गया हो, के मूल्य पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य संयोजन प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। माउन्टिंग्स, फाइन्डिंग्स, आदि के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का भी मूल्य संयोजन के लिए हिसाब में लिया जाय और उनका आयात और निर्यात नेट के लिये नेट के आधार पर किया जायेगा

कम तराशें और पालिश किये गये हीरों और बहुमूल्य अर्ध मूल्यवान पत्थरों का निर्यात करने वाली यूनिटों के मामले में प्राप्त किये जाने वाले आवश्यक न्यूनतम मूल्य संयोजन को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से ऐसे निर्यातों के लिए उपलब्ध इसी अवधि की प्रतिपूर्ति दरों के आधार पर संगणित किया जायेगा। स्वर्ण और चांदी के आभूषणों और वस्तुओं से अलग, अन्य कीमती धातुओं से बने आभूषणों और वस्तुओं का विनिर्माण और निर्यात पूर्वोक्त निर्यात अभिमुख यूनिट परिसरों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है। प्लेटिनम और पैलेडियम आदि के सम्बन्ध में मूल्य संयोजन और अन्य आवश्यकताएं, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अधिसूचित की जाएंगी।

अनुमित किये जाने वाले आभूषणों के नमूनों को उपर्युक्त पहचान के बाद पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है।

स्वर्ण की स्क्रैप डस्ट स्वीपिंग्स निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थित यूनिटों से भारत सरकार टकसाल को भेजने की अनुमति दी जा सकती और स्टैन्डर्ड स्वर्ण की छड़ों के रूप में उस क्षेत्र को सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापिस भेजी जा सकती है।

सम्बन्धित निर्यात संसाधन क्षेत्र/निर्यात अभिमुख यूनिट परिसर के विकास आयुक्तों द्वारा इस अध्याय के पैरा 8.5 के अनुसार अपरिष्कृत हीरों के पुनः निर्यात की अनुमति आयातित अपरिष्कृत हीरों के मूल्य के 5 प्रतिशत तक दी जाएगी।

निर्यात अभिमुख यूनिटें/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटें सरकार द्वारा अनुमोदित प्रदर्शनियों में जा ले सकती हैं। देश में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों में बिक्री की अनुमति नहीं होगी। आभूषणों के इन क्षेत्रों/परिसरों से ले जाने और वापस लाने सम्बन्धी कुलाई की प्रक्रिया सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों का निर्यात भी निर्धारित न्यूनतम मूल्य संयोजन की अधिप्राप्ति के अध्यधीन अनुमित होगा।

भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि. समय-समय पर संशोधित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत स्थापित स्वीकृत स्वर्ण आभूषण विनिर्माण करने वाली निर्यात यूनिटों को स्वर्ण अनाय, कैरेट स्वर्ण, फाइन्डिंग्स समेत जिनमें 0.999 परिशुद्धता वाला स्वर्ण शामिल नहीं है, स्वर्ण, स्वर्ण मध्यस्थों और संघटकों को भी आपूर्ति करेगा।

च. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिटों द्वारा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत 18 कैरट से ऊपर के स्वर्ण का सीधे आयात करने हेतु योजना।

सादे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के मद्दे जहां निर्यात आयात निर्युक्त विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त की जा चुकी हो, सक्षम प्राधिकारी (1) 0.0995 परिशुद्धता वाले, स्वर्ण, और (2) 0.920 परिशुद्धता, वाली फाइण्डिंग्स/माउन्टिंग्स, जो लाइसेंस के मूल्य का 10 प्रतिशत तक होगी जो लाईसेंस के समूचे मूल्य के अन्तर्गत होगी, के सीधे आयात के लिए निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 87 प्रतिशत की दर से अहस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है।

जड़ित स्वर्ण आभषणों के निर्यात के लिए जहां निर्यात आय विदेशी मुद्रा में पूर्णतः अधिप्राप्त हो चुकी हो, संबंधित प्राधिकारी निम्नलिखित के सीधे आयात के लिये निर्यातों के जहाज पर्यन्त मूल्य के 80 प्रतिशत की दर से अहस्तान्तरणीय प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी कर सकता है:—

(1) 0.995 परिशुद्धता वाला स्वर्ण, जिसकी कीमत निर्यातित स्वर्ण जड़ित आभूषणों में उपयोग में लाए गए शुद्ध स्वर्ण (0.999 परिशुद्धता), की मात्रा, जैसी कि सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत की गई हो, को हिसाब में लेकर निर्यात की तारीख को शुद्ध स्वर्ण (0.999 परिशुद्धता) के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य द्वारा गुणा करके, भारतीय स्टेट बैंक की पदनामित शाखाओं द्वारा प्रमाणित किया गया हो, स्टडिंग्स के अवशिष्ट प्रतिपूर्ति मूल्य का 20 प्रतिशत जमा करके निर्धारित की जायेगी।

(2) लाइसेंस के मूल्य के 10 प्रतिशत तक तथा लाइसेंस के समुचे मूल्य के अन्तर्गत 0.920 परिशुद्धता की स्वर्ण फाइन्डिंग्स/माउन्टिंग्स, और

(3) अपरिष्कृत हीरे, अपरिष्कृत रंगीन रत्न, पत्थर और शेष मूल्य के लिए अपेक्षित/बिना सेट किए हुए रीयल अथवा कलचर्ड मोती।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस इसके जारी किए जाने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिये वैध होंगे।

छ. स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस के अन्तर्गत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिटों द्वारा निर्यात उत्पादन के लिए निर्यात पूर्व आधार पर 18 कैरट से ऊपर के स्वर्ण के आयात की योजना

पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान तीन करोड़ और इससे अधिक के सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों के औसत निर्यात निष्पादन करने वाला निर्यातक अपने स्वर्ण के नाम में वैध निर्यात डेके के मद्दे स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस का पात्र होगा। यह लाइसेंस उसके सर्वोत्तम तीन वर्षों जमा उस पर 25 प्रतिशत के बराबर मूल्य के लिए जारी किया जा सकता है। उपरी सपूची पात्रता के अन्तर्गत निर्यातक सादे और जड़ित स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिये अलग से स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। लाइसेंस में निम्नलिखित शर्तें विहित होंगी:—

(1) नीचे निर्दिष्ट तरीके से निर्यात आभार;

(2) लाइसेंस मूल्य की शर्तों में होगा और यह 0.995 परिशुद्धता वाले स्वर्ण के निर्यात के लिए वैध होगा;

(3) लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होगा;

(4) लाइसेंस के मद्दे स्वर्ण का आयात किये जाने के बाद निर्यात किये जाएंगे;

(5) लाइसेंस इसके जारी होने की तारीख से छः माह के लिये वैध होगा।

सादे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए जारी किए गए स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस के लिए 87 प्रतिशत के विपरीत अनुपात में निर्यात आभार होगा अर्थात् यदि स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस 87 अमरीकी डालर के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है तो निर्यात आभार 100 अमरीकी डालर होगा। स्वर्ण जड़ित आभूषणों पर निर्यात आभार 80 प्रतिशत के विपरीत अनुपात में निर्धारित किया जाएगा अर्थात् यदि स्वर्ण अग्रदाय लाइसेंस 80 अमरीकी डालर के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है तो निर्यात आभार 100 अमरीकी डालर होगा। निर्यात आभार स्वर्ण की प्रत्येक प्रेषण की निकासी की तारीख से 120 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे तथा निर्यातक इन निर्यातों पर प्रतिपूर्ति के लाभ का दावा किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार की उसके द्वारा तोड़ी गई सीमा तक नहीं करेंगे।

89. अन्य प्रावधान.—

निर्यातक को ऊपर 78 (च) और 78 (छ) में दी गई योजनाओं को छोड़कर निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 3 प्रतिशत तक एजेन्सी कमीशन का भुगतान करने की अनुमति है। जहां कहीं ऐजन्सी कमीशन का भुगतान किया जाए, वहां ऐजन्सी कमीशन की प्रतिशतता द्वारा न्यूनतम मूल्य संयोजन में तदनुरूप वृद्धि की जाएगी।

90. पैरा 88 (क) से (ङ) तक उल्लिखित योजनाओं के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रक्रिया पुस्तक में निहित अनुसार स्वर्ण वेस्टेज अथवा विनिर्माण घाटे की अनुमति होगी।

91. ऐसे मामले में जहां निर्यातक न्यूनतम निर्धारित मूल्य संयोजन प्राप्त करें, वहां सादे स्वर्ण/चांदी के आभूषणों के निर्यात पर पैरा 78 (क) से (च) तक में उल्लिखित योजना के अन्तर्गत रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। ऐसे लाइसेंस का मूल्य न्यूनतम मूल्य संयोजन की अतिरिक्त अधिप्राप्ति के सदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। जटित स्वर्ण/चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के निर्यातक रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस के पात्र होंगे जिसे वेस्टेज सहित सोने पर मूल्य संयोजन के लिए गणना के बाद निर्यात की गई मदों में उपयोग में लाई गई स्टडिंग्स के मूल्य को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। लाइसेंसिंग के प्रयोजन के लिए स्टडिंग्स को चार वर्गों में बांटा जाएगा नामशः :

(क) हीरे

(ख) बहुमूल्य पत्थर

(ग) अर्द्ध मूल्यवान और सिन्थेटिक पत्थर और

(घ) मोती

प्रतिपूर्ति का पैमाना प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया है। ये लाइसेंस बिना अपरिष्कृत हीरों बहुमूल्य पत्थरों, अर्द्ध मूल्यवान पत्थरों, सिन्थेटिक पत्थरों और मोतियों के आयात के लिए वैध होंगे। इसके अतिरिक्त लाइसेंस के मूल्य के 1 प्रतिशत तक वाली आभूषणों के आयात के लिए वैध होगा।

92. बीजक.—

सभी स्कीमों के अन्तर्गत आयात और निर्यात के बीजक अमरीकी डालर में होंगे।

अध्याय—IV

निर्यात अभिमुख यूनिटें और निर्यात संसाधन क्षेत्रों की यूनिटें

पात्रता 93. —

अपने सारे उत्पादन को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई.ओ. यू) या निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई.पी.जैड.) स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं। ऐसी यूनिटें साफ्टवेयर, बागवानी, कृषि, जलचर पालन, पशुपालन या इस प्रकार के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हो सकती हैं। सेवा कार्यकलापों में लगी यूनिटों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

94. माल का आयात.—

यूनिट उत्पादन के लिए आवश्यक निम्नलिखित माल बिना शुल्क दिए आयात कर सकती हैं, बशर्ते कि वे आयातों की निषेधात्मक सूची में वर्जित मदें न हों :

(क) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों सहित पूंजीगत माल ;

(ख) कच्चा माल, संघटक, मध्यस्थ, अर्द्धतैयार माल, अतिरिक्त पूर्जे भाग तथा उपभोज्य ;

(ग) प्रोटोटाइप्स, कार्यालय उपस्कर और कार्यालय उपस्कर के लिए उपभोज्य; और

(घ) फोर्कलिफ्ट, ओवर हैड क्रेन आदि जैसे माल उठाने-रखने वाले उपकरण ।

95. पुराना पूंजीगत माल :– पुराना पूंजीगत माल का आयात भी अध्याय-पांच दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

96. पूंजीगत माल का पट्टा करना.—पार्टियों के बीच में हुए पक्के ठेके के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट परेलू पट्टे वाली कम्पनी से पूंजीगत माल उठ सकती है। ऐसे मामले में, परेलू पट्टे वाली कम्पनी शुल्क मुक्त पूंजीगत माल आयात करने की पात्र होगी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसधान क्षेत्र की यूनिटों को इसकी आपूर्ति ऐसी शर्तों पर करेगी जो दोनों पार्टियों में आपसी सहमति निर्धारित की जाए। तथापि, जब तक कि यूनिट द्वारा निर्यात आभार पूरा नहीं किया जाता है, तब तक पूंजीगत माल निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्रों की यूनिटों की पूंजीगत परिसम्पत्ति के एक भाग के रूप में बना रहेगा और उन्हें किसी अन्य उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

97. मूल्य संयोजन.—यूनिट कम से कम 20 प्रतिशत का मूल्य वर्धन प्राप्त करेगी किन्तु परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट उद्योगों में लगी हुई यूनिटें उसमें निर्दिष्ट मूल्य वर्धन मानदण्डों को पूरा करेगी।

98. विधिक वचन बद्धता .—यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक बन्धपत्र/विधिक वचन बद्धता प्रस्तुत करेगी और अनुमोदन/आशय-पत्र में निर्धारित आभारों को पूरा न करने पर विफलता के मामले में वह उस बंध पत्र/विधिक वचनबद्धता या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के अधीन दण्ड की भागी होगी ।

99. मुद्रा सन्तुलन :—यदि भुगतान क्षेत्र (आर०पी०ए०) को निर्यात के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी०सी०ए०) से आयात वाले किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन एवं अंतर्वाह संतुलित हो। यह पहले ही दिए गए अनुमोदनों में सुधार या परिवर्तन के प्रस्तावों पर भी लागू होगा।

100. स्वत अनुमोदन:—परियोजना आवेदन पत्रों पर जो उद्योग मंत्रालय के प्रैस नोट संख्या 3(1991 सिरिज) के पैरा 3 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा 15 दिन के अन्दर-अन्दर स्वत: अनुमोदन किया जा सकता है। निर्यात अभिमुख यूनिटों के मामले में ऐसा अनुमोदन औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस. आई. ए) द्वारा दिया जाएगा।

101. अन्य मामले:—अन्य मामलों में अनुमोदन इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए बोर्डों द्वारा दिया जा सकता है।

102. डी. टी. ए. बिक्री (घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री).—निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसधान क्षेत्र की यूनिटों का सकल उत्पादन निम्नलिखित को छोड़कर निर्यात किया जाएगा:—

(क) 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित प्रतिशत तक रिजेक्ट्स को घरेलू क्षेत्र में बेचा जा सकता है बशर्ते कि उपयुक्त करों का भुगतान कर दिया गया हो।

(ख) मूल्य के अनुसार देशी आयात 30 प्रतिशत से अधिक होने पर इसके अंतर्गत उत्पादन का 25 प्रतिशत घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचा जा सकता है। जब ऐसे निवेश 30 प्रतिशत से कम हो तो डी. टी.ए. बिक्री, मूल्य के अनुसार 15 प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकेगी। डी. टी.ए. बिक्री न्यूनतम मूल्य वर्धन तथा निर्यात आभार की पूर्ति के अधीन होंगे। आभूषणों, हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/रत्नों, मोटर कारों, रिकार्डिड विडियो तथा आडियो कैसेट एवं सिल्वर बुलियन के संबंध में डी. टी. ए. में बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

103. निर्यात आभार.—निर्यात आभार पूरा करने में निम्नलिखित आपूर्तियों को हिसाब में लिया जाएगा:—

(क) विश्व टैंडर शर्तों के अधीन घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की गई आपूर्ति ;

(ख) विदेशी मुद्रा में भुगतान के मुद्दे घरेलू टैरिफ क्षेत्र में की गई आपूर्ति ;

(ग) अग्रिम लाइसेंसों तथा आयात लाइसेंसों के मुद्दे आपूर्ति ;

(घ) विकास आयुक्त की अनुमति से अन्य निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों के लिए आपूर्ति।

104. निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन के जरिये निर्यात.— कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसधान क्षेत्र की यूनिट अपने विनिर्मित माल का निर्यात इस नीति के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यातार सदन के जरिए कर सकती है। यह अनुमति केवल निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन द्वारा माल के विपणन तक ही सीमित है। माल का विनिर्माण निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों में किया जाएगा मूल्य वर्धन तथा निर्यात आभार और साथ ही आयात एवं निर्यात संबंधी कोई अन्य आभार निर्यात उन्मुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा पूरे किए जाते रहेंगे।

105. विकास आयुक्त निम्नलिखित की भी अनुमति दे सकता है:—

(क) निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उत्पादित माल के समुचित मात्रा में, नमूनों की आपूर्ति या बिक्री जो लगाए जाने वाले शुल्क का भुगतान करने पर प्रदर्शनी या प्रचार आदेशों के लिए हो। ऐसे माल को लौटाने का समुचित आश्वासन देने पर ऐसे नमूनों को यूनिटों से हटाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) डी. टी. ए. में बिक्री किए गए परन्तु त्रुटिपूर्ण पाए गए माल को मरम्मत विस्थापन हेतु वापिस लाना। ऐसा माल यूनिट से हटाया जा सकता है बशर्ते कि माल की पहचान हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारी संतुष्ट हों।

(ग) मरम्मत/परीक्षण अथवा व्याससमापन हेतु डी.टी.ए. के माल का स्थानांतरण बशर्ते कि निर्यात अभिमुख यूनिट के मामले में इसकी f सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दी जाए।

106. डी.टी.ए. से आपूर्ति के लाभ .— घरेलू टैरिफ क्षेत्र से निर्यात अभिमुख यूनिटों /निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को आपूर्ति अभिग्रहीत निर्यात समझी जाएगी और निम्नलिखित लाभों की पात्र होंगी:—

(क) सीमाकर उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर तथा सीमाशुल्क ड्राबैक की वापसी ।

(ख) इस पैराग्राफ के अधीन की गई आपूर्ति वाले पंजीगत माल, संघटकों तथा कच्चे माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

(ग) संभरक पर निर्यात आभार यदि कोई हो, का निष्पादन ।

107. शर्तें.—पैराग्राफ 106 के अन्तर्गत बताएं गए लाभ उपलब्ध होंगे बशर्ते कि आपूर्ति किया गया माल देश में निर्मित किया गया हो और आपूर्ति विकास आयुक्त द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के मद्दे की गई हो।

108. निर्यात संसाधन क्षेत्र/निर्यात अभिमुख यूनिटों के लिये लाभ :—रियायती किराया

निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थापित यूनिटें तीन वर्षों के लिए आबंटित औद्योगिक प्लाट तथा मानक डिजाइन फैक्टरी (एस.डी.एफ.) भवन/शैड के पट्टे के लिए प्रथम निम्नलिखित दरों पर रियायती किराए के लिए पात्र होंगी:—

प्लाटों के लिए —यदि पहले अथवा दूसरे वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ हो गया हो तो यह रियायत पहले वर्ष के लिए 75 प्रतिशत दूसरे वर्ष के लिए 50 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष के लिए 25 प्रतिशत होगी। यदि उत्पादन दूसरे वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ नहीं हुआ हो तो तीसरे वर्ष के लिए रियायत नहीं दी जाएगी।

मानक डिजाइन फैक्टरी भवन/शैड के लिये : यदि उत्पादन पहले वर्ष में प्रारम्भ हो गया हो तो पहले वर्ष के के लिए रियायत 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष के लिए 40 प्रतिशत होगी । यदि उत्पादन पहले वर्ष में प्रारम्भ हो गया हो तो तीसरे वर्ष के लिए 25 प्रतिशत मिलेगी वह रियायत उपलब्ध नहीं होगी यदि पहले ही वर्ष के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ हुआ न हो ।

कर छूट : निर्यात अभिमुख यूनिटों और निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को कार्य प्रारम्भ करने के प्रथम 8 वर्षों में 5 वर्षों के ब्लाक के दौरान निगमित कर के भुगतान से छूट होगी ।

आई पी आर एस निर्यात : अभिमुख यूनिटों और निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को लौहा एवं इस्पात का संभरण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति स्कीम उपलब्ध होगी।

शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी:—निर्यात अभिमुख यूनिटों और निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों के मामले में शत-प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी अनुमेय है।

109. अन्त: यूनिट स्थानान्तरण :—

विकास आयुक्त एक निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट से दूसरी निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट, एक निर्यात संसाधन क्षेत्र से एक निर्यात अभिमुख यूनिट, निर्यात अभिमुख यूनिट से एक निर्यात संसाधन यूनिट या निर्यात अभिमुख यूनिट से दूसरी निर्यात अभिमुख यूनिट को विनिर्मित माल के स्थानान्तरण की अनुमति दे सकता है।

110. निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों द्वारा आयातित माल को विकास आयुक्त की अनुमति से अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट /निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट को उधार पर दिया जा सकता है अथवा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

111. उप संविदा करना :— निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन यूनिटों को अपने उत्पादन के भाग को घरेलू टैरिफ क्षेत्र की यूनिटों को फुटकर काम के लिए उप संविदा करने की अनुमति प्रत्येक मामले के आधार पर दी जा सकती है। इस मामले में प्राप्त अनुरोध पर संबद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा कतिपय कारकों के आधार पर विचार किया जा सकता है जैसे कि बाण्ड भरने का औचित्य, निवेश एवं उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण तथा संबद्ध यूनिटों द्वारा वचन/बन्धपत्र प्रस्तुत करना।

112. आयातित माल की बिक्री :— यदि कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट वैध कारणों से आयातित माल का उपयोग करने में असमर्थ रहती है, तो वह विकास आयुक्त की अनुमति से पुन: निर्यात कर सकती है, बशर्ते कि मूल्यांकन आदि के संदर्भ में सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने अनुमति दे दी है। ये शुल्कों की अदायगी पर विकास आयुक्त की अनुमति से घरेलू टैरिफ क्षेत्र के किसी वास्तविक उपयोक्ता को भी ऐसे माल का स्थानान्तरण किया जा सकता है।

113. आयातित मशीनरी/पूंजीगत माल जो पुराना हो गया हो, को उसके घटे हुए मूल्य पर सीमाशुल्क का भुगतान करने के अध्यधीन निपटाया जा सकता है ।

114. रद्दी माल का निपटान :— इसके लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अध्यधीन विकास आयुक्त लागू शुल्कों और करों का भुगतान करने पर उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न रद्दी/उपशिष्ट उत्पाद/अवशेष की बिक्री घरेलू टैरिफ क्षेत्र में करने की अनुमति दे सकता है। परिशिष्ट दो में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा ऐसी रद्दी/अपशिष्ट उत्पाद/अवशेष का प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा ।

115. निजी बंधित माल गोदाम :— निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निर्यात अभिमुख यूनिटों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों के लिए शुल्क मुक्त कच्चे माल, संघटक आदि के स्टाक एवं बिक्री के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों के भीतर बिक्री के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों के भीतर निजी माल गोदाम स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है :—

(क) निजी बंधित माल गोदाम निर्यात संसाधन क्षेत्र के अन्दर स्थित होंगे ;

(ख) ऐसे निजी बंधित माल गोदाम के लिए आयातों की अनुमति विशिष्ट लाइसेंसों के मद्दे दी जाएगी ; ऐसी मदों के आयात के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी जो उपभोक्ता यूनिटों द्वारा अपेक्षित न हों ; और

(ग) निजी माल गोदाम द्वारा आयातित मदों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

116. बन्धपत्र की लागू अवधि :— निर्यात अभिमुख स्कीम के अन्तर्गत यूनिटों के लिए बंधपत्र की लागू अवधि 10 वर्ष होगी । तीव्र प्रौद्योगिकी परिवर्तन करने वाले उत्पादों के मामले में यह अवधि अनुमोदन बोर्ड (बी. ओ. ए.) द्वारा घटाकर 5 वर्ष की जा सकती है । बन्धपत्र की लागू अवधि पूरी होने पर यह यूनिट की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह, इसे जारी रखे या स्कीम में कोई विकल्प ढूंढे । तथापि, बन्धपत्र से इस प्रकार की मुक्ति विकल्प देते समय लागू औद्योगिक नीति के अध्यधीन दी जाएगी ।

117. बन्धपत्र से विमुक्ति :— निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों को निर्यात आभार, मूल्यवर्धन या अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति में असमर्थ होने पर अनुमोदन बोर्ड की संतुष्टि पर बाण्ड रहित किया जा सकता है । इस प्रकार बन्धपत्र से वंचित करने में ऐसे दण्ड दिए जाएंगें जिन्हे निम्नलिखित करों के आधार पर लगाया जा सकता है :—

(क) घटे हुए मूल्य पर लेकिन आयात के लिए समय प्रचलित दरों पर पूंजीगत माल पर सीमा शुल्क ;

(ख) आयात के समय मूल्य पर तथा निकासी के समय चालू दरों पर अप्रयुक्त कच्चे माल और संघटकों पर सीमाशुल्क ।

118. परिवर्तन :— मौजूदा डी. टी. ए. यूनिटें किसी निर्यात अभिमुख यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती है लेकिन पहले से प्रतिष्ठापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत शुल्कों और करों में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

119. इस अध्याय के लिए "मूल्य संयोजन" प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाएगा और निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :—

$$\text{वी. ए.} \quad \frac{\text{ए–बी}}{\text{ए}} \times 100,$$

जहां वी.ए. = मूल्य संयोजन है

ए = निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिट द्वारा रिलीज किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है, और

बी. = सभी आयातित निवेशों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का कुल योग, कमीशन, रायल्टी, फीस या किसी अन्य अधिकार के माध्यम के विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतानों का मूल्य और निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र यूनिट द्वारा खरीदे गए सभी देशीय निवेशों का मूल्य है । निवेशों का अर्थ है—कच्चा माल, मध्यवर्ती, संघटक, कम्प्यूमेबिल्स पार्टस और पैकिंग सामग्री ।

अध्याय दस

अभिग्रहीत निर्यात

120. परिभाषा :— "अभिग्रहीत निर्यात" का अर्थ उस लेन देन से है जिसमें संभरित किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता है और संभरक द्वारा माल के लिए भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त किन्तु संभरण से देश के लिए विदेशी मुद्रा की आय अथवा बचत होती है ।

121. संभरण की श्रेणियां :— इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का संभरण "अभिग्रहीत निर्यात" के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित है और भुगतान भारतीय रुपयों में प्राप्त हुआ है :

(क) शुल्क मुक्त स्कीम के तहत जारी "शुल्क मुक्त लाइसेंसों" के मद्दे माल का संभरण ।

(ख) विदेशी समुद्री जहाजों और विदेशी हवाई सेवाओं को भारत में माल का संभरण ।

(ग) निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई. पी. जैड.) या निर्यात अभिमुख यूनिटों (ई. ओ. यू.) में स्थित यूनिटों को माल का संभरण ।

(घ) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम (ई. पी. सी. जी.) के तहत लाइसेंस धारकों को पूंजीगत माल का संभरण ।

(ङ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ. एन. जी. सी.) आयल इंडिया लि. (ओ. आई. एल.) और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी. ए. आई. एल.) को उनके अपतटीय और तटीय अनुसंधान, ड्रीलिंग और उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए पूंजीगत माल, संघटकों, पुर्जों, कच्चे माल, उपभोज्यों, उपकरणों, उपसाधित्रों, औजारों और अतिरिक्त पुर्जों का संभरण ।

(च) निम्नलिखित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत या उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार सीमित निविदा पद्धति के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अभिकरण/निधि द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल का संभरण :—

(1) अरब आर्थिक विकास के लिए आबूधाबी फण्ड ।

(2) एशियाई विकास बैंक (ए. डी. बी.)

(3) अन्तर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक)

(4) कृषि विकास अन्तर्राष्ट्रीय निधि ।

(5) के. एफ. डब्ल्यू. ।

(6) अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैती निधि ।

(7) पेट्रोल निर्यातक देश संघ निधि (ओपेक)

(8) सऊदी विकास निधि (एस. एफ. डी.)

(9) संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (यू. एस. ए. आई. डी.) ।

(10) विदेश आर्थिक सहयोग निधि के माध्यम से मार्गांकित मेम क्रेडिट (ओ. ई. सी. एफ.) ।

(छ) उर्वरक संयंत्रों को भारतीय मुख्य ठेकेदारों द्वारा पूंजीगत माल का संभरण, यदि संभरण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अधीन किया गया हो ।

122. अभिग्रहीत निर्यात के लिए लाभ :— अभिग्रहीत निर्यात के रूप में पात्रता करने वाले माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में अभिग्रहीत निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे :—

(1) अध्याय सात के अधीन शुल्क मुक्त स्कीम ।

(2) शुल्क वापसी स्कीम ।

(3) टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी ।

(4) आयात की निषेधात्मक सूची में शामिल ऐसी मदों के आयात के लिए ऐसे मूल्य या अभिग्रहीत निर्यात के मूल्य के ऐसे अनुपात के लिए इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस ।

अध्याय-ग्यारह

निर्यात

123. मुक्त निर्यात—सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबन्ध के होंगे लेकिन यह वहीं तक सीमित रहेगा जहां तक कि वे निर्यात की निषेधात्मक सूची या इस नीति के प्रावधानों द्वारा या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित होते हों ।

124. पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर.सी.एम.सी.)—; कोई भी व्यक्ति जो, आयात या निर्यात लाइसेंस के लिए अथवा इस नीति के अन्तर्गत लाभ या माफी के लिए आवेदन करता है उसे निर्यात संवर्धन परिषद् (ई.पी.सी.) जिसका वह सदस्य है, से पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

125. परियोजना निर्यात:—विशिष्ट रूप से विनियमित न की गई मदों का निर्यात विदेश में परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। निर्यात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित मदों के निर्यात की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।

126. संविदाओं को अनामांकित करना:—सभी निर्यात संविदाएं मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में अनामांकित की जा सकेंगी। उन संविदाओं के मामले में जिनका भुगतान एसियन क्लीयरिंग यूनियन (ए.सी.यू.) के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो उसे आयातक अथवा निर्यातक देश में अथवा मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में अनामांकित किया जा सकता है। तथा इस प्रकार प्राप्त हुए सारे भुगतान को परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त हुआ माना जाएगा।

127. रुपया भुगतान क्षेत्र के देशों के साथ निर्यात संविदायें:—रुपये भुगतान वाले देशों/पूर्ववर्ती रुपये भुगतान वाले देशों के लिए निर्यातों की अनुमति इन देशों के साथ हस्ताक्षरित व्यापार करार/नयाचार की शर्तों के अन्तर्गत दी जा सकती है। तथापि, गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपयों में भुगतानों के मद्दे ऐसे देशों के लिए निर्यात को ऐसे प्राधिकारी के पास पंजीकरण होना अपेक्षित है जो इस आशय के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो।

128. पुन: निर्यात:—इस नीति के अधीन सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी.सी.ए.) में स्थित किसी देश आयातित माल को उसी अथवा कुछ बदली हुई स्थिति में रुपया भुगतान क्षेत्र के किसी देश को बिना लाइसेंस के निर्यात नहीं किया जा सकेगा।

129. निजी असबाब का निर्यात:—बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वास्तविक निजी असबाब को या तो यात्रियों के के साथ ही या यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है। निर्यात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित मदों के लिये प्रति व्यक्ति 100 किलोग्राम की सीलिंग तक की खाद्य मदों को छोड़कर सक्षम प्राधिकरी से एक लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

130. जहाज भण्डागार.—निषेधात्मक सूची में आने वाली मदों को छोड़कर सभी मदों को नौ परिवहन पोतों के कर्मीदल तथा यात्री जहाज भण्डार के तौर पर बिना लाइसेंस के ले आ सकते हैं। निर्यात की निषेधात्मक सूची में सम्मिलित मदों के लिये प्रतिबंधित मदों को छोड़कर भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मदों के लिये लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है।

131. उपहारों का निर्यात:—3,000/- रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी माल का निर्यात उपहार स्वरूप नहीं किया जा सकता। केवल 3,000/- रुपये तक मूल्य की खाद्य सामग्री को छोड़कर निर्यात निषेधात्मक सूची में मदों को उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस के निर्यात नहीं किया जा सकता।

132. देशीय अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात:—उपस्कर मशीनरी, आटोमोबाइल के वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों और अन्य मदों का निर्यात मुख्य उपस्कर के साथ ही साथ या बाद में अपनी वारण्टी/निष्पादन गारण्टी के दौरान विगत लाइसेंसिंग अवधि के निर्यातों के कुल जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य 2% तक दिया जा सकता है। इस प्रकार के निर्यातों की घोषणा निर्यातक के बीजक पोत परिवहन बिल और जी आर फार्म में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से अवश्य की जानी चाहिये। जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2% से अधिक मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों को गुण दोष के आधार पर निर्यात लाइसेंसिंग समिति (ई.एल.सी.) द्वारा अनुमित किया जायेगा।

133. पारगमन सुविधा:—भारत के समीपवर्ती देशों, जिनका अपना स्वयं का कोई समुद्री स्थल न हो, के साथ स्थल से माल भेजने की अनुमति है बशर्ते कि पारगमन ट्रैफिक को विनियमित करने की प्रक्रिया के अनुसार वे माल उस देश में ही खपत के लिये हों।

134. अन्तर्वर्ती प्रबन्ध :—यदि अन्यथा रूप में मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इस नीति का कोई संशोधन इसमें व्यवधान उत्पन्न करता है या संशोधन से पूर्व पूर्ण भुगतान अग्रिम प्राप्त होने की स्थिति में अपराक्राम्य साख-पत्र द्वारा समर्थित होने पर यदि निर्यात का किसी अनुबन्ध इस प्रकार तैयार करना चाहिए जैसे कि यह संशोधन उसके मामले में लागू नहीं होता है।

अध्याय बारह

निर्यात सदन, व्यापार सदन और स्टार व्यापार सदन

135. परिभाषा:—31 मार्च, 1992 तक समय-समय पर निर्धारित किये गये मानदण्ड के अन्तर्गत व्यापारी और विनिर्माता निर्यातकों और व्यापारिक कम्पनियों इनमें विदेशी इक्विटी रखने वाली सहित निर्यात अभिमुख यूनिटों (ई.ओ.यू.) और निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई.पी. जैड.) में स्थित यूनिटों को निर्यात सदन, व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी गई है। सभी निर्यात सदन, व्यापार सदन और स्टार व्यापार सदन उनको स्वीकृत समय के लिये उस स्थिति को बनाये रखेंगे।

136. नवीनीकरण के लिये मानदण्ड—तथापि, जब कोई निर्यात सदन, व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन पूर्वोक्त समयावधि की समाप्ति पर निर्यात सदन, व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन, जैसा भी मामला हो, के रूप में मिली मान्यता के नवीनीकरण के लिये आवेदन करता है तो ऐसी मान्यता निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत दी जायेगी ।

137. मान्यता के लिये मानदण्ड—निर्यात सदन, व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता के लिये 1 अप्रैल, 1992 से गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा अथवा गत वर्ष में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा, जो भी पूरा करता हो, निम्नानुसार मानदण्ड होगा :—

वर्ग	आधारभूत अवधि अर्थात् गत तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का वार्षिक औसत रुपयों में	आधारभूत अवधि अर्थात् गत लाइसेंसिंग वर्ष में कमाई गई निवल विदेशी मुद्रा (एन.एफ.ई.) रुपयों में ।
निर्यात सदन	6 करोड़	12 करोड़
व्यापार सदन	30 करोड़	60 करोड़
स्टार व्यापार सदन	125 करोड़	150 करोड़

138. निवल विदेशी मुद्रा की गणना—इस मानदण्ड के उद्देश्य के लिए विदेशी निवल मुद्रा (एन.एफ.ई.) की गणना निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को शामिल करके और उसमें से निम्नलिखित को घटाकर की जाएगी :—

(क) उसके द्वारा आयातित सम्पूर्ण माल (पूंजीगत माल से भिन्न) का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, किसी सहयोगी या समर्थित विनिर्माता में नाम में या उसके माध्यम से आयातित (पूंजीगत माल से भिन्न) संपूर्ण माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य , और

(ग) निर्यात द्वारा कमीशन, रायल्टी शुल्क अथवा किसी अन्य प्रभार के रूप में मुद्रा के रूप में किया गया भुगतान ।

139. अगर कोई निर्यातक उपर्युक्त पैरा 137 के अन्तर्गत निर्यात सदन, व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल, 1992 को या इसके बाद आवेदन करता है तो 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान अर्जित निवल विदेशी मुद्रा की गणना उपर्युक्त पैरा 138 के अनुसार की जाएगी ।

140. लघु उद्योगों (एस.एस.आई.)/हस्तशिल्प क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ पैकेज और अवधि :— लघु उद्योगों और हस्तशिल्प क्षेत्रों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का क्रमशः द्विगुना और तीन गुना अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा । हस्तशिल्प उत्पादों में रेशम उत्पाद भी शामिल होंगे ।

141. निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन प्रमाण-पत्र, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, लाइसेंसिंग वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे । पहले प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने पर ऐसे सदनों को आवेदन करने और नवीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए छः माह की रियायती अवधि अनुमत होगी ।

142. लाभ: इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली एक स्कीम के अनुसार निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन आयातों की निषेधात्मक सूची में शामिल ऐसी मदों के आयात के लिए पूर्ववर्ती लाइसेंसिंग वर्ष में अर्जित किए गए ऐसे मूल्य या कुल विदेशी मुद्रा मूल्य से ऐसा अनुपात रखने वाले मूल्य के विशेष आयात लाइसेंसों को प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

अध्याय—तेरह

निर्यात संवर्धन परिषदें

143. निर्यात संवर्धन परिषदें—इस समय 19 निर्यात संवर्धन परिषदें हैं जिनका मूल उद्देश्य देश के निर्यात का संवर्धन एवं विकास करना है । प्रत्येक परिषद् किसी एक विशिष्ट उत्पादों के समूह, परियोजनाओं तथा सेवाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है । निर्यात संवर्धन परिषदें नीचे दी गई हैं :—

(1) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ।

(2) ओवरसीज कन्सट्रक्शन कौंसिल ऑफ इंडिया, बम्बई ।

(3) इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(4) प्लास्टिक एवं लिनौलियम निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।

(5) मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।

(6) रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ।

(7) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई ।

(8) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास ।

(9) खेल कूद सामग्री निर्यात संसर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(10) काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोचीन ।

(11) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता ।

(12) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(13) सिन्थेटिक एवं रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन, परिषद्, बम्बई ।

(14) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई ।

(15) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(16) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(17) ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ।

(18) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई

(19) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्, मद्रास ।

144. लाभ न कमाने वाले संगठन :—निर्यात संवर्धन परिषदें कम्पनी अधिनियम अथवा समितियां पंजीकरण अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत लाभ न कमाने वाले संगठन हैं । इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ।

145. भूमिका—निर्यात संवर्धन परिषदों की मुख्य भूमिका उच्च स्तर के माल के विश्वसनीय सप्लाईकर्ता और सेवाओं के देने के रूप में भारत के चित्र को प्रस्तुत करना है । विशेषतः निर्यात संवर्धन परिषदें, निर्यातकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विशिष्टयों के संवर्धन तथा मानीटरिंग के प्रेक्षणों का कार्य करेंगी । उन्हें माल और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्किटों में अवसरों और रुखों पर नजर रखनी होगी और निर्यातों के विस्तार तथा विविधता लाने के उद्देश्य से ऐसे अवसरों का लाभ उठाने में अपने सदस्यों की सहायता करेंगी ।

146. कर्त्तव्य—निर्यात संवर्धन परिषदों के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(क) अपने सदस्यों की उनके निर्यातों में विस्तार तथा वृद्धि करने में सहायता करना तथा वाणिज्यिक लाभकारी सूचनाएं उपलब्ध कराना ।

(ख) अपने सदस्यों को प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, गुणवत्ता तथा डिजाइन सुधार मानकों तथा विशिष्टियों, उत्पाद-विकास नवीन प्रक्रिया और अन्य ऐसे मामलों में व्यावसायिक परामर्श देना ।

(ग) विदेशी बाजार का अध्ययन करने के लिए विदेशों में अपने सदस्यों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरों को आयोजित करना ।

(घ) भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा खरीद-फरोख्त की गोष्ठियों में भाग लेने के प्रबंध करना ।

(ङ) केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर निर्यातक समुदाय एवं सरकार के बीच पारस्परिकता को बढ़ाना ।

(च) देश के निर्यातों एवं आयातों, अपने सदस्यों के निर्यातों एवं आयातों के साथ-साथ सम्बद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आंकड़ों की व्यवस्था करना तथा सांख्यिकीय आधार का निर्माण करना ।

147. सदस्यता—कोई भी निर्यातक/आयातक निर्यात संवर्धन परिषद् का सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है और निर्यात संवर्धन परिषद् के नियमों एवं विनियमों के अनुसार एक महीने के अंदर ऐसे आवेदन पर विचार एवं उसका निपटान किया जाएगा । सदस्यता प्राप्त होने पर आवेदक को एकदम एक पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी) दिया जाएगा ।

148. व्यावसायिक संस्था—निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को निभाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण है कि निर्यात संवर्धन परिषदें व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में कार्य करें। इस उद्देश्य के लिए ऐसे कार्यकारी अधिकारियों को जिन्हें व्यावसायिक ज्ञान एवं उद्योग, वाणिज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्किटिंग में अनुभव हो, निर्यात संवर्धन परिषदों में लाया जाना चाहिए।

149. स्वायत्तता—निर्यात संवर्धन परिषदें स्वायत्तशासी होंगी और अपने कामों को स्वयं विनियमित करेंगी। उन्हें बिक्री दलों अथवा प्रतिनिधियों को मेलों/प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए विदेशों में भेजने हेतु सरकार की मंजूरी लेना अपेक्षित नहीं होगा। सरकार केवल निर्यात संवर्धन परिषदों की वार्षिक योजनाओं एवं बजट को ही स्वीकृति देगी तथा उनके कार्य निष्पादन का प्रबोधन एवं मूल्यांकन करेगी। वाणिज्य/वस्त्र मंत्रालय वर्ष में दो बार, प्रथमतः वार्षिक योजना एवं बजट को स्वीकृति के लिए और दूसरी बार वर्ष के बीच में समीक्षा करने के लिए सम्बन्धित परिषद् की प्रबंध समिति के साथ परस्पर कार्यवाही करेंगे।

150. समर्थन के लिए शर्त—निर्यात संवर्धन परिषदों को सरकार द्वारा दिया गया समर्थन धनराशि के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार का निम्न पर निर्भर करेगा :—

(1) उनको सौंपे गए कार्यों का प्रभावी तरीके से निष्पादन।

(2) निर्यात संवर्धन परिषदों की सदस्यता का लोकतांत्रिकरण।

(3) नियमित अन्तरालों पर लोकतांत्रिक रूप से निर्यात संवर्धन परिषद् के पदाधिकारियों का चुनाव करना, और

(4) निर्यात संवर्धन परिषद् के लेखों की समय-समय पर लेखा परीक्षा कराना।

अध्याय—चौदह

गुणवत्ता

151. गुणवत्ता के प्रति जागरूक अभियान—भारत सरकार की नीति अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए विनिर्माताओं और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने की है। भारत सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थानों के लिए सुविधा और समर्थन में बढ़ोत्तरी करेगी।

152. राज्य स्तरीय कार्यक्रम—केन्द्र सरकार अपने-अपने राज्य में विशेषकर छोटे पैमाने और हस्तशिल्प क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान करेगी।

153. पुरस्कार और लाभ—केन्द्र सरकार आईएसओ 9000 (सीरिज) अथवा बी आई एस 14000 (सीरिज) अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोई अन्य समकक्ष गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करके विनिर्माताओं को मान्यता प्रदान करने और उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करने के लिए एक योजना प्रारम्भ करेगी। इस संबंध में, अधिसूचित की जाने वाली योजना में उल्लेख किए जाने वाले आयातों की निषेधात्मक सूची में शामिल मदों के आयात के लिए ऐसे विनिर्माता मूल्य या अपने आयातों के मूल्य से ऐसे अनुपात रखने वाले मूल्य के लिए विशेष आयात लाइसेंसों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

154. परीक्षण गृह—केन्द्र सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और स्तर ऊंचा करने में सहायता करेगी ताकि ऐसे परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए प्रमाणन को देश और विदेश में मान्यता मिल सके।

अध्याय—पन्द्रह

आयात की निषेधात्मक सूची

155. प्रतिबन्धित मदें

भाग-एक

क्रम सं.	मदों का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1	2	3
1.	निम्नलिखित सहित किसी पशु मूल का टैलो, फैट और/या रेंडरड, अनरेंडरड अथवा अन्यथा ऑयल :—	आयात अनुमेय नहीं है।
(1)	लार्ड स्टीरीन, ओलिया स्टीरीन, टैलो स्टीरीन, लार्ड ऑयल, ओलियो ऑयल तथा टैलो ऑयल जो किसी भी प्रकार से एम्लसीइफॉड या मिक्सड या तैयार न किया गया हो।	

1	2	3
	(2) नीट्स फूट ऑयल तथा बोन अथवा बेस्ट से फैट ।	
	(3) पोल्ट्री, फैट्स, रेन्डरड अथवा सोल्वैंट एक्सटरैक्टिड ।	
	(4) मछली के फैट और तेल/मैरिन ओरिजन चाहे रिफाइण्ड हो अथवा नहीं कॉड, लीवर ऑयल को छोड़कर (फार्माकोपोआइएल ग्रेड) तथा आइकोसपेंटी नोइक एसिड एवं डी-कोसाहिक्सीनोइक एसिड वाला फिश लिपिड ऑयल ।	
	(5) मरगारिन, इमिटेशन लार्ड तथा पशु मूल के खाद्य फैट्स से तैयार किया गया ।	
2.	पशु रैनेट ।	
3.	बिना निर्मित हाथी दांत ।	

156. प्रतिबंधित गवें — भाग-दो — क. उपभोज्य माल

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1	2	3
	सभी उपभोज्य माल, तथापि विनिर्दिष्ट, औद्योगिक, कृषि संबंधी, खनिज संबंधी अथवा पशुमूल, चाहे एस. के. डी./सी. के. डी. हालत में हो अथवा सैट एकत्र करने हेतु तत्पर हो अथवा तैयार रूप में हो ।	लाइसेंस के मद्दे अथवा इस आशय के लिए जारी सार्वजनिक सूचना के अनुरूप को छोड़कर आयात अनुमेय नहीं है ।
	शंका के समाधान हेतु एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि उपभोज्य माल में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा:—	
1.	उपभोज्य इलैक्ट्रानिक माल, उपकरण और सिस्टम जो किसी भी रूप में वर्णित हो ।	
2	उपभोज्य दूर संचार उपस्कर	
3.	एस. के. डी./सी. के. डी. में घड़ियां अथवा निर्मित हालत में तथा गति (मैकेनिकल), घड़ी के केस, घड़ी के डॉयल ।	
4.	सूती, ऊनी, रेशमी, मानव-निर्मित तथा सूती टैरी टॉवल, फैबरिक सहित ब्लैंडिड फैबरिक्स ।	
5.	अल्कोहलिकमदिरा के सांद्रण ।	
6.	मदिरा (टॉनिक अथवा मेडिकेटिड)	
7.	केसर	
8.	लौंग, दालचीनी तथा तेजपत्ता	लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमेय होगा बशर्ते कि आयात के मूल्य के दोगुणे मूल्य का निर्यात आभार होगा । निर्यात आभार के लिए अर्हक माल यथाविनिर्दिष्ट होगा ।
9.	खेलकूद सामग्री/उपकरण	लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमेय होगा । केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के संगठन जो खेलकूद, शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, खिलाड़ियों के संघों, स्पोर्टस क्लब तथा विख्यात खिलाड़ियों आदि से व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के संबंधित विभागों की संस्तुति पर आयात की अनुमति दी जाए ।

1	2	3
10.	कैमरा	लाइसेंस के मद्दे आयात अनुमेय होगा । फोटोग्राफिक स्टूडियो तथा अधिकृत कैमरामैन, विदेशी प्रसारण या टेलीविजन संगठनों के अधिकृत संवाददाताओं, विदेशी समाचार एजेंसियों अथवा विदेशी समाचार पत्रों को विशिष्ट शर्तों के अधीन आयात अनुमेय किया जा सकेगा ।
11.	उपभोज्य माल का उपहार	धर्मार्थ, धार्मिक अथवा शैक्षिक संस्थानों तथा केन्द्र सरकार द्वारा विनिष्टीकृत अथवा अन्यथा अनुमत व्यक्तियों को विशिष्ट शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जा सकती है ।

तथापि,

निम्नलिखित मदों को उपभोक्ता माल नहीं माना जाएगा:—

1. सभी प्रकार के सजावटी के लट्ठे
2. बांसें
3. रुद्राक्ष के दाने
4. कच्चा काजू
5. (1) सब्जियों, फूलों और पौधों के बीज, फूलों के कन्द और मकरन्द
   (2) फूलों की कटिंग, बालपौध, कलिकाएं आदि ।
6. बादाम और खजूर सहित सूखे मेवे ।
7. होमियो पैथिक दवाएं और औषधियां
8. आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं बनाने के लिए अपेक्षित अशोधित औषधियां संगयशब (जेड), मोतियों और प्रकलों के आयात की अनुमति केवल चूर्ण रूप में तथा गैर आभूषण वाले रूप में ही होगी ।
9. जीवन रक्षक तथा दृष्टि रक्षक औषधियां दवाएं और उपस्कर जिन्हें मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा अधिसूचित किया जाए ।
10. हींग
11. सेंधा नमक
12. अध्यापन के सहायक उपकरण जिसमें निम्नलिखित शामिल है:—
   (1 माइक्रो फिल्म, माइक्रोफीचेज और पाठक-सह-मुद्रक
   (2) शैक्षिक प्रकृति के फिल्म स्ट्रिप्स/स्लाइड्स, आडियो कैसेट, विडियो टेप्स और विडियो डिस्क
13. शिक्षण सहायक उपकरण जैसे भाषा अभिलेख, कैसेट और विडियो
14. ब्रेल लाइपराइटरों सहित अंधों द्वारा अपेक्षित यंत्र एवं उपस्कर
15. शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्रिकाएं, और समाचार पत्र ।
16. श्रवण-दृश्य समाचार या श्रवण-दृश्य विचार सामग्री जिसमें समाचार के क्लिपिंग भी शामिल हैं ।

1	2	3
17. बच्चों की फिल्में (विडियो फिल्मों सहित) जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "बच्चों की फिल्म" है के रूप में सत्यापित हों।		
18. पाजिटिव सिनेमेट्रोग्राफिक कलर की फिल्मों (अनभिदर्शित) के फिनिस्ड रॉल		
ग्राफिक फिल्म (रंगीन)		
20. 120 और 620 आकार के रॉलों को छोड़कर अन्य फोटोग्राफिक फिल्में (श्याम-श्वेत)		
21. कम्प्यूटर साफ्टवेयर		
22. किटों, सहायक उपकरणों, यंत्रों, अतिरिक्त पुर्जों और संघटकों सहित अमेटियर रेडियो संचार उपस्कर		
23. सभी प्रकार के गर्भ-निरोधक		
24. आर्ट और क्रोम कागज/गत्ता		
25. प्रतिकृति मशीन		
26. ड्राइंग के कागज		
27. सभी प्रकार के बस और ट्रक के टायर		
ख. मूल्यवान, अर्ध-मूल्यवान और अन्य पत्थर		
1. क्यूबिक जिरकोनिया		लाइसेंस के मद्दे निर्यात के लिए आयात अनुमित है।
2. पत्थर		
(क) अपरिष्कृत हीरे		—वही—
(ख) परिष्कृत तथा बिना काम किए गए सिंथेटिक पत्थर (बिना काम किए गए सिंथेटिक रूबी को छोड़कर)		—वही—
(ग) पन्ना/रूबी और नीलम, अर्द्ध-मूल्यवान और मूल्यवान पत्थर और मोतियों (वास्तविक या संवर्धित)		—वही—
3. ग्रेनाइट पोरफिरी बेसाल्ट बालूका पत्थर और स्मारकीय या इमारती अन्य पत्थर चाहे मोटे तौर पर ब्लाकों या स्लैबों में काटकर या अन्यथा, तराशे हुए हों या न हों या केवल कटे हुए हों।		—वही—
4. 2.5 या अधिक आभासी विशिष्ट गुरुत्व का संगमरमर ट्रेवर-टाइन, एकामाइन अन्य कल्केरस स्मारकीय या इमारती पत्थर चाहे मोटे तौर पर ब्लाकों या स्लैबों में काटकर या अन्यथा तराशे हुए हों या न हों या केवल कटे हुए हों।		—वही—
5. सुलमानी (आनिक्स)		—वही—
ग. बचाव सुरक्षा और संबंधित मदें		
1. सुरक्षा मुद्रण के लिए करेंसी पेपर, स्टाम्प पेपर और अन्य विशेष प्रकार के पेपर		लाइसेंस के मद्दे या इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है।
2. सभी बोर/साइजों के खाली/चलाए हुए कारतूस		—वही—
3. आग्नेयास्त्र		भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग की संस्तुति पर विख्यात शूटर्स/राइफल क्लबों द्वारा लाइसेंस के मद्दे उनके स्वयं उपयोग के लिए, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है।

1	2	3
	4. गोला-बारूद	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति निम्नलिखित को है:— (1) भारत सरकार के युवा मामलों और खेल विभाग की संस्तुति पर विख्यात निशानेबाज/राइफल क्लबों को उनके स्वयं उपयोग के लिए । (2) विशिष्ट प्रकार के गोला-बारूद के लिए लाइसेंसधारी आर्म्स डीलरों को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि उन्हें निर्दिष्ट किया जाए ।
	5. विस्फोटक	भारत सरकार के विस्फोटक नियंत्रक की संस्तुति पर सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आयात की अनुमति दी जाए ।
	6. क्लोरो फ्लूरो हाइड्रोकार्बन्स (फ्रिओन गैसिज)	लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, को छोड़कर आयात की अनुमति नहीं है ।
ब.	बीज, पौधे और पशु	
	1. पशु, पक्षी और रेंगने वाले जन्तु	इन्टरनेशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पेसीज आफ वाइल्ड फौना और फ्लोरा (सी. आई. टी. ई. एस.) पर सम्मेलन के प्रावधानों की शर्त के अधीन राज्य सरकार के मुख्य वन्य जीव वार्डन की संस्तुति पर चिड़ियाघरों और प्राणी विज्ञान उद्यानों, मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक/अनुसंधान संस्थाओं/सर्कस कम्पनियों/व्यक्ति विशेषों को लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
	2. स्टालिओन्स और ब्रूडमेमर्स	राज्य सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक की संस्तुति पर लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
	3. पशुधन (अश्वीय को छोड़कर) क्योरलाइन स्टाक्स, बड्र्स, एग्स, फ्रोजन सीमेन/एम्ब्रियो ग्राण्ड पेरेन्ट स्टाक (पोल्ट्री)	भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की संस्तुति पर लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
	4. पौधे, बीज और अन्य पौधा सामग्री	आयात (क) पौधे, फल और बीज (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 1984 के प्रावधानों की शर्त के अधीन भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग की संस्तुति पर लाइसेंस के मद्दे और (ख) इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार अनुमति है ।
द.	इन्सेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स	
	1. कोई भी पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड, वीडिसाइड, हर्बिसाइड, रोडनटिसाइड और मिटिसाइड जिसका पंजीकरण नहीं हुआ है अथवा जो कीटनाशी अधिनियम, 1969 और उसके फोरमूलेशन के अन्तर्गत आयात के लिए निषेध कर दिया गया है ।	आयात की अनुमति नहीं है ।
	2. डी. डी. टी. टेक्निकल 75 डब्ल्यू. डी. पी.	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
य.	इलेक्ट्रानिक मदें	
	1. निम्नलिखित केथोड रे ट्यूब्स:— 20" और 21" के आकार की रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूब उनके उप-साधित्र और रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूब वाले उपसाधित्र	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।

1	2	3
	2. दीवार घड़ियों और अलार्म घड़ियों के लिए इन्टीग्रेटिड सरकिट्स डिवाइसिस और चिप्स	
	3. पोपुलेटड, लोडिड या स्टफड प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड्स	
	4. सिंगल साइडिड प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड्स	
	5. प्लेटिड थ्रू होल सहित या रहित डबल साइडिड प्रिन्टेड सरकिट बोर्ड्स	
	6. 35 मि.मी. और 16 मि.मी. स्प्रोक्टड टेप्स को छोड़कर सभी प्रकार के ऑडियो मेग्नेटिक टेप्स	
	7. हब्स और रील्स, रॉल्स, पेनकेक्स, जम्बो रोल्स में सभी प्रकार के वीडियो मेग्नेटिक टेप्स	
	8. फ्रन्ट और टाप लोडिंग कैसेट मेकेनिज्म और उसकी सबअसेम्बलिंयों समेत वीडियो टेप डेक मेकेनिज्म	
	9. रुपए 6 लाख से कम के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के कम्प्यूटर सिस्टम जिनमें व्यक्तिगत कम्पयूटर भी शामिल है	
छ.	औषध और भेषज	
	1. सभी प्रकार की पेन्सिलीन	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
	2. 6 ए पी. ए.	
	4. टेट्रासाइक्लिन/ओक्सीटेट्रासाइक्लिन और उनके लवण	
	4. जेन्टामाइसिन सल्फेट	
	5. स्ट्रेप्टोमाइसिन	
	6. रिफेम्पिसिन	
	7. रिफेम्पिसिन के मध्यवर्ती, नामशः	
	(1) 3 फारमाइल रिफा एस. बी.	
	(2) रिफा एस/रिफा एस सोडियम	
	(3) 1-एमिनो-4 मेथिल पिपरेजाइन	
	8. विटामिन बी-1, विटामिन बी-2 और उनके लवण	
	9. विटामिन बी-12	
ज.	रसायन और सम्बद्ध मद	
	1. अलाइल आइसोथियोसियानोट	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है।
	2. केपेसिटर पलूड्स—पी. सी. बी. टाइप	—वही—
झ.	लघु क्षेत्र से सम्बन्धित मदें	
	1. कापर आक्सिक्लोराइड	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
	2. डिमिथायल सल्फेट	—वही—
	3. डी एन पी टी (डिनाइट्रोसी पेन्टामेथिलीन ट्रेट्रामाइन)	—वही—
	4. सुगन्धित सत्त—सभी किस्में (जो मदिरा के लिए हैं उनके सहित)	—वही—
	5. नियासिन/निकोटिनिक एसिड/नियासिनेमाइड/निकोटिनेमाइड/ एसिडामाइड	—वही—

1	2	3
	6. सुगन्धित द्रव्यों के मिश्रण/रेजिनायड्स के मिश्रण	लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है ।
	7. पॉलिमेट प्लास्टिसाइजर	—वही—
	8. सुगन्धित यौगिक/सिन्थैटिक सुगन्ध तेल	—वही—
	9. सीसा तथा रूल कटर्स	—वही—
	10. माउंटिंग टेबल	—वही—
	11. सभी मापों के कागज काटने वाले चाकू	—वही—
	12. कागज काटने की मशीनें जिनमें यन्त्रों सहित मशीनें जैसे कि आटोमैटिक प्रोग्राम कटिंग अथवा थ्री नाइफ ट्रिम्बर्स शामिल नहीं हैं ।	—वही—
	13. वायर स्टिचिंग मशीन सिंगल हैडिड	—वही—
	14. ड्राइंग के तथा गणितीय यन्त्र	—वही—
	15. फोटो कोपिंग इक्यूपमेंट (सादे और रंगीन)	—वही—
	16. घरेलू वाटर मीटर	—वही—
	17. डम्पी लेवल्स/इंजीनियरों के लेवल्स/भवन निर्माताओं के लेवल्स, (आटोमैटिक नहीं) की सभी किस्में और टिल्टिंग सैट लेवल्स, समतल सर्किलों सहित अथवा रहित	—वही—
	18. सभी प्रकार के प्रयोगशाला माइक्रोस्कोप	—वही—
ग. विविध मदें		
	1. वायुयान और हेलिकोप्टर	आयात की अनुमति केवल लाइसेंस के मद्दे या इस सम्बन्ध में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के आधार पर है इसके अतिरिक्त अनुमति नहीं है ।
	2. पोत, ट्रावलर, बोट और अन्य जल परिवहन यान	—वही—
	3. वाणिज्यिक और यात्री आटोमोबाइल वाहन जिनमें दुपहिया और तिपहिया औद्योगिक लोकोमोटिव और निजी किस्मों के वाहन शामिल हैं ।	—वही—
	4. तरल स्वर्ण सहित किसी भी रूप में स्वर्ण	—वही—
	5. नारियल जटा (रेशा/धागा/कपड़ा)	—वही—
	6. अखबारी कागज	—वही—
	7. कच्ची कपास और कपास यार्न	—वही—
	8. कच्चा रेशम	—वही—
	9. पालिएस्टर स्टेपल फाइबर/टो	—वही—
	10. प्राकृतिक रबड़	—वही—
	11. 1500 किलोवाट के डीजल जेनरेटिंग सेट (नोबब्रेक सिस्टम वाले डी जी सेटों को छोड़कर)	—वही—
	12. 3.5 के वी ए तक के सुवाह्य विद्युतीय जनरेटर	—वही—
	13. रेडियो ऐक्टिव सामग्री	परमाणु ऊर्जा विभाग की सिफारिश पर आयात किए जाने की अनुमति है ।
	14. रेयर अर्थ आक्साइड जिसमें स्टाइल सैण्ड शामिल	—वही—

1	2	3
15.	सिनेमेटोग्राफ फीचर फिल्म और वीडियो फिल्म	आयात की अनुमति (क) दूरदर्शन, आकाशवाणी, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय दूरदर्शन संस्थान तथा भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, द्वारा (ख) अन्यों द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किए जाएं, दी जाएगी ।

ट. विशेष वर्ग

1. होटलों, रेस्तराओं, यात्रा एजेन्टों और पर्यटन आपरेटरों के लिए आवश्यक विशेष मदें ।	आयात की अनुमति महानिदेशक पर्यटन, भारत सरकार की सिफारिश पर लाइसेंस के मद्दे दी जाएगी। आयात के लिए पात्र मदें और ऐसे आयातों के लिए शर्तें इस सम्बन्ध में जारी सार्वजनिक सूचना में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगी ।
2. खेल और मनोरंजन निकायों के लिए अपेक्षित विशेष मदें ।	अनिवार्य आयात अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लाइसेंस के मद्दे आयात की अनुमति है । आयात के लिए पात्र मदें और ऐसे आयातों के लिए शर्तें इस सम्बन्ध में जारी की जाने वाली सार्वजनिक सूचना में दिए गए उल्लेख के अनुसार होंगी ।

भाग—तीन

157. सारणीबद्ध मदें:—

क्रम सं.	मद का विवरण	प्रतिबन्ध का स्वरूप
1	2	3
1.	पेट्रोलियम उत्पाद	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
	(ख) कच्चा तेल	
	(ग) केरोसीन एविएशन टर्बाइन फ्यूल	
	(घ) लिक्विफायड पैट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.)	
	(ङ) मोटर स्प्रिट	
	(च) फर्नेस आयल	
	(छ) नेप्था	बिटूमेन (एस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड
2.	सभी प्रकार के उर्वरक	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड
3.	औषधियां विटामिन–ए और विटामिन–ए परिमिक्सज	भारतीय राज्य व्यापार निगम
4.	तेल (गोले का तेल, मूंगफली का तेल, कुसुम्भ तेल, ताड़ तेल, (अन्य प्रकार के जिसमें पालमोलिन तथा अन्य खण्ड) रेपसीड तेल, सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल, बिनौले का तेल)	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड

1	2	3
5.	बीज (गोला, मूंगफली, ताड़, रेपसीड कुसुम्भ, सोयाबीन सूरजमुखी कपास)	—तदैव—
6.	अन्य सभी तेल अथवा बीज या अन्य जिन्स जिससे तेल निकाला जा सकता है (चाहे खाने वाला या बिना खाने वाला) वनस्पति गुछे सहित जो इस नीति में ऊपर अथवा अन्यत्र न दिया गया हो (परन्तु तंगु तेल/चाइना लकड़ी का तेल तथा प्राकृतिक अनिवार्य तेल रहित)	—तदैव—
7.	चरबीदार एसिड एवं एसिड तेल (ताड़ गिरी तेल, ताड़ स्टीयराइन ताड़ अमाइन्स, हाइड्रोजनेटिड चरबीदार अमाइन्स, ओलियल अमाइन्स तथा स्टीयराइल अमाइन्स जिसमें प्रारम्भिक, दूसरा तीसरा तथा चौथा अंश सम्मिलित है)।	भारतीय व्यापार निगम लिमिटेड
8.	अनाज	भारतीय खाद्य निगम

अध्याय—सोलह

निर्यात की निषेधात्मक सूची

भाग—एक

निषिद्ध मदें

1. सभी प्रकार के जंगली जीव जिसमें उनके भाग और उत्पाद भी शामिल है।
2. विदेशी पक्षी
3. संकटापन्न प्रजातियों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कंटराधेंसन के परिशिष्ट—1 में शामिल जंगली वनस्पति की सभी मदें।
4. गोमांस
5. मानव अस्थिपंजर
6. मछली तेल को छोड़कर किसी पशु मूल का टैलो वसा और/अथवा तेल
7. लट्ठे, टिम्बर, स्टम्प, जड़ों, छालों, चित, चूर्ण, पपड़ियों, डस्ट, पल्प और चारकोल के रूप में लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद।

भाग—दो

लाइसेंसिंग के अध्ययधीन निर्यात

क्रम सं.	मदों का विवरण
1	2
1	3 इंच से कम आकार के बीच—डी—मेर।
2.	बेरिल जिसमें रत्न किस्म का बेरिल शामिल है।
3.	अभ्रक चूर्ण
4.	मवेशी
5.	ऊंट

1	2

6. छिलका रहित सम्पूर्ण नारियल को छोड़कर नारियल और गिरी, नारियल प्रोटीन, नारियल शहद, नारियल का आटा और सुखाया हुआ नारियल।

7. क्रियोसोट तेल (हल्का और भारी) कोलतार और ऐसे मिश्रण जिसमें कोलतार हो।

8. (1) सुपरफास्फेट सहित सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक (2) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के भाग (च) की अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर माइक्रोन्यूट्रिएन्ट उर्वरक तथा एन पी के वाले उनके मिश्रण शामिल हैं।

9. क्लोरोक्विन फास्फेट जिसमें क्लोरोक्विन फास्फेट से विनिर्मित फारमूलेशंस शामिल हैं।

10. डायोसजेनिन और डायोसकोरिया की जड़ें।

11. पवित्र कुरान की आयतों पर उद्धरणों के छापे वाली परिधान सामग्री/सिले सिलाए पोशाक फेब्रिक/वस्त्र की मदें।

12. तेल रहित मूंगफली की खली जिसमें 1 प्रतिशत से ज्यादा तेल हो।

13. गधे

14. मूंगफली के तेल की खली सहित लेकिन बिनौले के बीज की एक्सपेलर खली को छोड़कर सभी तरह की एक्सपेलर खली।

15. 50 प्रतिशत से कम प्रोटीन की मात्रा वाली खाद्य मछलियां।

16. मिल स्केल स्क्रैप को छोड़कर फैरस स्क्रैप।

17. तूतिकोरिन, मद्रास, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, पारादीप और कलकत्ता के पत्तनों से 200 ग्राम से कम भार की और दूसरे सभी पत्तनों से 300 ग्राम से कम भार की ताजी और जमी हुई सिल्वर फास्फेट।

18. मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर पालतू पशुओं के लोम चर्म।

19. सजावटी और अखाद्य घास से भिन्न घास।

20. हाथ से बने रेशम के धागे।

21. निम्नलिखित खालें और चर्म:—

(1) एनिमल ग्ल्यू जिलेटिन के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त खालों और चर्म के कटिंग और फ्लैशिंग।

(2) मेमनों के लोम चर्म को छोड़कर सभी प्रकार की कच्ची खाल और चर्म।

(3) ई. आई. टैन्ड और वेट नीली खालें और पपड़ीदार चर्म और चमड़े सहित अर्ध संसाधित खालों और चर्म की सभी श्रेणियां।

(4) क्लोदिंग लैदर-फर स्वेद/हेयर हेयर-ग्रोन स्वेद/शियरिंग स्वेद लैदर्स।

(5) फर लैदर्स।

(6) औद्योगिक लैदर्स, नामशः

(1) साईकल सैडल लैदर्स

(2) हाईड्रालिक/पैकिंग/बल्टिंग/हारनेस/वाशर/लैदर

(3) पिकलिंग बैन्ड लैदर्स

(4) स्ट्रैप/कोम्बिंग लैदर्स

(7) लाइनिंग लैदर्स, नामशः

(1) गाय और बैल की खालों और बछड़े के चर्म से

(क) रंगीन लाइनिंग लैदर

(ख) लाइनिंग स्वेद

(8) लगेज लैदर्स-केस हाइड या साइड/सूट केस/हैण्ड बैग, लगेज/कैश बैग लैदर

1	1	3

(9) विविध चमड़े, नामश:

(1) बुक बाइन्डिंग लैदर्स

(2) सिल्वर लैदर्स

(3) ट्रान्सिस्टर केस/कैमरा केस लैदर

(10) शू अपर लैदर्स नामश:

(1) बुम्वर लैदर

(2) चटाई स्लीपर/सैंडल लैदर

(11) सोल लैदर-क्रोम टेन्ड सोल लैदर

22. घोड़े—काठियावाड़ी, मारवाड़ी और मणीपुरी प्रजातियां, खच्चर

23. जंगल से प्राप्त कुथ (कोस्टस लप्पा सिन० सौसूरिया लप्पा सी० बी० सी० आई० एस्टररेसिया) अन्य आर्चिस

24. निम्नलिखित धातुएं और उनके कम्पाउन्ड:—

(1) बेरिलियम और इसके कम्पाउण्ड

(2) लिथियियम और इसके कम्पाउण्ड

(3) नेपच्यूनियम और इसके कम्पाउण्ड

(4) प्लूटोनियम और इसके कम्पाउण्ड

(5) रेडियम और इसके कम्पाउण्ड

(6) थ्योरियम और इसके कम्पाउण्ड

(7) यूरेनियम और इसके कम्पाउण्ड

(8) जिरकोनियम और इसके कम्पाउण्ड

(9) इरिडियम इरिडोस्माइन और ओसमीरीडियम

(10) सेलिनियम

(11) ड्यूटेरियम कम्पाउण्ड

(12) रेयर अर्थ धातुएं

(13) स्केंडियम और यत्रियम (चाहे इन्टरलीव्ड हों या इंटर एलायड/मिक्सड हों या न हों)

(14) आक्साइड और पेरोक्साइड आफ स्ट्रोंसियम

(15) लिथियम आक्साइड और हाइड्रोक्साइड

(16) परक्लोरेट आफ सोडियम

(17) क्रोमियम

(18) जरमेनियम

(19) गैलियम

(20) हाफनियम

(21) इण्डियम

(22) नियोबियम

(23) हीमियम

(24) थैलियम

(25) उपर्युक्त क्रम सं० (17) से लेकर (24) में उल्लिखित रद्दी और स्क्रेप सहित धातुओं की बनी वस्तुएं

1	2	3

(26) प्रतिक्रिया प्रवर्तक, प्रतिक्रिया त्वरित तथा सक्रिय तत्व के रूप में निकिल युक्त उत्प्रेरक तैयार माल या निकिल के यौगिक

(27) प्रतिक्रिया अभिकारक, प्रतिक्रिया त्वरित तथा उत्प्रेरक तैयार माल, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हो, सक्रिय तत्व के रूप में मूल्यवान धातु के यौगिकों से युक्त।

25. निम्नलिखित खनिज, अयस्क और सांद्रण :—

(1) रेडियम अयस्क और सांद्रण

(2) यूरेनियम अयस्क और सान्द्रण

(3) क्रोम अयस्क और सान्द्रण, उनको छोड़कर जो भाग: 4 में उल्लिखित हैं

(4) वेनेडियम अयस्क और सान्द्रण

(5) वेनेडियम धारित लौह अयस्क जिसमें 0.2 प्रतिशत से अधिक वी₂ ओ₅ की मात्रा हो

(6) टंगस्टन (वालफाम)/अयस्क और सान्द्रण

(7) अन्डेलुसाइट

(8) सभी श्रेणियों के केनाइट

(9) सिलिमैनाइट की सभी किस्में (ग्रेनुलर सिलिमैनाइट को छोड़कर)

(10) 7.5 प्रतिशत से कम सिलिका की मात्रा के साथ केल्साइंड मेग्नेसाइट और बुझाया हुआ मेग्नेसाइड

(11) सभी आकारों और श्रेणियों के एस्बेसटोस की क्रिसोटाइल क्रोसिडोलाइट और समोक्याइट किस्में

(12) 46 प्रतिशत से अधिक मैगनीज वाली लम्पी ब्लेंडिड मैगनीज अयस्क

(13) कच्चा मैगनेसाइट और फ्यूज्ड मैग्नेसाइट

26. मलबरी छिद्रित कोकून

27. दुग्ध, शिशु-दुग्ध और स्टरलाइज्ड लिक्विड दुग्ध

28. मिलिट्री स्टोर्स

29. नेफ्थालीन

30. ओलियो रेजिन्स एक्स-पिनस लांजिफोलिया

31. पैराफिन मोम, टाइप–3 को छोड़कर

32. पसेवा और जीवित कीट स्टिकलाक, ब्रूडलाक से युक्त कोई लाख

33. ढलवां लोहा

34. मसूर, चना, सेम तथा उनसे बने आटे सहित सभी प्रकार की दालें

35. किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र के यूनिट द्वारा शुल्क मुक्ति स्कीम के अन्तर्गत आयातित दालों से बनी हुई से भिन्न संसाधित दालें।

36. धान (छिलके सहित चावल)

37. रेशम नायल धागे सहित शुद्ध रेशम का धागा

38. अपरिष्कृत (बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए) मूल्यवान पत्थर और रॉक क्रिस्टल क्वार्टज

39. कच्ची और उबली हुई चावल की भूसी

40. रॉक फास्फेट

41. कच्चा रेशम

42. बीज और पादप सामग्री, नामश:

अरण्डी के बीज, बिनौले के बीज, काजू के बीज और पौधे, मिश्र की बरसीम (बर्सीम)—ट्रिफोलियम एलाक्सड्रम बीज, चारे की फसल के बीज, हरी खाद के बीज, निम्नलिखित को छोड़कर

1	2	3

ढैंचा, गुआर बीज (सम्पूर्ण), पटसन बीज, अलसी नीम् घास के बीज और जड़, लुपर्न (अल्फाफा) मेडिकागो सतिवा, सरसों के बीज, मेस्ता बीज, नक्स वामिका बीज/छाल/पत्ते/जड़ें और उनके चूर्ण प्याज के बीज सजावटी पौधों (जंगली किस्म) के बीज, धान का बीज, (जंगली किस्म), पीपर कटिंग या पीपर की जड़ की कटिंग, फारस को बनमेथी (स्नाफटेल ट्रिफोलियम-रेसुपीनेटम) बीज, तोरिया का बीज, लाल सेन्डर्स बीज (तीरो कारपस सेन्टालिनस) रबड़ के बीज, रूसा घास के बीज और ट्फ्ट्स, सभी वन्य प्रजातियों के बीज, सभी तेलबीजों और दालों के बीज, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन के बीज, चंदन के बीज (सन्टालम एलबम), केशर के बीज या कार्म्स (केशर के लिए पौध लगाने की सामग्री) गेहूं के बीज (जंगली किस्म)।

43. समुद्री शैल, इस अध्याय के भाग–पांच में निर्दिष्ट को छोड़कर।

44. सभी प्रकार की समुद्री घासें जिसमें जी-इडलिस शामिल हैं लेकिन इस अध्याय के भाग तीन में उल्लिखित संसाधित रूप वाली तमिलनाडु तट मूल की भूरी समुद्री घासें और अगरोफाइट्स शामिल नहीं हैं।

45. रेशम के कीड़े, रेशम की रद्दी, रेशम कीट के बीज और रेशम कीट के कोकून जिनमें रीलिंग कोकून भी शामिल हैं।

46. मत्स्य हड्डियों को छोड़कर बिना पिसी हुई हड्डियां।

47 वनस्पति तेल, नामशः
नारियल तेल, बिनौला तेल, कार्न आयल, मूंगफली का तेल, कर्दी का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल, रामतिल का तेल पाम की गिरी का तेल, तोरिया के बीज का तेल, चावल की भूसी का तेल, सलाद का तेल, सूर्यमुखी का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल।

48* विन्टेज मोटरकार और मोटर साइकिल और उनके भाग तथा संघटक अर्थात् 1–1–1960 से पहले के विनिर्मित मोटर कारें और मोटर साइकिलें।

49. विस्कोस स्टेपल फाइबर (नियमित), अधिक कार्य निष्पादन वाले विस्कोस स्टेपल फाइबर को छोड़कर।

50 सम्पूर्ण मानव रक्त प्लाज्मा और मानव रक्त के लिए गए सभी उत्पाद जिसमें मानव प्लेसेंटा और मानव प्लेसेंटल रक्त से विनिर्मित गामा ग्लोबुलिन और मानव सीरम आल्बुमिन शामिल नहीं हैं।

51 रद्दी कागज।

भाग–तीन

मात्रात्मक सीलिंगों के अध्यधीन अनुमित निर्यात

क्रम सं०	मदों का विवरण
1.	संसाधित रूप में तमिलनाडु तट मूल के जी इडुलिस को छोड़कर भूरी समुद्री घास और अगरोफाइट्स
2.	बिनौला एक्सपेलर खली
3.	निकृष्ट जीवित भेड़ और बकरी (वयस्क)
4.	7.5 प्रतिशत और अधिक सिलिका की मात्रा वाली कैलसाइण्ड मैग्नेसाइट
5.	सैफफायर्स तथा रूबी के अतिरिक्त कारूण्डम
6.	मोर की पूंछ के पंखों की बनी हस्तशिल्प और वस्तुएं
7.	आयोडिनयुक्त नमक (मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त होने वाले)
8.	प्राकृतिक रबड़, आर एस ए IV अथवा तुल्य ग्रेड की
9.	पाइरोफिलाइट
10.	सैफ्लावर का बीज (कर्दी का बीज)
11.	गेहूं पुआल (भूसा)

भाग-चार

सरणीकृत एजंसियों के माध्यम से अनुमेय निर्यात

कालम 3 में उद्धृत सरणीकृत एजेंसियां नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में दिए गए मदों का निर्यात किसी भी देश को कर सकती है :—

क्रम सं	मद	सरणीकृत एजेंसी का नाम एवं पता
1	2	3
1.	पैट्रोलियम उत्पाद, नामशः—	
	(1) एविसएसन टर्बाइन फ्यूल	
	(2) बिटूमैन	
	(3) क्रूड ऑयल	
	(4) फरनेस ऑयल	
	(5) मिट्टी का तेल	
	(6) लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.)	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
	(7) मोटर स्पीरिट	
	(8) नाफथा	
	(9) हाई स्पीड डीजल	
	(10) कच्चा पैट्रोलियम कोक	
2.	मक्खन	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी), आनन्द, गुजरात
3.	गोंद कराया	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन् परिसंघ लि. (ट्रीफेड), नई दिल्ली ।
4.	गोंद रेसिन	भारतीय जनजाति सहकारी विपणन् परिसंघ लि. (ट्रीफेड) तथा राज्य जनजाति निगम ।
5.	माइका वेस्ट (फैक्टरी कटिंग सहित) तथा स्क्रैप जो माइका संसाधित करते समय प्राप्त किया जाना है तथा संसाधित अभ्रक की विशिष्टता से कम साइज और रंग माना जाना है ।	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम एम टी सी), नई दिल्ली । भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लि., बिहार।
6.	खनिज अयस्क एवं सांद्र, नामशः —	
	(1) थोरियम ओरैंस तथा उसके कसैंट्रेट तथा उसके कम्पाउंड	भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई ।
	(2) रेयर अर्थ ओर (त्रियम सहित) कसैंट्रेट तथा उसके कम्पाउंड	
	(3) एसेसरी इनग्रेडियेंट्स के रूप में निम्नलिखित सबस्टेंस वाले अन्य खनिजों को मिलाकर :—	भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई ।
	(क) कालेंमबाइट	तथा
	(ख) मोनाजॉइट	केरल खनिज एवं धातु लि.,
	(ग) समेरस्काइट	कुइलॉन

1	2	3
	(घ) यूरेनीफेरियस अलानाइट :	
	(1) रेडियम अयस्क तथा सांद्र	
	(2) थोरियम अयस्क तथा सांद्र	
	(3) यूरेनियम अयस्क तथा सांद्र	
	(4) कॉपर अथवा स्वर्ण की एक्सट्रैक्शन के बाद अयस्क से बचे हुए हैलिंग वाले यूरेनियम ।	
	(5) जिरकॉन अयस्क तथा सांद्र	
	(6) टिटेनियम अयस्क तथा सांद्र (इलमेनाइट, रयूटाइल लूकोक्सीन आदि)	
(4)	भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड तथा केरल खनिज एवं धातु लि. द्वारा उत्पादित ग्रेतुलर सिलिमेनाइट ।	भारतीय रेयर अर्थस लि., बम्बई तथा केरल खनिज एवं धातु लि., कुइलॉन
(5)	सभी बाजारों को निर्यात किया जाने वाला रेडी मूल का लौह अयस्क तथा जापान, दक्षिणी कोरिया और ताइवान सहित यूरोप अथवा चीन को निर्यात किया जाने वाला गोआ मूल के लौह अयस्क को छोड़कर ।	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. नई दिल्ली
(6)	(क) सी. आर$_2$ ओ$_3$ सहित क्रोम अयस्क लम्पस जो 38 प्रतिशत से अधिक न हो	—तदैव—
	(ख) सी आर$_2$ ओ$_3$ सहित लो सिलिका फाइएबल/फाइन अयस्क तथा 4 प्रतिशत से अधिक सिलिका ।	—तदैव—
(7)	सभी कोटियों के बाक्साइट, कैलसिनड बाक्साइट तथा लो ग्रेड बाक्साइट ए1_2 ओ$_3$ अलुमिना अंटेंट सहित, जो पश्चिमी नट मूल के 54 प्रतिशत से कम हों ।	
(8)	निम्नलिखित को छोड़कर मैंगानीज अयस्क : 46 प्रतिशत मैंग्गानिज से अधिक लम्पी बलैंडि मैंग्गानीज अयस्क ।	
(9)	कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित बैनिफिकेशन द्वारा तैयार किया गया लौह अयस्क कन्सेन्ट्रेट और/या 40 प्रतिशत या इससे कम लो ग्रेड कन्सेंट्रेशन अयस्क ।	कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि., बंगलौर।
(10)	कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि. द्वारा उत्पादित कंसेंट्रेट से विनिर्मित लौह अयस्क पीलैट्स ।	—तदैव—

निषेधात्मक सूची

भाग चार—जारी

1	2	3
7.	रामतिल के बीज	(1) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लिमिटेड (नेफेड), नई दिल्ली ।
		(2) भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि. (ट्राइफेड), नई दिल्ली ।
8.	प्याज	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लि. (नेफेड), नई दिल्ली ।
9.	दूध का पाउडर (स्कीम्ड अथवा पूर्ण मलाई युक्त) पूर्ण अथवा बाल दुग्ध भोजन ।	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गुजरात ।
10.	शुद्ध दूध, घी	—तदैव—

भाग—पांच

वे मदें जिनका निर्यात लाइसेंस के बिना, परन्तु इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किया जा सकता है ।

निम्नलिखित मदों का निर्यात लाइसेंस के बिना किया जा सकता है । तथापि निर्यातक को प्रत्येक मद अथवा मदों की श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। शर्तें प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित हैं:—

क्रमांक	मदें

1. (1) हथियार और गोलाबारूद अर्थात् मज्जल लोडिंग हथियार तथा ब्रीच लोडिंग या बोल्ट एक्शन हथियार जैसे शॉट गन, रिवाल्वर, पिस्तौल और उनकी गोलीबारूद ।
   (2) प्राचीन हथियारों की प्रतिकृतियां ।
2. (1) पेड़ों, बाड़ लगाने की झाड़ियों, सजावट पौधों, फूलों और ग्लोरिसा सुपर्बा (लिलियासिया) सभी के बीज ।
3. प्याज के बीज से भिन्न वनस्पतियों के बीज ।
4. वापसी के आधार पर भारतीय एवं विदेशी दोनों एयरलाइनों द्वारा वायुयान और उनके अतिरिक्त पुर्जे और उपसाधित्र जिनमें वे भी शामिल हैं जो मरम्मत और ओवर हालिंग के लिए हैं ।
5. ओरचिड़ की सभी परिशोधित किस्में ।
6. बासमती चावल ।
7. काली मिर्च (प्रस्ता किस्म एम जी-जी-1) ।
8. कार्बनीकृत लिग्नाइट ब्रिकेटस (एल ई सी ओ) ।
9. आयातित बल्क ड्रग (क्लोरोक्विन फास्फेट) से विनिर्मित क्लोरोक्विन फास्फेट और फार्मुलेशन्स ।
10. (1) कुनीन और क्विनीडाइन तथा उनके साल्ट निकाले हुए सिनकोना मिश्रित एल्कालाइड और सिनकोना साल्ट ।
    (2) क्विनीडाइन सल्फेट ।
    (3) कुनीन और कुनीन उत्पाद ।
11. [illegible] और [illegible] उत्पाद ।
12. टायर रज्जू धागे सहित सूती धागा ।
13. तेल रहित मुगफली की खली (निस्सारण) ।
14. तेल रहित चावल की भूसी (चावल की भूसी का निस्सारण) ।
15. ताप अभिसाधित वर्जीनिया तम्बाकू, धूप अभिसाधित वर्जिनिया तम्बाकू, नाटू (देशी) तम्बाकू और धूप अभिसाधित जूटी तम्बाकू ।
16. सभी प्रकार का परिष्कृत चमड़ा ।
18. गुवार के गोंद के स्पिलिट ।
19. निम्नलिखित अनाज और आटा:—
    (1) गैर बासमती चावल
    (2) गेहूं
    (3) गेहू उत्पाद अर्थात् रवा, परिणामी आटा, गेहूं की भूसी ।
    (4) मैदा सूजी और होल-मिल आटा (गेहूं का आटा जो 95% निस्सारण से कम का न हो) ।
    (5) जौ
    (6) मक्का
    (7) बाजरा
    (8) ज्वार
    (9) मोटा अनाज

19. हाथ से बने ऊनी/सिन्थेटिक/रेशमी कालीन, जिसमें अन्य फर्श कवरिंग जैसे ऊनी दरियां ड्रग्जेट्स, चैन स्टिच्ड, गलीचे नीडल पेन्ट गलीचे, गब्बास और नमदा भी शामिल है ।

20. एच पी एस मूंगफली (छिलका और गिरी दोनों में)

21. चन्दन की लकड़ी की बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं

(1) मशीन से परिष्कृत चंदन की लकड़ी के निम्नलिखित उत्पाद:—

(क) विजिटिंग कार्ड:

(ख) महिला दस्ती पंखों के ब्लेड

(ग) घड़ी के बाहरी खोल तथा डायल

(घ) इसी तरह के कोई भी अन्य उत्पाद जो उपर्युक्त विशिष्टियों तथा मूल्यवर्धन मानदण्डों को पूरा करते हों ।

(2) समुद्री सीपी से बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं ।

22. जंगली किस्म के कुथ से भिन्न कुथ (कोस्टस लप्पा सिन सोसारिया लप्पा सी बी सी आई एस्टररेशिया) जो निजी जमीनों में उत्पादित और इससे व्युत्पन्न हो ।

23. लेटेराइट

24. मेमने की लोमचर्म

25. पश्चिमी तट मूल के 54 प्रतिशत से कम एल एल$_2$ ओ$_3$ अल्युमीनियम तत्व वाला निम्न श्रेणी का बाक्साईट ।

26. (1) भैंस (नर और मादा दोनों) का मांस जिसमें दिल, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, गुर्दे, छिछड़े और अन्य अंग शामिल है।

(2) भारतीय भेड़ का मांस, जिसमें दिल, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, गुर्दे और अन्य अंग शामिल हैं ।

(3) भारतीय बकरे का मांस जिसमें दिल, जिगर, फेफड़े, मस्तिष्क, जीभ, गुर्दे और अन्य अंग शामिल है ।

27. धातु कर्मीय अवशेष अर्थात् ड्रोसिस, स्किमिंग, स्लेग्स, एश, स्लिम्स और फल्यू डस्ट (सोने और चांदी वालों को छोड़कर) जिसमें की धातु की मात्रा 15 प्रतिशत से कम हो ।

28. मलबरी × डुप्लियन फैब्रिक्स (शत प्रतिशत प्राकृतिक रेशम) ।

29. मेघालय का कोयला ।

30. वर्गीकृत सब्जियों के भाग के रूप में प्याज ।

31. केवल शुल्क छूट स्कीम के तहत अथवा स्वीकृत निर्यात-अभिमुख यूनिट/निर्यात संसाधन क्षेत्र में स्थित यूनिट द्वारा आयातित दालों से बनी हुई संसाधित दाले ।

32. (1) अभ्रक वेस्ट/फैक्टरी कटिंग्स और अभ्रक स्क्रैप को छोड़कर अभ्रक ब्लाक्स, अभ्रक फिल्म्स और सभी वर्गों और सभी किस्मों के स्प्लिटिंग्स सहित संसाधित अभ्रक

(2) संसाधित अभ्रक की मदें रजतित अभ्रक कैपासिटर प्लेट्स, फैब्रिकेटिड अभ्रक, अभ्रक फ्लेक्स/पाउडर

33. (1) फास्फोरस आक्सीक्लोराइड

(2) फास्फोरस ट्रिक्लोराइड

(3) थिनाइल क्लोराइड ।

(9) एसेटिक एनहाइड्राइड ।

34. पौधे और पौधे के भाग एवं व्युत्पाद, जो जंगल से लिए गए हों ।

35. कच्ची कपास:—

(1) बंगाली देशी ।

(2) असम कोमिलास ।

(3) स्टेपल काटन ।

(4) आग/पानी के कारण क्षतिग्रस्त हुई बदरंग काटन ।

(5) जुड़ी एण्ड स्वीपिंग्स ।

(6) येलो पिकिंग्स ।

(7) अन्य

36. तिल के बीज ।

37. रेशमी कालीन को छोड़कर रेशम का माल ।

38. साफ्ट काटन वेस्ट/हार्ड काटन वेस्ट ।

39. घुलनशील निष्कर्षित बिनौल/खली (छिलके रहित छिलके सहित) ।

40. सोयाबीन निस्सारण ।

41. चीनी

42. चमड़ा और लाख की सभी किस्में, उनको छोड़कर जो इस अध्याय के भाग-दो में उल्लिखित हों ।

43. भारत-आस्ट्रिया या कनाडा या यूरोपीय आर्थिक समुदाय या फिनलैण्ड या नार्वे या स्वीडन या अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन/करारों के अंतर्गत सूती, ऊनी तथा मानव-निर्मित फाईबर तथा उनके मिश्रणों के कतिपय कपड़ा उत्पादों का निर्यात ।

44. चन्दन की लकड़ी और सैन्डलस वुड सहित सभी किस्म की संसाधित इमारती लकड़ी ।

45. नमूने :
निर्यात की निषेधात्मक सूची के भाग 2, 3, 4 और 5 में माल के नमूने ।

46. प्रदर्शन :
निर्यात की निषेधात्मक सूची के भाग 2 3, 4 और 5 में शामिल प्रदर्शन माल ।

परिशिष्ट 1

रत्न और आभूषणों के लिए आयात प्रतिपूर्ति

सामान्य टिप्पणी :—(1) तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य /अर्द्ध बहुमूल्य रत्नों/पालिश किए हुए और संसाधित मोतियों के डोरी या धागे में डाले हुए नेकलेस नीचे की संबंधित प्रविष्टियों में शामिल होंगे और तदनुसार प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि धातु जुड़नारों अर्थात् क्लिप्स, क्लारप्स पिन्स, हुक्स आदि का मूल्य नगण्य हो और वह मूल्य इसमें शामिल न किया गया हो ।

(2) रत्न और आभूषण मदों का निर्यात रुपये में भुगतान क्षेत्र को निर्यात करने से केवल रुपयों में भुगतान क्षेत्र से ही आयात के लिए वैध आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता होगी ।

क्रय संख्या	निर्यात उत्पाद	जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का आयात प्रतिपूर्ति का प्रतिशत	अनुमेय सामग्री	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पालिश किए हुए, संसाधित मोती (असली या परिष्कृत)	65.00	01 असली मोती बिना सैट किए हुए /बिना छेद किए हुए .	
2.1	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (260 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तक प्रति कैरेट की मूल्य वसूली के साथ	65.00	01 बिना सेट और बिना तराशे हीरे 02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चूर्ण (1.00)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (260 अमेरिकी डालर से अधिक और 350 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	70.00	01 बिना सेट किए हुए और बिना तराशे हीरे 02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद घाल और कृत्रिम हीरे का चुर्ण (1.00)	
2.3	तराशे और पालिश किए हुए हीरे (350 अमेरिका डालर अधिक और 400 अमेरिकी डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क शूल्य तक की प्रति कैरट मूल्य वसूली सहित)	75.00	01 बिना सेट किए हुए और बिनां तराशे हुए 02रत्न और आभूषण उद्योग प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम हीरे का चुर्ण (1.00 प्रतिशत)	
2.	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे (400 अमेरिकी डालर से अधिक तक की प्रति कैरेट मूल्य वसूली सहित)	82.5	01 बिना सेट किए हुए और बिना तरामे हुए हीरे 02 रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद/घोल और कृत्रिम होरे का चुर्ण (1.00 प्रतिशत	
2.5	तराशे हुए और पालिश किए हुए होरे (600 अमेरीका डालर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अधिक की वसूली प्रति कैरेट सहित बशर्ते प्रति स्टोन न्यून-तम 0.2 कैरेट हो)	90.00	01. बिना सैट और किए हुये (1) और बिना तराशे हुए हीरे 02. रत्न और आभूषण उद्योग में प्रयुक्त विशेष औद्योगिक आसंजक/गोंद /घोल और कृत्रिम होरे का पुर्ण (1.00 प्रतिशत)	तरासे किए हुए और पालिश किए हुए होरों के निर्यात पर 90 प्रतिपूर्ति की दर से आयात प्रतिशत अनुमेय होगी बशर्ते सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सत्या-पित बीजक में निर्यातक ने घोषणा की हो कि निर्यात किए गए प्रत्येक ही का साइज 0.2 कैरेट तथा इससे उपर था।

1	2	3	4	5
3.1	तराशे हुए और पालिश किए हुए मरालड रूबीज/सेफायर्स जो प्रति कैरेट 350 अमेरिकी डालर और जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 600 अमेरिकी डालर हो	80.00	01. बिना सेट किए हुए बिना तराशे एमरालड 02. बिना सेट और बिना तराशे रूबीज 03. बिना तराशे और बिना सेट किए सेफायर्स 0.4 बहुमूल्य रत्न बिना सैट किए हुए जिनमें भग्न /टूटे हुए/ चीरे हुए नुक्स वाले रूप में शामिल है।	
3.2 (1)	प्रति कैरेट जहाज पर्यन्त नि:शुल्क 350 अमेरिका डालर से कम के क्रम संख्या पी. 3.1 के अंतर्गत न आने वाले, भग्न/ टूटे हुए फॉक किए हुए नुक्स वाले खुदरे अर्ध बहुमूल्य स्टोन में से तराशे हुए और पालिश किए हुए अर्ध बहुमूल्य स्टोन सहित तराशे हुए और पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य स्टोन ।	60.00	01. बिना सैट किए हुए और बिना तराशे हुए बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य रत्न 02. भग्न/टूटे हुए फॉक किए हुए नुक्स वाले, खुरदरे अर्द्ध बहुमूल्य रत्न ।	
	(2) तराशे हुए और पालिश किए किए मूंगे ।	65.00	किसी भी आकार या माप में न कटा हुआ अनियमित मूंगा या मूंगे की हस्टिक	
	(3) तराशे हुए और पालिश किए बहुमूल्य स्टोन (जहां प्रति कैरेट जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 600 अमेरिका डालर तथा इससे अधिक हो)	90.00	01. बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए एमरालड 02. बिना तराशे और बिना सैट किए रूबीज 03. बिना तराशे और बिना सैट किए हुए सेफायर्स 04. भग्न/टूटे हुए, फॉक किए हुए नुक्स वाले बिना सेट किए हुए, बहुमूल्य स्टोन	
3.3	तराशे हुए और पालिश किए हुए ओनिक्स	50.00	01. फॉक किए हुए ओनिक्स	
4.	जेवरात जिनमें प्लेटिनम या पैलेडियम और हीरे बहुमूल्य या अर्ध बहुमूल्य रत्न असली या कलचर्ड मोती कृत्रिम/निकली रत्नों जड़ित हों/मात्र में जड़ित हों बशर्ते कि कृत्रिम/नकली पत्थरों का मूल्य धातु के मूल्य को छोड़कर जेवरात के जहाज पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हों।	65.00	01. बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए हीरे 02. बिना तराशे हुए और बिना सेट किए हुए बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न 03. बिना सेट किए हुए बिना छिद्र किए हुए असली या कलचर्ड मोती	(1) हीरों बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य रत्नों और मोतियों के साथ-साथ यदि जेवरातों में कृत्रिम या नकली रत्न जुड़े हों/पिरोए गए हों और जितना मूल्य धातु के मूल्य को निकाल कर जेवरात के मूल्य के 10 प्रति

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			04. भग्न/टूटे/चीरे हुए, नूक्स वाले, खुदरदरे अर्ध बहुमूल्य स्टोन 05. आभूषणों के बक्से (1.00 प्रतिशत)	शत से अधिक हो तो ये इस निर्यात उत्पाद में शामिल नही होगे । (2) कालम 2 में यथा वर्णित बहुमूल्य धातु के जेवरात क्रम सं. 4 के अंतर्गत आएंगे, बशर्ते कि बहुमूल्य धातु अर्थात् प्लेटिनम और पैलेडियम का मूल्य उनमें उपयोग की गई धातु के कुल मूल्य के 70 प्रतिशत से कम न हो या जड़ित जेवरात जिनमें पूर्ण रूप से या आंशिक रूप में प्लेटिनम या पैलेडियम से भिन्न धातु हो और जिनमें हीरे, मोती, बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़े हों/पिरोये गए हों, या आया प्रति पूर्ति के उद्देश्य के लिए क्रम सं 4 के अंतर्गत आएंगे बशर्ते कि जड़े जाने/पिरोए जाने का मूल्य कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 90 प्रतिशत तक या इससे अधिक हो । (3) जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का निश्चय करने के के लिए आभूषणों में जड़ित अवयवों के अर्थात् कटे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के मूल्य तथा/या, बहुमूल्य तथा अर्ध-बहुमूल्य रत्नों तथा या परिष्कृत मोती निर्यातक की घोषणा के अनुसार और सीमाशुल्क द्वारा जांच करने एवं निर्धारित मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा । (4) बिना तराशे हुए और बिना सैट किए हुए हीरों, बहुमूल्य स्टोन या अर्ध-बहुमूल्य स्टोन बिना पराशे

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				हुए या बिना सैट किए हुए असली या परिष्कृत मोती, बिना जड़े हुए/बिना छेद किए हुए की प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल तब दी जाएगी जब निर्यात किए गए उत्पाद में हीरों, बहुमूल्य या अर्ध-बहुमूल्य रत्न और मोतियों की मात्रा क्रमशः (निर्यातक द्वारा यथा घोषित और सीमा शुल्क द्वारा बीजक में विधिवत साक्ष्यांकित जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के समानुपात में हो) उपयुक्त जड़ित सामग्री की परस्पर अदला-बदली की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
5. तराशे या पालिश किए हुए सिन्थैटिक रत्न ।	50.00	01. खुदरा सिन्थेटिक रत्न 02. क्यूबिक जिरकोनियम		(1) प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए सीमा शुल्क का संख्यांकित बीजक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।
6.1 कृत्रिम जेवरात/वेशभूषा के लिए जेवरात जो सिन्थेटिक/नकली रत्न/प्लास्टिक के मनके, लकड़ी के मनके, कांच के मनके, नकली मोती कांच के चटन आदि से जुड़े हुए हों या पिरोये हुए हों।	30.00	01. कांच के मनके, झूठे मोती और कांच के चेटन्स/स्टाक लाट में कांच के चेटन्स 02. खुरदरे सिन्थेटिक रत्न 03. कृत्रिम जेवरात के लिए अपेक्षित धातु, जुड़नार, फाइंडिंग संघटक और उपसाधित्र. 04. क्यूबिक जिरकोनिया 05. आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)		(क) इस प्रविष्टि में केवल वे ही जेवरात आएंगे जो क्रम सं. 4 में उल्लिखित बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर दूसरी किसी धातु से बने हों, दूसरे शब्दों में इस क्रम सं. 4 के अंतर्गत वे जेवरात आएंगे जो एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल आदि जैसे आधार धातु से बने हैं और जिनमें कृत्रिम/नकली रत्न प्लास्टिक के मनके, लकड़ी के मनके आदि जड़े हुए हों या पिरोए हुए हों । अर्ध बहुमूल्य रत्नों से जुड़े हुए/पिरोए गए आधार धातु के कृत्रिम आभूषण भी इसी संख्या के अन्तर्गत आएंगे ।

(2) प्रतिपूर्ति का दावा करते समय सीमा शुल्क द्वारा साक्ष्यांकित बीजक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) कफलिंक (पीतल के कफलिंक सहित), कृत्रिम नकली रत्न जड़े हुए कफलिंक, सजाए हुए कफलिंक और सोना चढ़ाए गए कफलिंक भी इस क्रम संख्या के अंतर्गत आएंगे ।

6.2	कृत्रिम जेवरात/वेशभूषा के लिए सादे जेवरात (क्रम सं. 6.1 के अन्तर्गत उल्लिखित जेवरात को छोड़कर)	10.00	01 कृत्रिम आभूषणों के लिए अपेक्षित धातु की फिटिंग, फाइंडिंग संघटक और अनुषंगी 02 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	(क) एल्युमीनियम और "गिलट" जैसे आधार धातुओं से बने झुमके, बालियां, अंगूठियां, कमर पट्टियां, नेकलेस, घुंघरू आदि भी इस कोड के अंतर्गत आएंगे । क्रम सं. पी 6.1 में शामिल कफलिंक से भिन्न पीतल के कफलिंक भी इस क्रम सं. 15 के अंतर्गत आएंगे । (2) प्रतिपूर्ति का दावा करते समय सीमाशुल्क द्वारा साक्ष्यांकित बीजक प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है ।
6.3	चांदी के जरदोजी और चांदी की जरदोजी के जेवरात	10.00	01 धातु की फिटिंग्स 02 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	
6.4	प्लेटिनम या पैलेडियम से बने जवरात जो सिन्थेटिक/नकली कांच पत्थरों, चैटन मनके, नकली मोती, से जड़े हों या हीरों, कीमती रत्नों, अर्ध-बहुमूल्य रत्नों, असली, कल्चर्ड मोती के साथ हों या उसके बिना हों ।	30.00	01 कांच के मोती, नकली मीती और कांच के चैटन/स्टाक लाट में कांच के चैटन्स 02 खुरदरे नकली रत्न 03 क्यूबिक जिरकोनिया 09 आभूषणों के खाली बक्से (1.00 प्रतिशत)	(1) प्रतिपूर्ति का हिसाब लगाते समय प्लेटिनम और पैलेडियम का मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से घटा दिया जाएगा । (2) इस क्रम सं. में वे वस्तुएं भी आएंगी जिनमें बहुमूल्य रत्नों, अर्ध-बहुमूल्य रत्नों, सच्चे/कल्चर्ड मोतियों के साथ या उनके बिना कृत्रिम नकली रत्न चटन, मनके, नकली मोती जडे हुए हों ।

परिशिष्ट-II

कुछ मदों के सम्बन्ध में अपेक्षित न्यूनतम मूल्य संयोजन

1.	इलैक्ट्रानिक्स	
	(क) कम्प्यूटर साफ्टवेयर	60 प्रतिशत
	(ख) खाली वीडियो केसेट	25 प्रतिशत
	(ग) कन्ज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स	20 प्रतिशत
2.	वस्त्र	
	(क) सिले-सिलाए वस्त्र	40 प्रतिशत
	(ख) मेड-अप्स	25 प्रतिशत
	(ग) काटन यार्न और काटन पोलिस्टर यार्न (रिंग-स्पिंडलेस स्पन)	30 प्रतिशत
	(घ) काटन यार्न और काटन पोलिस्टर यार्न (ओपन एण्ड स्पिनिंग)	35 प्रतिशत
	(ङ) पिस गुड्स	30 प्रतिशत
	(च) डेनिम फेब्रिक्स	30 प्रतिशत
	(छ) टेरी टौवल्स	32 प्रतिशत
	(ज) सिल्क फेब्रिक्स	20 प्रतिशत
3.	चमड़ा उत्पाद	
	(क) लेदर फुटवियर	25 प्रतिशत
	(ख) लेदर गू-अपर्स	25 प्रतिशत
	(ग) लेदर गारमेन्ट्स/गूड्स	30 प्रतिशत
	(घ) स्पोर्ट्स गूज/स्पोर्टस फुटवियर	25 प्रतिशत
4.	रत्न और आभूषण	
	(क) साधारण सोने के आभूषण	10 प्रतिशत
	(ख) तराशे गए सोने के आभूषण	15 प्रतिशत
	(ग) चांदी के आभूषण	25 प्रतिशत
5.	अन्य	
	(क) लेटेक्स ग्लोव्स	40 प्रतिशत
	(ख) ग्रेनाइट	45 प्रतिशत
	(ग) फिश और श्रिम्प कल्चर फीड उत्पादन यूनिट	30 प्रतिशत
	(घ) परीक्षण और माप करने के औजार, औद्योगिक/कन्ट्रोल वाल्व फोटो कॉपियर और चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपकरण	20 प्रतिशत
	(ङ) दीवार घड़ियां/टाइम पीस/हाथ की घड़ियां	30 प्रतिशत
	(च) सिगरेट	35 प्रतिशत
	(छ) सिगरेट लाइटर	40 प्रतिशत
	(ज) ब्रुशों समेत ब्रिटल्स	30 प्रतिशत
	(झ) टिश्यू कल्चर पौधे	60 प्रतिशत
	(ञ) दूर संचार सम्बन्धी उपकरण	30 प्रतिशत
	(ट) अपेक्षाकृत छोटे बर्तन अर्थात् ट्रावलर्स, टग्स, ब्रेजर्स आदि	30 प्रतिशत
	(ठ) विदेश में जाने वाले विशाल बर्तन	40 प्रतिशत

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO.1——ITC(PN)/92/97

New Delhi, the 31st March, 1992

Subject:- Export and Import Policy for April, 1992—March, 1997.

File No. IPC/4/5(244)/92-97.—In exercise of the powers conferred under section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, the Export and Import Policy contained in Annexure-I to this Public Notice is hereby notified. It shall come into force with effect from 1st April, 1992, and shall remain in force for a period of five years, i.e. upto 31st March, 1997.

2. The provisions and procedure contained in the Import and Export Policy (Volumes I and II) 1990-93 (Ministry of Commerce Public Notices No. 1-ITC (PN)/90-93 dated 30th March, 1990 and No. 10-ETC (PN)/90—93 dated 30th March, 1990) and the procedures prescribed in the Hand Book of Procedures (Volumes I & II) 1990—93, (Ministry of Commerce—Pulic Notice No. 2—ITC (PN)/90—93 dated 30th March 1990), shall, so far as they are not inconsistent with the provisions and procedure contained in the Policy mentioned in Para 1 above, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy.

3. This issues in Public interest.

D.R. MEHTA, Chief Controller of Imports and Exports

FOREWORD

I have great pleasure in presenting the new Export and Import Policy which will come into force on 1st April, 1992. Having regard to the need for stable policies, the duration of the new Policy will be five years, that is, the whole of the Eighth Plan period. The new Policy will replace the current Import-Export Policy (1990—93).

It is widely acknowledged that trade can flourish only in a regime of substantial freedom. Major changes in trade policy were announced by the Central Government on 4th July, 1991 and 13th August, 1991. The new Policy reinforces the direction set by these trade policy reforms. The Policy would also complement the changes made in the industrial and fiscal policies.

The fundamental feature of the new Policy is freedom. It substantially eliminates licensing, quantitative restrictions and other regulatory and discretionary controls. All goods may be freely imported and exported, save for two Negative Lists. The Negative List of Imports and the Negative List of Exports place restrictions on the import or export of certain goods. These lists have been kept as small as possible in the present circumstances. It is the policy of the Government to prune these lists from time to time as exports gather momentum and the economy gains strength.

The restrictions placed on goods included in the Negative Lists are on grounds of public policy. Trading in canalised goods may be done normally by the designated agencies only. However, the Control Government may grant licences to others to import or export any canalised goods. The number of canalised good has been drastically reduced and canalisation is confined to certain petroleum products, fertilizers, edible oils, cereals and a few other items. Some other goods have been included in the Negative Lists and placed under restrictions like licensing, registration, ceiling limits etc. The import of consumer goods and durables will continue to be under restraint. These restrictions are considered necessary for economic reasons as well as on grounds of safety, security, environment, employment and the like. In respect of certain goods included in the Negative Lists, the conditions for import or export will be specified in a general way in Public Notices issued in this behalf so that the need for licensing in individual cases is eliminated. When the procedures to be followed are laid down, care will be taken to ensure that the restrictions are simple and easy for both compliance and administration.

The Policy has a pronounced bias towards exports and strengthens special schemes directed toward exports.

The scope of the duty exemption scheme has been enlarged by introducing value based Advance Licences besides the quantity based Advance Licences. This will give greater flexibility to the exporter to import and export goods within the overall value limits and without any quantitative restrictions except in the case of sensitive goods. Export Houses, Trading Houses and Star Trading Houses will be eligible for the facility of self-certification under the Advance Licence Scheme. Export sof specified products will be brought under the self-certification scheme later.

The Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme has been liberalised and two windows will be now available for import of capital goods at concessional rates of customs duty at 25% or 15% with corresponding export obligations. Both new and second hand capital goods may be imported under the scheme. Domestic manufacturers of capital goods who may require to import components may also avail themselves of the EPGC Scheme at the concessional rate of customs duty at 15% of CIF value.

Gem and jewellery export promotion schemes are continued with little modification.

In the trade policy reforms, Export-Oriented Units and units in the Export Processing Zones were given greater autonomy and flexibility. Under the new Policy, they will be allowed to install not only own machinery but also machinery taken on lease. They may also export their production through Export Houses Trading Houses or Star Trading Houses.

The crucial role of Export Houses, Trading Houses and Star Trading Houses has been reiterated.

Export Promotion Councils (EPCs) have performed a very vitail role in the promotion of exports. Their role has been recognised in the new policy. The Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) issued by EPCs will continue to be an essential requirement for any importer/exporter to avail of the benefits or concessions or to apply for any licence under the new Policy.

Deemed exports have been defined and benefits such as duty exemption schemes, duty drawback schemes and exemption from terminal excise duty have been extended to deemed exports.

Certain categories of exports and exporters will be eligible to receive special import licences. These include deemed exports, Export Houses, Trading Houses and Star Trading Houses and manufacturers who acquire ISO 9000 (series) or BIS 14000 (series) certification of quality.

The Central Government proposes to launch, in association with trade and industry, a major nationwide campaign on quality awareness and to take other steps to bring Indian products to world standards.

The Policy aims at simplification and transparency. The Policy has to be supplemented by procedures. The procedures are being revised and will be kept simple and easy to administer. The Handbook of Procedures will be issued shortly and until then, the existing procedures will be applicable.

It needs to be emphasized that the new Policy will remain stable for the five year period. However, changes would have to be made in the direction of liberalisation. Some other changes may also become necessary as a response to an emergency situation. It is the intention of the Government to make such changes as far as possible only once every quarter.

It is hoped that the Policy will achieve the overall objective of promoting foreign trade to the advantage of the country.

Before concluding, I would like to express my sincere gratitude to all those in the office of CCI&E, the th Ministry of Commerce and others who have contributed to the formulation of this Policy. I would also like to thank the Computer Centre of the National Informatics Centre in the Ministry of Commerce and the Government of India Printing Press for their services.

New Delhi,
31st March, 1992

D.R. MEHTA, Chief Controller of Imports and Exports

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. NOTIFICATION. —In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947[1] the Central Government hereby notifies the Export and Import Policy for the period 1992-97.

2. APPLICATION AND DURATION.—The Export and Import Policy shall come into force with effect from 1st April, 1992 and shall remain in force for a period of five years, that is, upto 31st March, 1997.

3. AMENDMENT.—The Central Government reserves the right in public interest to make any amendments to this Policy. The amendments will be published by means of Public Notices issued by the Chief Controller of Imports and Exports.[2]

4. TRANSITIONAL ARRANGEMENTS.—Any Notification made or Public Notice issued or anything done under the previous Export-Import policies, and in force immediately before the commencement of this Policy shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Policy, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy. Licences issued before the commencement of this Policy shall continue to be valid for import/export of the items permitted therein.

5. Exports and imports which were on Open General Licence (OGL) or where no licences/permits were required under the previous policies, but are subject to regulation or licence under this Policy, will also be permitted, provided they are supported by letters of credit established on or before the 31st March, 1992.

CHAPTER II

OBJECTIVES

6. The principal objectives of this Policy are as under:

(a) To establish the framework for globalisation of India's foreign trade;

(b) To promote the productivity, modernisation and competitiveness of Indian industry and thereby to enhance its export capabilities;

(c) To encourage the attainment of high and internationally accepted standards of quality and thereby enhance the image of India's products abroad;

(d) To augment India's exports by facilitating access to raw materials, intermediates, components, consumables and capital goods from the international market;

(e) To promote efficient and internationally competitive import substitution and self-reliance under a deregulated framework for foreign trade;

(f) To eliminate or minimise quantitative, licensing and other discretionary controls in the framework of India's foreign trade;

(g) To foster the country's Research and Development (R&D) and technological capabilities; and

(h) To simplify and streamline the procedures governing exports and imports.

---

1. The Foreign Trade (Development and Regulation) Bill, 1992 will be introduced in Parliament shortly. On the Bill becoming a law, this Policy shall be deemed to have been made under the new Act.
2. Under the new Act, it is proposed to re-designate this office as Director General of Foreign Trade (DGFT).

CHAPTER III

DEFINITIONS

7. For the purpose of this Policy, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the meanings attached to them :

(1) "Accessory" or "Attachment" means a part, sub-assembly or assembly that contributes to th efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.

(2) "Act" means the Imports and Exports (Control) Act, 1947.

(3) "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.

(4) "Actual User (Industrial)" means a person who utilises the imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.

(5) "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in

(i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession; or

(ii) any laboratory, scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or

(iii) any service industry.

(6) "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for production, directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation or expansion.

(7) "Canalisation" of exports and imports means exports and imports only through the agencies designated by the Central Government.

(8) "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy.

(9) "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment.

(10) "Consumables" means any item which participates in or is required for a manufacturing process, but does not form a part of the end-product. Items which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.

(11) "Consumer Goods" means any consumption goods which can directly satisfy human needs without further processing and include consumer durables.

(12) "Counter Trade" means any arrangement under which exports/imports from India are balanced either by direct imports/exports from the importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. The balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.

(13) "Drawback" in relation to any goods manufactured in India and exported means the rebate of duty chargeable on any imported materials or excisable materials used in the manufacture of such goods in India.

(14) "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

(15) "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an Importer-Exporter code number.

(16) "Export House/Trading House/Star Trading House" means an exporter holding an Export House/Trading House/Star Trading House certificate issued by the Chief Controller of Imports and Exports.

(17) "Export Obligation" means the obligation to export the product or products covered by the licence or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by the licensing or competent authority.

(18) "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter code number.

(19) "International Price Reimbursement Scheme" means any scheme providing for reimbursement of an amount equivalent to the difference between domestic and international prices, as determined by the Central Government from time to time, in respect of a specific input used in the export product.

(20) "Licensing Authority" means the authority competent to grant a licence under any law for the time being in force.

(21) "Licence" means a licence granted and includes a Customs Clearance Permit or any other permission granted by the licensing authority.

(22) "Licensing year" means the period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.

(23) "Life Saving Drug" means a drug necessary for saving life and includes a sight-saving drug and notified as such by the Chief Controller of Imports and Exports.

(24) "Life Saving Equipment" means an equipment (including spares) necessary for saving life and notified as such by the Chief Controller of Imports and Exports.

(25) "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or being into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use.

(26) "Manufacturer Exporter" means a person who manufactures goods and exports or intends to export such goods.

(27) "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.

(28) "Notification" means a notification published in the official Gazette.

(29) "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component or an accessory.

(30) "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person.

(31) "Policy" means the Export and Import Policy 1992—97 as amended from time to time.

(32) "Prescribed" means prescribed under the Imports and Exports (Control) Act 1947 or the Rules or Orders made thereunder or under this Policy.

(33) "Public Notice" means a notice published under the Policy for the information of the public.

(34) "Raw material" means

(i) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw natural, unrefined or unmanufactued state: and

(ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in raw or natural state.

(35) "Registration-cum-Membership Certificate" means the certificate of registration and membership granted by any Export Promotion Council listed in Chapter XIII.

(36) "Spares" means a part of a sub-assembly or assembly for substitution, that is, ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares includes a component or an accessory.

(37) "Specified" means specified by or under the provisions of this Policy.

CHAPTER IV

GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS

8. EXPORTS & IMPORTS FREE UNLESS REGULATED :—Exports and imports may be done freely, except to the extent they are regulated by the provisions of this Policy or any other law for the time being in force.

9. FORM OF REGULATION :—The Central Government may, in public interest, regulate the import or export of goods by means of a Negative List of imports a or as the Negative List of Exports, as the case may be.

10. NEGATIVE LISTS :—The Negative Lists may consist of goods, the import or export of which is prohibited, restricted through licensing or otherwise, or canalised. The Negative List of Imports and the Negative List of Exports shall be as contained in this Policy.

11. PROHIBITED GOODS :—Prohibited goods shall not be imported or exported.

12. LICENSING :—Any goods, the export or import of which is restricted through licensing, may be exported or imported only in accordance with a licence issued in this behalf.

13. TERMS AND CONDITIONS :—A licence shall contain such terms and conditions as may be specified by the licensing authority and may include :

(a) The quantity, description and value of the goods;

(b) Actual user condition, if any;

(c) Export obligation, if any;

(d) The value addition to be achieved, if any;

(e) The minimum export price, if any; and

(f) The country of origin or destination of the goods.

14. PERIOD OF VALIDITY :—Every licence shall be valid for the period of validity specified in the licence and if no period is specified it shall be valid until the 31st March of the licensing year.

15. LICENCE NOT A RIGHT.—No person may claim a licence as of right and the licensing authority shall have the power to refuse a licence.

16. PROCEDURE.—The Chief Controller of Imports and Exports may, in any case or class of cases, specify the procedure to be followed by an exporter or importer or by any licensing, competent or other authority for the purpose of implementing the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy. Such procedures shall be included in the Handbook of Procedures and published by means of a Public Notice. Such procedures may, in like manner, be amended from time to time.

17. CANALISATION.—Any goods, the import or export of which is canalised, may be imported or exported by the canalising agency specified in the Negative Lists. However, the Chief Controller of Imports and Exports may grant a licence to any other person to import or export any canalised goods.

18. IEC CODE No.—An Importer-Exporter Code (IEC) number shall be granted, on application, by the competent authority in accordance with the procedure specified in this behalf by the Chief Controller of Imports and Exports. No export or import shall be made by any person not granted an Importer-Exporter Code (IEC) number unless specifically exempted under any other provision of this Policy.

19. COMPLIANCE WITH LAWS.—Every exporter or importer shall comply with the provisionso the imports and Exports (Control) Act 1947, the Rules and Orders made thereunder, the provisions of this Policy and the terms and conditions of any licence granted to him.

20. INTERPRETATION OF POLICY.—If any question or doubt arises in respect of the interpretation of any provision contained in this Policy, the said question or doubt shall be referred to the Chief Controller of Imports and Exports and his decision shall be final.

21. RELAXATION OF POLICY/PROCEDURE.—Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of any procedure, on the gruond that there is genuine hardship to the applicant or that a strict application of the Policy or the procedure is likely to affect trade adversely, may be made to the Chief Controller of Imports and Exports for such relief as may be necessary. The Chief Controller of Import and Exports may pass such orders or grant such relaxation or relief as he may deem fit.

CHAPTER V

IMPORTS

22. FREE IMPORTABILITY. -Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods may be imported without any resriction except to the extent such imports are regulated by the Negative List of Imports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.

23. ACTUAL USER CONDITION.—Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person whether he is an Actual User or not. However, if such imports require a licence, the Actual User alone may import such goods unless the Actual User condition is specifically dispensed with by the licensing authority.

24. SECOND HAND GOODS.—Second hand capital goods and any other second hand goods shall not be imported unless permitted by this Policy or in accordance with a licence issued in this behalf.

25. IMPORT OF SECOND HAND CAPITAL GOODS WITHOUT LICENCE.—Second hand capital goods may be imported without a licence in the following sectors;

(a) Printing and allied processes

(b) Garments/Hosiery/Made-ups

(c) Leather processing/Leather finishing/Leather goods manufacturing/Leather apparel manufacturing.

(d) Rubber and Canvas footwear

(e) Sports goods

(f) Electric lamps

(g) Packaging and Packaging material

(h) Forged hand tools

(i) Oil field services

j) Writing instruments

(k) Sea food

(l) Any other sector as may be specified by a Public Notice issued in this behalf.

26. IMPORT OF SECOND HAND CAPITAL GOODS WITH LICENCE.—Any other second hand capital goods may be imported in accordance with a licence issued in this behalf.

27. APPLICATION.—An application for the import of second hand capital goods may be made to the licensing authority and shall contain the following :

(a) Complete specifications of the second hand plant, machinery, equipment and accessories and price (proforma invoice), togther photographs, if available and break-up of the price of the capital goods, cost of dismantling, freight and insurance ·

(b) Performance guarantee furnished by the supplier;

(c) Reasons and grounds in support of such import, including the advantages that would accrue in capital cost, production, prices of the products proposed to be manufactured and exports; and

(d) A certificate in the prescribed form from a professional independent Chartered Engineer or any Institution of Engineers in the country from which the second hand capital goods are intended to be imported certifying the age and residual life of the said capital goods.

28. CONDITIONS FOR IMPORT OF SECOND HAND MACHINERY.—The second hand capital goods shall not be more than seven years old and shall have a minimum residual life of five years. Imports of second hand capital goods shall be subject to Actual User condition in all cases.

29. OTHER SECOND HAND GOODS.—All second hand goods, other than capital goods, may be imported in accordance with a Public Notice or a licence issued in this behalf.

30. IMPORT ON RE-EXPORT BASIS.—The following capital goods may be imported on re-export basis without a licence:

(a) Capital goods for reconditioning, on execution of bond/bank guarantee to the satisfaction of the Customs authorities;

(b) Jigs, fixtures, dies and patterns (including contour roller dies), moulds (including moulds for die casting) and press tools; and

(c) Construction machinery and other equipment subject to execution of bond/bank guarantee to the satisfaction of the Customs authorities.

31. REPAIRS ABROAD AND RE-IMPORT WITHOUT LICENCE.—Imported capital goods or parts thereof may be sent abroad for repairs and re-imported without a licence but subject to the satisfaction of the Customs authorities that the re-imported goods are the same as the goods that were exported.

32. UNDER LICENCE.—Indigenous capital goods having imported components may be sent abroad for repairs after obtaining a licence from the Chief Controller of Imports and Exports for such export on re-import basis.

33. IMPORT OF USED MACHINERY AND EQUIPMENT.—After completion of the projects abroad, project contractors may import, without a licence, used construction equipment, machinery, related spares, tools and accessories on the basis of production of evidence of purchase for and use in the overseas project. Used office equipment and vehicles may also be imported after completion of the projects abroad, without a licence, but subject to the condition that they have been used for at least one year.

34. IMPORT OF GIFTS.—Import of gifts shall be permitted according to the Baggage Rules, 1976. In any other case, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required for import of gifts by such institutions and establishments as may be specified in this behalf. A Customs Clearance Permit (CCP) may be issued, on application, by the licensing authority after considering the merits of the case. Such imports will, however, be subject to the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976.

35. SALE ON HIGH SEAS.—Sale of goods on high seas for importation into India may be made subject to this Policy or any other law for the time being in force.

36. TRADE WITH NEIGHBOURING COUNTRIES.—In the case of trade with neighbouring countries, the Chief Controller of Imports and Exports may issue from time to time such instructions as may be required.

CHAPTER VI

EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME

37. SCHEME.—Capital goods may be imported with a licence under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme.

38. Import on concessional duty.—Capital goods may be imported, at a concessional rate of customs duty according to the conditions given in the table below, but subject to an export obligation to be fulfilled over a period of time. Such export obligation may be reckoned from the date of customs clearance of the first consignment of such imported goods.

Duty	Export Obligation	Period
26% CIF value	3 times CIF value	4 years
15% CIF value	4 CIF value	5 years

39. Eligibility.—A manufacturer-exporter to be eligible to import capital goods under the scheme should have been a regular exporter for a period of not less than three years. However, import of capital goods under the scheme may also be allowed, on merits, to other manufacturer-exporters who are new exporters or whose export performance is for a period of less than three years. Testing equipment, R & D equipment, packaging machinery and such other machinery or equipment as may be specified may also be imported under the scheme.

40. Conditions for import of second hand capital goods.—Both new and second hand capital goods may be imported under the scheme. In the case of import of second hand capital goods, the general conditions contained in Chapter V shall apply and the licensing authority may also specify any other terms and conditions.

41. Export obligation.—The export obligation to be fulfilled by the importer shall be independent of any other obligation undertaken by the importer and shall be over and above the average level of exports made by him in the preceding three licensing years. Further, the export obligation under the scheme shall be in the form of direct exports of the products manufactured with the capital goods permitted to be imported. For this purpose, deemed exports and third party exports shall not be taken into account.

42. Actual User condition.—Import of capital goods under the scheme shall be subject to the Actual User condition.

43. Procedure for application.—An application for grant of a licence under the scheme may be made to the licensing authority in accordance with the procedure specified in this behalf.

44. Import of Computer systems.—Import of computer systems shall also be governed by paragraphs 37 to 43 above.

45. Bond and Bank Guarantee.—A manufacturer-exporter shall be required to execute a bond with the licensing authority in the prescribed form supported by a bank guarantee for the value and period as mentioned in the licence.

46. Import of Components—A person holding a licence under the EPCG scheme for import of capital goods may source the capital goods from a domestic supplier instead of importing it. In the event of a firm contract between the parties or such sourcing, the domestic supplier may apply for the import of components under this scheme at a concessional rate of customs duty of 15% of the CIF value of such components for the manufacture and supply of the said capital goods to the EPCG licence holder. The export obligation pertaining to the import of the capital goods shall, however, continue to be discharged by the EPCG licence holder.

CHAPTER VII

DUTY EXEMPTION SCHEME

47. Duty Exemption Scheme.—Under the Duty Exemption Scheme, imports of duty free raw materials, components, intermediates, consumables, parts, spares including mandatory spares and packing materials required for the purpose of export production may be permitted by the competent authority under the five categories of licences mentioned hereinafter.

48. Advance Licence.—An Advance Licence is granted for the duty free import of raw materials, components, intermediates, consumables, parts, spares including mandatory spares and packing materials. Such licences shall be subject to the fulfilment of a time-bound export obligation and value addition as may be specified. Advance Licences may be based on either value or quantity. An exporter may apply for a value based or quantity based Advance Licence.

49. Value based Advance Licence.—A value based Advance Licence shall specify :

(a) the names and description of items to be imported and exported;

(b) the CIF value of imports;

(c) the FOB value of exports; and

(d) the value addition in accordance with the standard Input-Output norms published by means of a Public Notice or, in respect of items for which such norms have not been published, value addition as may be specified by the competent authority.

For the items described as sensitive items, or where the competent authority considers it necessary to do so, quantity or CIF value or both of each sensitive item intended to be imported shall also be specified in the licence.

50. Quantity based Advance Licence.—A quantity based Advance Licence shall specify :

(a) the names and description of items to be imported and exported;

(b) the quantity of each item to be imported;

(c) the CIF value of each item to be imported;

(d) the quantity and FOB value of exports; and

(e) the value addition.

51. Input-Output norms.—The quantitative norms to be incorporated in such licences shall be in accordance with the standard Input-Output norms published by means of a Public Notice or, in respect of items for which such norms have not been published, quantitative norms as may be specified by the competent authority.

52. Modification of norms.—The Chief Controller of Imports and Exports may, on the recommendation of the Advance Licensing Committee (ALC), modify the norms or prescribe additional norms.

53. Flexible value addition.—A quantity or value based Advance Licence may be given for a class or classes of export products in the same sector in order to provide flexibility to the exporter in achieving the value addition. The export obligation and value addition will be regarded as having been achieved by taking the value of imports and exports for each such class of products covered by the licence. This scheme will be introduced in respect of the pharmaceutical sector and such other sectors as may be specified by the Chief Controller of Imports and Exports in this behalf.

54. Self-declared Pass Book Scheme.—A scheme of self-certification and self-declaration under the Advance Licence scheme will be available for some categories of exporters.

Star Trading Houses, Trading Houses and Export Houses will be eligible to avail themselves of the scheme. Exporters of other products, as may be specified in this behalf by the Chief Controller of Imports and Exports, may also avail themselves of the scheme.

Under the scheme, an exporter will be issued a Pass Book indicating the names and description of the items to be imported and exported by him and the value addition to be achieved through such exports. The exporter will be permitted to enter on the import side of the Pass Book the names and description of the items to be imported by him and the CIF value of the imports. He shall certify and declare the contents to be true. On the basis of such self-certification and self-declaration, the Customs authorities shall permit the import of raw materials, components, intermediates' consumables, spares including mandatory spares, parts and packing materials. After the export is made, the exporter shall, on the export side of the Pass Book, enter the names and description of the items exported and the value addition achieved. He shall certify and declare the contents to be true. On the basis of the self-certification and self-declaration the licensing authority may, after due verification, discharge his export obligation.

The Pass Book shall be valid for a period of one year and may be renewed from time to time.

A bank guarantee/legal undertaking (LUT) equivalent to the CIF value of the imports shall be furnished by the Pass Book holder to the licensing authority. The bank guarantee/LUT shall be kept valid for an amount not less than the CIF value of the imports against which exports have yet to be made.

55. Advance Intermediate Licence.—An Advance Intermediate Licence is granted for the duty free import of raw materials, components, intermediates, consumables, parts, spares and packing materials by the intermediate manufacturer for supply under an agreement to the ultimate exporter holding a licence under the Duty Exemption Scheme. The Intermediate Licence holder shall have an option either to supply to a licence holder under the Duty Exemption Scheme or export directly within a specified period and on satisfying the requirement of value addition. The quantitate norms applicable to Advance Licences shall also apply to Advance Intermediate Licences.

56. Special Imprest Licence.—A Special Imprest Licence is granted for the duty free import of raw materials, components, intermediates, consumables, parts, spares including mandatory spares and packing materials to main/sub contractors for the manufacture and supply of products in the following cases :

(i) Supplies made to United Nations Organisations or under the aid programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in foreign exchange;

(ii) Supplies made to projects financed by the following multilateral or bilateral agencies/Funds or any other agency/Fund as may be notified by the Central Government, under international competitive bidding or under limited tender system in accordance with the procedures of those agencies/Funds:

1. Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development.
2. Asian Development Bank (ADB)
3. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD/IDA)
4. International Fund for Agricultural Development (IFAD)
5. Kreditansdalt fur Wiederaufbau (KFW)
6. Kuwaiti Fund for Arab Economic Development.
7. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fund
8. Saudi Fund for Development (SFD)
9. United States Agency for International Development (USAID).
10. Yen credit channelised through Overseas Economic Cooperation Fund (OECF);

(iii) Supplies made to units in the Export Processing Zones (EPZs) and Export Oriented Units (EOUs) of such goods as are specified by a Public Notice issued in this behalf or any other goods specified in the Special Imprest Licence;

(iv) Supplies of capital goods, raw materials, components, intermediates, consumables, parts, equipment, instruments, accessories, tools and spares to the Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Ltd. (OIL) and Gas Authority of India Ltd. (GAIL), for their off-shore and on-shore exploration, drilling and production operations; and

(v) Supply of capital goods for fertiliser plants by the Indian main contrctors if the supply is made under the procedure of international competitive bidding.

57. Special Imprest Licences shall be quantity based and the input-output norms shall be as may be determinded by the competent authority.

58. Advance Customs Clearance Permit.—Advance Customs Clearance Permit (ACCP) is granted for the duty free import of goods for the purpose of jobbing, repairing, servicing, restoration, reconditioning, renovation and may also include patterns, drawings, jigs, tools, fixtures, moulds, tackles and instruments as are directly related to the export order and are supplied free of cost by the foreign buyer. But these shall be re-exported along with the export product. Requests for retention of imported moulds, patterns etc., may be made after the fulfilment of the export obligation and may be permitted by the ALC. subject to the payment of customs duty leviable on the date of import and such other conditions as may be specified by the competent authority.

59. Eligibility.—Any merchant exporter or manufacturer exporter who holds an Importer-Exporter Code number, a specific export order/letter of credit and is in a position to realise the export proceeds in his own name may apply for duty free licences.

60. Value Addition.—Value addition norms, as specified by means of a Public Notice issued in this behalf, shall apply to duty free licences. Products not listed therein shall have a minimum value addition of 33%. The ALC may, however, consider requests for grant of licences on a lower value addition, but in no case below 25% on technical grounds.

61. Exports to RPA countries.—Exports to Rupee Payment Area countries shall be subject to such value addition as may be specified from time to time by a Public Notice issued in this behalf.

62. Licences under Production Programme.—Exporters may apply for duty free licences, except Special Imprest Licence, without an export order. In the case of an application without an export order, the value of the licence may not exceed the average of the FOB value of exports of the applicant during the preceding three licensing years.

Manufacturers and merchants having an average annual turn-over of Rs. 5 crores or more during the preceding three licensing years may apply for duty free licences, except Special Imprest Licence, to meet their needs of export production, without an export order. The value of the licence may not exceed 25% of the said average annual turnover.

63. Export Obligation.— A licence issued under this scheme shall specify the export obligation which must be fulfilled within the period stipulated below :

Sl. No.	Export Product	Period
1.	Items of project/turnkey project.	till the contracted duration of export/supply.
2.	Engineering items [other than those covered by (1) above]	12 months
3.	Items of computer hard ware/ peripherals/cassettes (audio or video)	6 months
4.	Others	9 months

A request for extension of the period to fulfil the export obligation may be granted by the licensing authority or the competent authority, as the case may be.

64. Advance Release Orders.—A holder of a duty free licence has the option either to import items allowed under the licence directly or to obtain them from indigenous sources/canalising agencies against Advance Release Orders denominated in foreign exchange/Indian rupees. An advance Release Order may be granted, on application, by the licensing authority who issued the duty free licence or any other licensing authority as may be authorised in this behalf.

65. Sourcing and clerance.—A holder of a duty free licence may source or clear any goods already imported and kept in a customs bonded warehouse. A holder of a duty free licence may also source or clear any goods manufactured or processed in units in EPZs or in EOUs. In the latter case, the duty free licence holder shall apply for and obtain an Advance Relesase Order from the licensing authority.

66. Exports in anticipation of licence.—Exports/supplies made from the date of receipt of an application under this scheme by the licensing authority may be accepted towards discharge of export obligation. The conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permitted by the Customs authorities in case the application is rejected or modified by the licensing authority.

67. Transferability of Advance Licence.—A value or quantity based Advance Licence, a quantity based Intermediate Advance Licence and a Special Imprest Licence, or the materials imported against them, may be freely transferable after the export obligation has been fulfilled, export proceeds realised and the bank guarantee/LUT redeemed. This facility shall not be available in cases where the MODVAT/Proforma Credit facility or excise relief under Rule 191B of the Central Excise Rules has been availed of.

68. Mandatory Spares.—Where import of mandatory spares is allowed under the scheme, the value of such mandatory spares shall not exceed 5% of the value of the licence and such spares shall be re-exported along with the export product.

69. Prohibited items.—Prohibited items in the Negative List of Imports shall not be imported under the scheme.

70. Admissibility of Drawback/IPRS. -Drawback and International Price Reimbursement Scheme (IPRS) shall not be admissible on the produts exported under the scheme.

71. Penalty.—If a holder of a duty free licence under the scheme violates any condition of the licence or fails to fulfil the export obligation, he shall be liable to such penalty as may be notified by an order made in this behalf by the Central Government.

72. Scheme for Advance Licence for Gold and Silver Jewellery and Articles.—An Advance Licence for Gold and Siliver jewellery and articles is granted for the duty free import of :

(i) Gold, mountings, sockets, frames and findings of 18 carats and below; and

(ii) Silver, mounting, sockets, frames and findings.

73. Conditions.—The scheme shall, however, be limited to exports which are supported by an irrevocable letter of credit, documents against acceptance, and/or payment of cash-on-delivery basis. Imports may be made only through specified ports as notified by the Customs authorities.

74. Export obligation.—Exports shall be made only against prior imports. The export obligation will begin from the date of import of the first consignment and will be required to be fulfilled within 120 days from the said date.

75. Value addition.—The value addition shall be calculated on the basis of the price at which the gold content (including wastages) and silver content (without wastages) are imported. The CIF value of mountings, findings etc. shall also be taken into account and their import/export shall be on net-to-net basis. The minimum value addition for gold and silver jewellery/articles shall be 15% and 25% respectively.

76. Wastage or loss.—Gold wastages or manufacturing loss, as indicated in the Handbook of Procedures may be allowed. On gold mountings, findings etc., a wastage of 3% of the gold content by weight may be allowed. If the FOB value of the exports is more than the prescribed export obligation, a Gem Replenishment Licence may be issued on the excess value in accordance with the formula prescribed in the Handbook of Procedures.

77. "Value Addition" for the purpose of this chapter shall be expressed as a percentage and shall be calculated according to the following formula:

$$VA = \frac{A—B}{B} \times 100, \text{ where}$$

VA is Value addition,

A is the FOB value realised by the export of the product covered by the licence; and

B is the CIF value of the imported inputs covered by the licence.

CHAPTER VIII

DIAMOND, GEM & JEWELLERY EXPORT PROMOTION SCHEMES

78. Scheme for Gems and Jewellery.—Exporters of Gems and Jewellery may import their inputs by obtaining Replenishment Licences and Diamond/DTC imprest Licences from the competent authorities in accordance with the procedure specified in this behalf.

79. Replenishment Licences.—The exporters of Gems and Jewellery products listed in Appendix I shall be eligible for grant of Replenishment Licences at the rate and for the items mentioned in the said Appendix to import and replenish their inputs. Such licences will be transferable. The exports made in fulfilment of export obligation against Diamond/DTC Imprest Licences shall not qualify for this benefit.

80. Diamond and DTC Imprest Licences.—Diamond and DTC Imprest Licences may be issued, in advance, for import of rough diamonds and for export of cut and polished diamonds. These licences are non-transferable. The imported goods may, however, be transferred to another person for processing but the responsibility to fulfil the export obligation shall be of the licensee. These licences shall carry an export obligation fixed in the inverse ratio of 65% of replenishment i.e., if the licence is issued for a CIF value of US$65, the FOB value of rexport obligation shall be US $100. At the time of redemption, the actual entitlement of the licensee may be recalculated with reference to the replenishment rates admissible for the corresponding export products in the said Appendix. Due to such re-calculation, if the licensee's entitlement comes to more than US $65 (as in the above mentioned example) the licensing authority shall issue a Replensihment Licence for a value equivalent to whatever is in excess of US $ 65 for import of rough dimaonds.

81. An exporter may apply for a licence :

(a) against a value export contract in his own name if he has less than 3 years past export performance in cut and polished diamonds; or

(b) against the best years's export performance during the preceding 3 licensing years plus 25% thereof, if he has a minimum of 3 years export performance.

82. Export Obligation.—The export obligation shall be fulfilled within seven months from the date of clearance of the first consignment through Customs.

83. DTC Imprest Licences.—A regular DTC sight holder may be allowed annual DTC Licence equal to one and one-half time the consolidated value of the DTC sights received by him (excluding the sights cleared against a Replenishment Licence) in the preceding licensing year. Commission/brokerage charges upto one and one-half percent may be added provided there is a corresponding increase in the export obligation. The new sight holders may also apply for licences on monthly basis on allotment of sight from DTC, London. These licences will be valid for import from DTC, London only. The export obligation shall be completed within 120 days from the date of import of the first consignment and in accordance with the endorsement for each sight made on the licence.

84. Bulk Licences for Rough Diamonds.—Bulk licences for rough diamonds may be issued to M/s. Hindustan Diamond Company Ltd. (HDCL), Bombay and Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) Lt, New Delhi to meet the demand of the holders of valid REP/Diamond Imprest Licences.

85. Re-Export.—An exporter on re-exporting rough diamonds shall be eligible for import replenishment@ 100% of the CIF value minus foreign exchange cost of such re-export including commission. In case of imports from DTC, London and from mines (in run-of-the mine condition) re-export upto 5% and 10% respectively of the value of rough diamonds may be allowed. For imports made from any other source- re-export shall not exceed 5% of the value of rough diamonds imported, but this facility shall not be applicable to imports by bulk licence holders.

86. Schemes for Gold and Silver Jewellery.—Exporters of gold and silver jewellery may import their essential inputs such as gold, silver, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious synthetic stones and un-processed pearls etc., through import licences granted by the licensing authorities in accordance with the procedure specified in this behalf.

87. Gold/Silver content.—The following items, if exported, would be eligible for the facilities under these schemes :

(a) Gold jewellery and articles (other than coins), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above; and

(b) Silver jewellery and articles (excluding coins and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight.

88. Schemes.—Gold/silver jewellery and articles may be exported under the following schemes:

A. Scheme for export of Gold/Silver jewellery and articles against Gold/Silver supplied by the foriegn buyer:

Under this cheme, the foreign buyer may supply, in advance, gold or silver, free of charge, for manufacture and ultimate export of gold or silver jewellery and articles thereof. He may also similarly supply alloys, findings and mountings of silver and gold of 18 carats and below. The export order should provide for

(i) supply of gold and silver free of charge to the extent of quantity of gold and silver required after allowing wastages; and

(ii) payment of manufacturing and other costs by means of irrevocable letter of credit or payment of cash on delivery or advance payment in foreign exchange. Gold jewellery may also be exported on collection basis (documents against acceptance). The export order should relate to a single buyer overseas. This scheme for export of gold/silver jewellery and articles will apply to export orders received by the Handicrafts & Handlooms Export Corporation (HHEC) or any other public sector agency nominated by the Ministry of Commerce,Government of India. The exports may be made by the nominated agency directly or through its associates. Exports will be allowed only by air freight and through Custom Houses at Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Jaipur, Bangalore and Kochi.

The value addition may be calculated with reference to the value of gold content (including wastages) and silver content (without wastages) at the price of gold and silver announced by HHEC at the beginning of each month. For mountings, findings etc., the value addition shall be based on the CIF price of imports as determined by the nominated agency. The minimum value addition for gold and silver jewellery/articles is 15% and 25% respectively. The import and export of mountings and findings etc., shall be on net to net basis.

B. Scheme for export of Gold/Silver jewellery and articles for sale at approved exhibitions.

Exports made by Handicrafts & Handlooms Export Corporation (HHEC)/State Trading Corporation (STC)/ India Trade Promotion Organisation (ITPO)/Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC) and their associates are covered under this scheme. These organisations shall function as nominated agencies. Any other person may also be allowed to export under this scheme, if approved by the Ministry of Commerce. Exports shall be made on consignment basis for holding exhibitions and shall be subject to the condition that

(i) the items which are not sold abroad shall be imported within 45 days of the close of the exhibition; and

(ii) for items sold abroad, the gold and silver content shall be imported as replenishment not later than 60 days of the close of the exhibition. The nominated agency shall execute a bond to this effect with the Customs before export is allowed. In respect of exhibitions organised by others, bonds or bank guarantees shall be executed by the organisers as required under the rules of the RBI or the Customs authorities. After the close of the exhibition, for the purpose of replenishment, booking shall be made by the exporter with the assistance of the State Bank of India (SBI) or their agents at the place where the exhibition is held before the close of the exhibition or with the authorised SBI branches in India within 50 days of the close of the exhibition.

The value addition shall be calculated on the basis of price of gold content (including wastages) and silver content (without wastages) at which replenishment may be allowed or at the price on which the export invoice was made, whichever is higher. The exporter while preparing the export invoice may use the monthly notional price of gold/ silver notified by HHEC. The minimum value addition for gold and silver jewellery/articles is 15% and 25% respectively. On presentation of required documents, appropriate Release Order and Gem Replenishment Licence may be issued by the licensing authority.

C. Gold and Silver jewellery and articles Export Promotion and Replenishment Scheme :

Against export of gold/silver jewellery and articles, the scheme provides for replenishment of gold/silver through the designated branches of SBI or any other agency nominated by the Ministry of Commerce, at a price indicated in the certificate issued by the SBI/agency after purchase of gold/silver. The scheme shall be limited to exports which are supported by irrevocable letter of credit, payment of cash on delivery basis or advance payment in foreign exchange. Export of gold jewellery may also be allowed on collection basis (documents against acceptance). The exporter has the option to obtain gold/silver from SBI in advance. On presentation of required documents, appropriate Release Order and Gem Replenishment Licence may be issued by the licensing authority.

The value addition will be calculated with reference to the value of gold content (including wastages) and silver content (without wastages) at the price at which the gold and silver is booked by SBI. The minimum value addition for gold and silver jewellery/articles shall be 15% and 25% respectively.

D. Scheme for advance licence for gold and silver jewellery and articles:

The provisions of the Advance Licence Scheme contained in Chapter VII shall apply to export of gold and silve jewellery and articles thereof.

E. Scheme for export of gold and silver jewellery and articles from Export Processing Zones (EPZs) and from Export Oriented Unit (EOU) complexes:

The Export Oriented Units are governed by the general provisions of the EOUs Scheme and the units set up in Export Processing Zones are governed by the general provisions of the EPZ Scheme except that

(i) nothing including rejects shall be permitted to be sold in the Domestic Tariff Area (DTA); and

(ii) in the event of an unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, ges and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominateled by the Ministry of Commerce at the price to be determined by that agency.

These units may import raw material, alloys, carat gold, coloured gold, precious metals including silver, platinum and palladium, findings, mountings, sockets and frames made of gold and other precious metals. These units may also import diamonds, coloured gems and stones, semi-precious stones, synthetic stones, pearls etc. In addition, gold of 0.995 fineness may also be made available to these units through SBI or any other agency nominated by the Ministry of Commerce. The units may apply through the Development Commissioner of the EPZ or the sponsoring authority of the EOU complex for supply of 0.995 fineness gold. These units may be allowed to import capital goods, prototypes, technical samples, consumables, spares and packaging materials in accordance with the procedures applicable to the EOUs Scheme and EPZ Scheme. However, gold of 0.999 fineness shall not be allowed to be imported except through the SBI.

The value addition a may be calculated on the price at which gold content (including wastages), whether it be gold of 0.995 fineness or of any other purity, is imported. Similar procedure shall be applicable for imported silver (without wastages). For export of plain and studded gold jewellery including articles, the minimum value addition shall be 10% and 15% respectively. For silver plain/studded jewellery and articles the minimum value addition shall be 25%. An exporter shall also be required to achieve an additional value addition of 5% over the value of cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones, pearls and synthetic used as studdings. CIF value of mountings, findings, etc. may also be taken into account for value addition and their import/export shall be on net to basis.

In case of units exporting loose cut and polished diamonds and precious/semi-precious stones the minimum value addition required to be achieved shall be calculated on the basis of corresponding replenishmen rates available to such exports from DTA. Apart from gold and silver jewellery and articles, jewellery and articles from other precious metals may also be manufactured and exported from the aforesaid EOU complexes/EPZs. The value addition and other requirements in respect of platinum and palladium etc., shall be specified through a Public Notice by the Chief Controller of Imports and Exports.

Jewellery samples allowed to be imported may be re-exported after proper identification.

Scrap/dust/sweepings of gold may be sent to the Government of India Mint from the units in the EPZ and returned to the EPZ in standard gold bars in accordance with the procedure prescribed by the Customs authorities.

Re-export of rough diamonds may be allowed by the Development Commissioner of the EPZ/EOU Complex concerned upto 5% of the value of imported rough diamonds in accordance with Paragraph 85 of this Chapter.

Units in the EPZ/EOU Complex may participate in Government approved exhibitions. No sale shall be permitted in exhibitions held in the country. The procedure for movement of the jewellery from these zones/complexes and back shall be prescribed by the Customs authorities.

Partly processed jewellery may also be exported subject to realisation of the prescribed minimum value addition.

The MMTC may also supply gold, gold intermediates and components including gold alloys, carat gold, findings, excepting gold of 0.999 fineness, to the approved gold jewellery manufacturing exporting units set up under this scheme in accordance with the procedure specified from time to time.

F. Scheme for import of gold of above 18 carats directly by units situated in DTA under replenishment :

Against exports of plain gold jewellery where export proceeds have been fully realied in foreign exchange, the licensing authority may issue a non-transferable Replenishment Licence @87% of the FOB value of export for direct import of :

(i) gold of 0.995 fineness ; and

(ii) gold findings/mountings of 0.920 fineness upto 10% of the value of the licence which shall, however, be within the overall value of the licence.

Against exports of studded gold jewellery where export proceeds have been fully realised in foreign exchange, the licensing authority may issue a non-transferable Replenishment Licene @ 80% of the FOB value of exports for the direct import of :

(i) gold of 0.995 fineness, the value of which shall be determined by taking into account the quantity of pure gold (0.999 fineness) used in the gold studded jewellery exported, as certified by the Customs authorities, multiplied by the international price of pure gold (0.999 fineness) on the date of export, as certified by the designated branches of SBI, plus 20% of the residual replenishment value of studdings;

(ii) gold findings/mountings of 0.920 fineness upto 10% of the value of the licence and within the overall value of the licence; and

(iii) rough diamonds, rough coloured gem-stones and real or cultured pearls undrilled/unset for the residual value.

The Replenishment Licence shall be valid for a period of 90 days from the date of its issue.

G. Scheme for import of gold of above 18 carats on pre-export basis for export production by units situated in DTA under Gold Imprest Licence :

An exporter with an annual average export performance of plain and studded gold jewellery of Rs.3 crores and above during the preceding three licensing years will be eligible for Gold Imprest Licence against valid export contract in his own name. The licence may be issued for a value equivalent to his best year's performance during the said three years plus 25% thereon. With in his overall entitlement an exporter may apply for a Gold Imprest Licence separately for export of plain and for export of studded gold jewellery. The licence shall be subject to the following conditions :

(i) Export obligation in the manner indicated below;

(ii) The licence shall be in terms of value and shall be valid for import of gold of 0.995 fineness;

(iii) The licence shall be non-transferable;

(iv) Exports shall be made after importing gold against the licence; and

(v) The licence shall be valid for six months from the date of its issue.

The Gold Imprest Licence issued for export of plain gold jewellery shall carry an export obligation in inverse ratio of 87% i.e., if the Gold Imprest Licence is issued for a CIF value of US $ 87, the export obligation shall be US $ 100. The export obligation on studded gold jewellery shall be fixed in the inverse ratio of 80%, i.e., if the Gold Imprest Licence is issued for a CIF value of US $ 80, the export obligation shall be US $ 100. The export obligation shall be completed within 120 days from the date of clearance of each consignment of gold and the exporter shall not claim any benefit of replenishment on these exports under any other scheme, except to the extent that he has exceeded the export obligation.

89. Other Provisions.—An exporter may pay agency commission upto 3% of the FOB value of exports except in Schemes 88(F) and 88(G) above. Wherever agency commission is paid, the minimum value addition shall be correspondingly increased by the percentage of the agency commission.

90. Under the schemes mentioned in Paragraph 88(A) to (E) above, Gold wastages or manufacturing loss shall be admissible as specified in the Handbook of Procedures.

91. Gem Replenishment Licences may be issued under the schemes mentioned in Paragraphs 88(A) to (C) above on export of plain gold/silver jewellery in cases where an exporter achieves the minimum prescribed value addition. The value of such licence shall be determined with reference to the realisation in excess of the minimum value addition. Exporters of studded gold/silver jewellery and articles may be entitled to Gem Replenishment Licence taking into account the value of studdings used in the items exported, after accounting for the value addition on gold including wastages. For the purpose of licensing, the studdings will be divided into four categories, namely,

(a) diamonds,

(b) precious stones,

(c) semi-precious and synthetic stones and

(d) pearls.

The scale of replenishment will be as contained in the Handbook of Procedures. These licences shall be valid for import of rough diamonds, precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls. Besides, the licence shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 1% of the value of the licence. These licences shall be freely transferable.

92. Invoice.—Under all the schemes, imports and exports shall be invoiced in US dollars.

CHAPTER IX

EXPORT ORIENTED UNITS AND UNITS IN EXPORT PROCESSING ZONES

93. Eligibility.—Units undertaking to export their entire production of goods may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme or Export Processing Zone (EPZ) Schemes. Such units may be engaged in manufacture, production of software, horticulture, agriculture, acquaculture, animal husbandry or similar activity. Units engaged in service activities may also be considered on merits.

94. Importability of goods.—The unit may import free of duty the following goods required by them for production provided they are not prohibited items in the Negative List of Imports.

(a) Capital goods including captive power plants;

(b) Raw materials, components, intermediates, semi-finished goods, spares, parts and consumables;

(c) Proto-types, office equipment and consumables for office equipment; and

(d) Material handling equipment such as forklifts, overhead cranes, etc.

95. Second hand Capital goods.—Second-hand capital goods may also be imported in accordance with the provisions contained in Chaptrer V.

95. Leasing of Capital goods.—An EOU/EPZ unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic leasing company. In such a case, the domestic leasing company will be eligible to import the capital goods free of duty and supply it to the EOU/EPZ units on such terms and conditions as may be mutually agreed upon between the two parties. The capital goods shall, however, remain as a part of the capital assets of the EOU/EPZ unit till the export obligation is discharged by the unit and they shall not be diverted for any other use.

97. Value Addition.—The unit shall achieve a minimum Value Addition (VA) of 20%, but units engaged in the manufacture or production of items specified in Appendix II shall achieve the Value Addition (VA) norms indicated therein.

98. Legal Undertaking.—The unit shall execute a bond/legal undertaking with the Development Commissioner concerned and in the event of failure to fulfil the obligations stipulated in the letter of approval/intent, it would be liable to penalty in terms of the bond/legal undertaking or under any other law for the time being in force.

99. Currency balancing.—Any proposal involving imports from General Currency Area (GCA) for exports to Rupee Payment Area (RPA) may be considered provided the outflow and inflow of foreign exchange are balanced. This will also apply to proposals for change in or modification of approvals already granted.

100. Automatic Approvals.—Project applications satisfying the conditions mentioned in para 3 of Ministry of Industry Press Note No. 3 (1991 series) may be given automatic approval within 15 days by the Development Commissioner of the EPZ concerned. In the case of EOUs, such approval shall be granted by the Secretariat of Industrial Approvals (SIA).

101. Other cases.—In other cases, approval may be granted by the Board(s) of Approval set up for this purpose.

102. DTA Sales.—The entire production of EOU/EPZ Units shall be exported except :

(a) Rejects upto 5% or such percentage as may be fixed by the Board of Approval. Rejects may be sold in the Domestic Tariff Area (DTA), subject to payment of appropriate duties.

(b) 25% of the production in value terms may be sold in the DTA when the use of indigenous inputs is more than 30% in value terms. When the use of such inputs is less than 30%, DTA sale entitlement shall not exceed 15% in value terms. DTA sale shall be subject to fulfilment of minimum value addition and export obligation. No DTA sale shall be permissible in respect of jewellery, diamonds, precious and semi-precious stones/gems, motor cars, recorded video and audio cassettes and silver bullion.

103. Export Obligation.—The following supplies shall be counted towards fulfilment of the export obligation :

(a) Supplies effected in DTA under global tender conditions;

(b) Supplies effected in DTA against payment in foreign exchange;

(c) Supplies against Advance Licences and other import licences;

(d) Supplies, with the permission of the Development Commissioner, to other EOUs/EPZ units.

104. Exports through Export House/Trading House/Star Trading House.—An EOU/EPZ unit may export goods manufactured by it through an Export House/Trading House/Star Trading House recognised under th Policy. This permission extends only to the marketing of the goods by the Export House/Trading House/Star Trading House. The manufacture of the goods shall be done in the EOU/EPZ units. The value addition and export obligations as well as any other obligation relating to the imports and exports shall continue to be discharged by the EOU/EPZ unit.

105. The Development Commisioner may also permit.—

(a) Supplies or sale, in reasonable quantities, of samples of goods produced by EOU/EPZ units for display or canvassing orders on payment of duties leviable. Such samples may also be allowed to be removed from the unit on furnishing a suitable undertaking for return of such goods.

(b) Bringing back for repair/replacement goods sold in DTA but found defective. Such goods may be removed from the unit subject to the satisfaction of the Customs authorities as to the identity of the goods.

(c) Transfer of goods to DTA for repair, testing or calibration provided that in the case of an EOU unit this permission may be granted by the Customs authorities.

106. Benefits for supplies from the DTA.—Supplies from the DTA to EOUs/EPZ units will be regarded as "Deemed Exports" and will be eligible for the following benefits :

(a) Refund of terminal excise duty, Central sales tax and duty draw back;

(b) Exemptions from payment of Central excise duty on capital goods, components and raw materials supplied under this paragraph;

(c) Discharge of export obligation, if any, on the supplier.

107. Conditions.—The benefits stated under paragraph 106 shall be available provided the goods supplied are manufactured in the country and the supplies are against letter of authority issued by the Development Commissioner.

108. Benefits for EPZ/EOU Units.—Concessional Rent : The units set up in the EPZs will be eligible for concessional rent for lease of industrial plots and standard design factory (SDF) buildings/sheds allotted for the first three years at the following rates :

For Plots : The concession will be 75% for the first year, 50% for the second year and 25% for the third year if production had commenced in the first year or the second year. The concession will not be available for the third year if production had not commenced by the end of the second year;

For SDF buildings/sheds : The concession will be 50% for the first year and 40% for the second year if production had commenced in the first year. The concession will be 25% for the third year if production had commenced in the first year. The concession will not be available if production had not commenced by the end of the first year;

Tax Holiday : EOUs and EPZ units will be exempted from payment of corporate income tax for a block of five years in the first eight years of operation;

Clubbing of NFE; Net Foreign Exchange (NFE) earned by an EOU/EPZ unit can be clubbed with the NFE of its parent/associate company in the DTA for the purpose of according Export House, Trading House or Star Trading House status for the latter;

IPRS : The International Price Reimbursement Scheme for supply of iron and steel will be available to EOUs and EPZ units; and

100% Foreign Equity : Foreign equity upto 100% is permissible in the case of EOUs and EPZ units.

109. Inter-unit transfer.—Transfer of manufactured goods may be permitted by the Development Commissioner from one EPZ unit to another EPZ unit, one EPZ unit to a EOU, one EOU to an EPZ unit or from one EOU to another EOU.

110. Goods imported by an EOU/EPZ unit may be transferred or given on loan to another EOU/EPZ unit with the prermission of the Development Commissioner.

111. Subcontracting.—The EOU/EPZ units may be permitted to sub-contract part of their production for job work to units in the DTA on a case to case basis. Requests in this regard will be considered by the concerned Customs authorities on the basis of factors such as feasibility of bonding, fixation of input and output norms, and furnishing of undertakings/bonds by the concerned units.

112. Sale of Imported Materials. In case an EOU/EPZ unit is unable, for valid reasons, to utilise the imported goods, it may re-export them with the permission of the Development Commissioner, subject to clearance from Customs with reference to valuation etc. Such goods may also be transferred to an Actual User in the DTA with the permission of the Development Commissioner on payment of applicable duties.

113. Imported machinery/capital goods that have become obsolete may be disposed of, subject to payment of customs duties on the depreciated value thereof.

114. Disposal of scrap.—The Development Commissioner may, subject to guidelines laid down by the BOA in this behalf, permit sale in the DTA of scrap/waste/remnants arising out of production process on payment of applicable duties and taxes. Percentage of such scrap/waste/remnants shall be fixed by the Board keeping in view the norms specified by a Public Notice issued in this behalf by the Chief Controller of Imporrts and Exports.

115. Private bonded Warehouses.—Private bonded warehouses may be permitted to be set up in EPZs for stock and sale of duty-free raw materials, components etc. to EOUs and EPZ units subject to the following conditions :

(a) The private bonded warehouses shall be located within the EPZ;

(b) Imports for such private bonded warehouses shall be made only against specific licences. No licence shall be given to import items which are not required by the consuming units; and

(c) The items imported by the private bonded warehouses shall not be permitted to be sold in the DTA.

116. Period of Bonding.—The bonding period for units under the EOU Scheme shall be 10 years. The period may be reduced to 5 years by the BOA in case of products liable to rapid technological change. On completion of the bonding period, it shall be open to the unit to continue under the scheme or opt out of the scheme. Such debonding shall, however, be subject to the industrial policy in force at the time the option is exercised.

117. De-Bonding.—On the satisfaction of the BOA, EOU/EPZ units may be debonded on their inability to achieve export obligation, value addition or other requirements. Such debonding shall be subject to such penalty as may be imposed and levy of the following duties :

(a) Customs duty on capital goods at depreciated value but at rates prevalent on the dates of import;

(b) Customs duty on unused raw materials and components on the value on the dates of import and at rates in force on the dates of clearance.

118. Conversion.—Existing DTA units may also apply for conversion into an EOU but no concession in duties and taxes would be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed.

119. Value addition.—"Value Addition" for the purpose of this chapter shall be expressed as a percentage and shall be calculated according to the following formula :

$$VA = \frac{A-B}{A} \times 100, \text{ where}$$

VA is Value addition,

A is the FOB value realised by the EOU/EPZ unit; and

B is the sum total of the CIF value of all imported inputs, the value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees or any other charges, and the value of all indigenous inputs purchased by the EOU/EPZ unit. Inputs mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

CHAPTER X

DEEMED EXPORTS

120. Definition.—"Deemed Exports" means those transactions in which the goods supplied do not leave the country and the payment for the goods is received by the supplier in Indian rupees, but the supplies earn or save foreign exchange for the country.

121. Categories of supply.—The following categories of supply of goods shall be regarded as "Deemed Exports", under this Policy, provided the goods are manufactured in India and the payment is received in Indian rupees :

(a) Supply of goods against licences issued under the Duty Exemption Scheme;

(b) Supply of goods in India to foreign ships and foreign airlines;

(c) Supply of goods to units olocated in Export Processing Zones (EPZs) or Export Oriented Units (EOUs);

(d) Supply of capital goods to holders of licences under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme;

e) Supply of capital goods, components, parts, raw materials, consumables, instruments, accessories, tools and spares to Oil and Natural Gas Commission (ONGC), Oil India Ltd. (OIL), and Gas Authority of India Ltd. (GAIL), for thier off-shore and on-shore exploration, drilling and production operations;

(f) Supply of goods to projects financed by the following multilateral or bilateral agencies/Funds or any other agency/Fund as may be notified by the Central Government, under international competitive bidding or under limited tender system in accordance with the procedures of those agencies/Funds:

1. Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development.
2. Asian Development Bank (ADB).
3. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD/IDA).
4. International Fund for Agricultural Development (IFAD).
5. Kreditansdalt fur Wiederaufbau (KFW).
6. Kuwaiti Fund for Arab Economic Development.
7. Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Fund.
8. Saudi Fund for Development (SFD).
9. United States Agency for International Development (USAID).
10. Yen credit channelised through Overseas Economic Coopeartion Fund (OECF).

(g) Supply of capital goods to fertilizer by plants the Indian main contractors if the supply is made under the procedure of international competitive bidding.

122. Benefits for deemed exports.—Deemed exports shall be eligible for the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports:

(a) Duty Exemption Scheme under Chapter VII.

(b) Duty Drawback Scheme.

(c) Refund of terminal Excise duty.

(d) Special import licences, for such value or bearing such proportion to the value of the deemed exports, for the import of such items included in the Negative List of Imports as may be specified under a scheme to be notified in this behalf.

CHAPTER XI

EXPORTS

123. Free Exports.—All goods may be exported wihout any restriction except to the extent such exports are regulated by the Negative List of Exports or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.

124. Registration-cum-Membership Certificate (RCMC).—Any person applying for a licence to import or export or for any other benefit or concession under this Policy shall be required to furnish his Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) number granted to him by any Export Promotion Council (EPC) of which he is a member.

125. Project Exports.—Export of items not specifically regulated may be made for projects abroad. The competent authority may permit export of items included in the Negative List of Exports.

126. Denomination of contracts.—All export contracts shall be denominated in freely convertible currency. Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) may be denominated in the country of the exporter or importer or in any freely convertible currency and all such payments shall be deemed to have been received in convertible currency.

127. Export Contracts with RPA countries.—Exports to Rupee Payment Area (RPA) countries/former Rupee Payment Area (RPA) countries may be made under the terms of the Trade Agreement/Protocol signed with such countries. However, exports to such countries against payments in non-convertible Indian rupees be may required to be registered with such authority as may be specified in this behalf.

128. Re-exports.—Goods imported from any country in the General Currency Area (GCA) in accordance with this Policy shall not be re-exported in the same or substantially the same form, without a licence, to any country in the Rupee Payment Area (RPA).

129. Export of Personal Baggage.—Bonafide personal baggage of Indian passengers may be exported either along with the passenger or, if unaccompanied, within one year before or after the passenger's departure from India. Items included in the Negative List of Exports shall require a licence issued by the licensing authority, except in the case of edible items not exceeding 100 kgs. per person.

130. Ship Stores.—Seamen engaged on ships and bonafide passengers may take as ship stores, without a licence, any goods which may be included in the Negative List of Exports, except the prohibited items, in accordance with such scale as may be notified in this behalf by the Ministry of Surface Transport, Government of India.

131. Export of Gifts.—No goods of value exceeding Rs. 3000/- may be exported as a gift. Items included in the Negative List of Exports shall not be exported as a gift, without a licence, except in the case of edible items not exceeding a value of Rs. 3000/-.

132. Export of indigenous spares.—Warranty spares of equipment, machinery, automobiles and any other item may be exported during their warranty/performance guarantee period upto 2% of the total FOB value of exports of the previous licensing year, along with the main equipment or subsequently. Such exports must be declared to the Customs authorities in the exporter's invoice, shipping bill and GR form. Spares exceeding 2% of the FOB value will be allowed on merits by the Export Licensing Committee (ELC).

133. Transit Facility.—Transit of goods by land to or from countries adjacent to India and with no seaboard of their own is permitted according to the procedure for regulating transit traffic provided that the goods are intended for consumption in that country.

134. Transitional arrangement.—Unless otherwise directed by the Chief Controller of Imports and Exports, if any amendment to this Policy interferes with or affects the performance of any agreement to export which is supported by an irrevocable letter of credit or receipt of full payment in advance prior to the date of the amendment, such agreement to export shall be valid and the exporter may execute the agreement as if the amendment did not apply to his case.

CHAPTER XII

EXPORT HOUSES, TRADING HOUSES AND STAR TRADING HOUSES

135. Definition.—Merchant and manufacturer exporters and trading companies including those having foreign equity, Export Oriented Units (EOUs) and units located in Export Processing Zones (EPZs) have been recognised as Export Houses, Trading Houses or Star Trading Houses under criteria which were laid down from time to time upto 31st March, 1992. All such Export Houses, Trading Houses and Star Trading Houses shall continue to enjoy the status accorded to them for the period for which such status was accorded.

136. Criterion for renewal.—However, when an Export House, Trading House or Star Trading House applies at the expiry of the aforesaid period for renewal of recongition as Export House, Trading House or Star Trading House as the case may be, it shall satisfy the criterion laid down hereinafter for grant of such recongition.

137. Criterion for recognition.—With effect from 1st April, 1992, the criterion for recognition as Export House, Trading House or Star Trading House shall be the average annual NFE during the three preceding years or the NFE during the preceding year, whichever is satisfied, as follows:

Category	Average annual Net Foreign Exchange (NFE) earned during the base period i.e., 3 preceding licensing years, in Rupees	Net Foreign Exchange (NFE) earned during the base period i.e., preceding licensing year, in Rupees
Export Houses	6 Crores	12 Crores
Trading Houses	30 Crores	60 Crores
Star Trading Houses	125 Crores	150 Crores

138. Calculation of NFE.—For the purpose of the above criterion, the Net Foreign Exchange (NFE) earned shall be calculated by taking the FOB value of the exports made by the exporter and deducting therefrom—

(a) the CIF value of all goods (other than capital goods) imported by him;

(b) the CIF value of all goods (other than capital goods) imported in the name of or through an associate or supporting manufacturer; and

(c) the value of all payments made in foreign exchange by the exporter by way of commission, royalty, fees or any other charges.

139. When an exporter applies on or after 1st April, 1992 for recognition as Export House, Trading House or Star Trading House under paragraph 137 above, the NFE earned during the years 1989-90, 1990-91 and 1991-92 shall be calculated in accordance with paragraph 138 above.

140. Extra weightage to SSI/Handicraft sectors.—Double and triple weightage shall be given to the NFE earned by the export of products manufactured by SSI and Handicrafts sectors respectively. Handicraft products will include silk products also.

141. Validity period.—Export House/Trading House/Star Trading House Certificates shall be valid for a period of three years ending 31st March of the licensing year unless otherwise specified. On the expiry of the previous certificate, such Houses will be allowed a grace period of six months to apply for and obtain a fresh certificate.

142. Benefits.—Export Houses/Trading Houses/StarTrading Houses shall be entitled to special import licences, for such value or bearing such proportion to the NFE earned during the previous licensing year, for the import of such items included in the Negative List of imports as may be specified under a scheme to be notified in this behalf.

CHAPTER XIII

EXPORT PROMOTION COUNCILS

143. EPCs.—At present, there are 19 Export Promotion Councils (EPCs) whose basic objective is to promote and develop the exports of the country. Each Council is responsible for the promotion of a particular group of products, projects and services. The EPCs are listed below:

(i) Engineering Export Promotion Council (EEPC), Calcutta.

(ii) Overseas Construction Council of India (OCCI), Bombay.

(iii) Electronics and Computer Software Export Promotion Council, New Delhi.

(iv) Plastics & Linoleums Export Promotion Council (PLEXCIL), Bombay.

(v) Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion Council (CHEMEXCIL). Bombay

(vi) Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXCIL); Calcutta.

(vii) Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Bombay.

(viii) Council for Leather Exports (CLE), Madras.

(ix) Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC), New Delhi.

(x) Cashew Export Promotion Council, Kochi.

(xi) Shellac Export Promotion Council, Calcutta.

(xii) Apparel Export Promotion Council (AEPC), New Delhi.

(xiii) Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Bombay.

(xiv) Indian Silk Export Promotion Council, Bombay.

(xv) Carpet Export Promotion Council, New Delhi.

(xvi) Export Promotion Council for Handicrafts, New Delhi.

(xvii) Wool & Woollens Export Promotion Council, New Delhi.

(xviii) Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Bombay.

(xix) Handloom Export Promotion Council (HEPC), Madras.

144. Non-Profit organisations.—The EPCs are non-profit organisations registered under the Companies Act or the Societies Registration Act, as the case may be. They are supported by financial assistance from the Central Government.

145. Role.—The main role of the EPCs is to project India's image abroad as a reliable supplier of high quality goods and services. In particular, the EPCs shall encourage and monitor the observance of international standards and specifications by exporters. The EPCs shall keep abreast of the trends and opportunities in international markets for goods and services and assist their members in taking advantage of such opportunities in order to expand and diversify exports.

146. Functions.—The major functions of the EPCs are as follows:—

(a) To provide commercially useful information and assistance to their members in developing and increasing their exports;

(b) To offer professional advice to their members in areas such as technology upgradation, quality and design improvement, standards and specifications, product development, innovation, etc;

(c) To organise visits of delegations of its members abroad to explore overseas market opportunities; and

(d) To organise participation in trade fairs, exhibitions and buyer-seller meets in India and abroad.

(e) To promote interaction between the exporting community and the Government both at the Central and State levels.

(f) To build a statistical base and provide data on the exports and imports of the country, exports and imports of their members, as well as other relevant international trade data.

147. Membership.—Any exporter/importer may apply to become a member of an EPC and such application shall be considered and disposed of within one month thereof in accordance with the rules and regulations of the EPC. On being admitted to membership, the applicant shall be granted forth with a Registration-cum-Membership Certificate (RCMC).

148. Professional bodies.—In order to play their part in the promotion of exports, it is important that the EPC function as professional bodies. For this purpose, excecutives with a professional background and experience industry, commerce and international marketing should be brought into the EPCs.

149. Autonomy.—The EPCs would be autonomous and shall regulate their own affairs. They would not be required to obtain the approval of the Central Government for sending sales teams or delegations abroad for participation in fairs/exhibitions etc. The Central Government would only approve the annual plans and budget of the EPCs and monitor and evaluate their performance. The Ministry of Commerce/Ministry of Textiles would interact with the Managing Committee of the Council concerned, twice a year, once for approving the annual plan and budget and again for a mid-year review.

150. Conditions for Support.—The support given to the EPCs by the Government, monetary or otherwise would depend upon

(a) effective discharge of functions assigned to them;

(b) democratisation of the membership of the EPCs;

(c) democratic elections of office bearers of the EPCs being held regularly; and

(d) timely audit of the accounts of the EPCs.

CHAPTER XIV

QUALITY

151. Quality awareness campaign.—It is the policy of the Central Government to encourage the manufacturers and exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products. The Central Government will extend support and assistance to trade and industry associations to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote the concept of total quality management.

152. State-level programmes.—The Central Government will encourage and assist State Governments in launching a similar programme in their respective States, particularly for the small scale and handicraft sectors.

153. Rewards and benefits.—The Central Government will introduce a scheme to recognise and suitably reward manufacturers who have acquired the ISO 9000 (series) or the BIS 14000 (series) or any other internationally recognised equivalent certification of quality. Such manufacturers will be eligible for grant of special import licences, for such value or bearing such proportion to the value of their exports, for the import of such items included in the Negative List of Imports as may be specified under a scheme to be notified in this behalf.

154. Test houses.—The Central Government will assist in the modernisation and upgradation of test houses and laboratories in order to bring them at par with international standards so that certification by such test houses and laboratories is recognised within the country and abroad.

CHAPTER XV

NEGATIVE LIST OF IMPORTS

PART I

155. Prohibited Items:

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1.	Tallow, Fat and/or Oils, rendered, unrendered or otherwise, of any animal origin including the following: (i) Lard stearine, oleo stearine, tallow stearine, lard oil, oleo oil and tallow oil not emulsified or mixed or prepared in any way; (ii) Neat's-foot oil and fats from bone or waste; (iii) Poultry fats, rendered or solvent extracted; (iv) Fats and oils of fish/marine origin, whether or not refined, excluding cod liver oil (Pharmacopoeial grade) and Fish Lipid Oil containing Eicospentaenoic acid and Decosa hexaenoic acid; and (v) Margarine, imitation lard and other prepared edible fats of animal origin.	Not permitted to be imported.
2.	Animal rennet	-do-
3.	Ivory unmanufactured	-do-

PART II

156. Restricted Items. A. CONSUMER GOODS

Sl. No.	Description of items	Nature of restriction
1	2	3
	All consumer goods, howsoever described, of industrial, agricultural, mineral or animal origin, whether in SKD/CKD condition or ready to assemble sets or in finished form. For the removal of doubts, it is hereby declared that consumer goods shall also include the following:– Consumer electronic goods, equipment and systems, howsoever, described.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.

1	2	3
2.	Consumer telecommunication equipment.	
3.	Watches in SKD/CKD or assembled condition as well as movements (mechanical); watch cases watch dials.	
4.	Cotton, woollen, silk, man-made and blended fabrics including cotton Terry Towel fabrics.	
5.	Concentrates of alcoholic beverages.	
6.	Wines (tonic or medicated).	
7.	Saffron.	
8.	Cloves, Cinnamon and Cassia.	Import will be allowed against a licence subject to export obligation of twice the value of imports. The goods qualifying for export obligation shall be as specified.
9.	Sports goods/equipment	Import will be allowed against a licence. Central or State Government organisations dealing with sports, educational institutions, Universities, Associations of sportsmen, sports clubs and eminent sportsmen, on the recommendation of the Central or State Government Department concerned, may be permitted to import.
10.	Cameras	Import will be allowed against a licence. Photographic Studios and accredited cameramen, accredited correspondents of foreign broadcasting or television organisations, foreign news agencies or foreign newspapers may be permitted to import in accordance with the specified conditions.
11.	Gifts of consumer goods	Charitable, religious or educational institutions and such persons as may be specified or otherwise approved by the Central Government may be permitted to import in accordance with the specified conditions.

However, the following items shall not be regarded as consumer goods:

1. All kinds of timber logs.
2. Pulses.
3. Rudraksha beads.
4. Raw cashewnut.
5. (i) Seeds of vegetables, flowers and plants, tubers and bulbs of flowers;
   (ii) Cuttings, saplings, budwood, etc., of flowers;
6. Dry fruits including almonds and dates.
7. Homoeopathic medicines and drugs.
8. Crude drugs required for making Ayurvedic and Unani medicines. Import of jade, pearls and corals will be allowed only in powder form and of non-jewellery quality only.
9. Life saving and sight saving drugs, medicines and equipment as may be specified by the Chief Controller of Imports and Exports.
10. Asafoetida (Hing)
11. Rock salt.

1	2	3
12.	Teaching aids, including, (i) Mico films, microfiches and reader-cum-printers; and (ii) Film strips/slides, audio cassettes, video tapes and video discs of educational nature.	
13.	Learning aids, such as language records, cassettes and videos.	
14.	Instruments and equipment required by the blind including Braille typewriters.	
15.	Educational, scientific and technical books, journals, news magazines and newspapers.	
16.	Audio-Visual News or Audio-Visual Views material including news clippings.	
17.	Children's films (including video films) certified by the Central Board of Film Certification to be "Children's Films".	
18.	Finished rolls of cinematographic colour films (unexposed) positive.	
19.	Photographic films (colour).	
20.	Photographic films (black and white) other than 120 and 620 size rolls.	
21.	Computer Software.	
22.	Amateur radio communication equipment including kits, accessories, instruments, spares and components	
23.	All kinds of contraceptives.	
24.	Art and Chrome paper/Board.	
25.	Facsimile machine.	
26.	Photo Copier.	
27.	Drawing paper.	
28.	Bus and Truck tyres, all types.	
B.	PRECIOUS, SEMI-PRECIOUS AND OTER STONES	
1.	Cubic Zirconia.	Import permitted for export against a licence.
2.	Stones: (a) Rough diamonds: (b) Synthetic stones finished or unworked (other than synthetic ruby unworked); and (c) Emerald/rubies and sapphires, semi-precious and precious stones and pearls (real or cultured).	-do-
3.	Granite, porphyry, baslat, sand stone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise into blocks or slabs.	-do-
4.	Marble travertine, ecaussine and other calcaeous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs.	-do-
5.	Onyx.	-do-

1	2	3
	C. SAFETY, SECURITY AND RELATED ITEMS	
1.	Paper for security printing, currency paper, stamp paper and other special types of paper.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Empty/discharged cartridges of all bores/sizes.	-do-
3.	Fire arms.	Not permitted to be imported except against a licence by renowned shooters/Rifle Clubs for their own use on the recommendation of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India.
4.	Ammunition.	Import permitted against a licence by (i) Renowned shooters/Rifle Clubs for their own use on the recommendation of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India; and (ii) Licensed arms dealers for the specified type of ammunition subject to such conditions as may be specified.
5.	Explosives.	Government Departmenis and Public Sector Undertakings, on the recommendation of the Controller of Explosives, Government of India. may be permitted to import.
6.	Chloro Fluoro Hydro Carbons (Freon Gases).	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
	D. SEEDS, PLANTS AND ANIMALS	
1.	Animals Birds and Reptiles.	Import permitted against a licence to Zoos and Zoological parks, recongnised scientific/research institutions, circus companies, private individuals, on the recommendation of the Chief Wild Life Warden of a State Government subject to the provisions of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
2.	Stallions and Broodmares.	Import permitted against a licence on the recommendation of the Director, Animal Husbandry and Veterinary Services of a State Government.
3.	Livestock (excluding equine), Pureline stocks, birds, eggs, frozen semen/embryo Grand parent stock (poultry).	Import pemitted against a licence on the recommendation of the Department of Agriculture and Cooperation Government of India.
4.	Plants, seeds and other plant mate[illegible]	Import permitted (a) against a licence on the recommend ati on of the Department of Agriculture and Cooperation, Government of India subject to the provisions of Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India) Order, 1984; and (b) in accordance with a Public Notice issued in this behalf.

E. INSECTICIDES AND PESTICIDES

1.	Any pesticide, insecticide, weedicide, herbicide, rodenticide and miticide, which has not been registered or which is prohibited for import under the Insecticides Act, 1969 and formulations thereof.	Not permitted to be imported.
2.	DDT-Technical 75 Wdp.	Import permitted against a licence.

F. ELECTRONIC ITEMS

1.	Cathode ray tubes, the following:- 20″ and 21″ size colour T.V. picture tubes, sub-assembly thereof and assembly containing colour T.V. picture tube.	Import permitted against a licence.
2.	Integrated circuits, devices and chips for clocks and time pieces.	-do-
3.	Populated, loaded or stuffed printed circuit boards.	-do-
4. £	Single sided printed ccircuit boards.	-do-
5.	Double sided printed circuit boards with or without Plated Through Hole (PTH).	-do-
6.	Audio magnetic tapes in all forms excluding 35 mm and 16 mm sprocketed tapes.	-do-
7.	Video magentic tapes in hubs and reels, rolls, pancakes, jumbo rolls-in all forms.	-do-
8.	Video Tape Deck Mechanism including front and top loading cassette mechanism and sub-assemblies thereof.	-do-
9.	Computer systems, including personal computers, of CIF value below Rs. 6 lakhs.	-do-

G. DRUGS & PHARMACEUTICALS

1.	All types of Pencillin.	Imports permitted against a licence.
2.	6-APA.	-do-
3.	Tetracycline/Oxytetracycline and their salts.	-do-
4.	Gentamycin Sulphate.	-do-
5.	Streptomycin.	-do-
6.	Rifampicin.	-do-
7.	Intermediate of Rifampicins, namely (i) 3 Formly Rifa S.V; (ii) Rifa S/Rifa S Sodium; and (iii) 1-Amino-4 Methyl Piper azine.	-do-
8.	Vitamin B.1, Vitamin B.2 and their salts.	-do-
9.	Vitamin B.12.	-do-

H. CHEMICALS AND ALLIED ITEMS

1.	Allyl Isothiocyanate.	Import permitted against a licence.
2.	Capacitor fluids-PCB type.	-do-

I. ITEMS RELATING TO THE SMALL SCALE SECTOR

1.	Copper oxychloride	Imports permitted against a licence.
2.	Dimethyl Sulphate	-do-

3	DNPT (Dinitroso Pentamethylene tetramiye).	Import permitted against a licence.
4.	Flavouring essences–All types (including those for liquors).	-do-
5.	Niacin/Nicotinic Acid/Niacinamide/Nicotinamide/Acid amide.	-do-
6.	Mixtures of odorifersous substances/mixtures of resinoids.	-do-
7.	Phthalate Plasticisers.	-do-
8.	Perfumery compounds/synthetic essential oils	-do-
8.	Lead and rule cutters.	-do-
10.	Mounting tables.	-do-
11.	Paper cutting knives of all sizes.	-do-
12.	Paper cutting machines, excluding machines with devices such as automatic programme cutting or three knife trimmers.	-do-
13.	Wire stitching machines single headed.	-do-
14.	Drawing and Mathematical Instruments.	-do-
15.	Domestic water meters.	-do-
16.	All types of dumpy levels/engineer's levels/builder's levels (not automatic) and quick set levels with or without horizontal circles.	-do-

J. MISCELLANEOUS ITEMS

1.	Aircraft and helicopters.	Not permitted to be imported except against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
2.	Ships, trawlers, boats and other water transport crafts.	-do-
3.	Commercial and Passenger automobile vehciles, including two wheelers, three wheelers and personal type vehicles.	-do-
4.	Gold in any form including Liquid Gold	-do-
5.	Coir (fibre/yarn/fabrics).	-do-
6.	Newsprint.	Permitted to be imported only against a licence or in accordance with a Public Notice issued in this behalf.
7.	Raw cotton and cotton yarn.	-do-
8.	Raw silk.	-do-
9.	Polyester staple fibre/tow.	-do-
10.	Natural Rubber.	-do-
11.	Diesel generating sets upto 1500 KVA (excluding DG sets with nobreak system).	-do-
12.	Electric portable generators upto 3.5 KVA	-do-
13.	Radio active material.	Permitted to be imported on the recommendation of Department of Atomic Energy.
14.	Rare earth oxides including rutile sand.	-do-
15.	Cinematograph feature films and video films	Import will be permitted by (a) Doordarshan, All India Radio, National Film Archives of India, Film and Television Institute of India and Children's Film Society of India; (b) by others subject to such conditions as may be spcified in this behalf.

1	2	3
1.	Special items required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators.	Import permitted against a licence on the recommendation of the Director General of Tourism, Government of India. Items qualifying for import and conditions of such imports shall be as specified in a Public Notice issued in this behalf.
2.	Special items required by sports and recreational bodies.	Import permitted against a licence for meeting essential import requirement. Items qualifying for import and conditions of such imports shall be as specified in a Public Notice issued in this behalf.

PART III

157. CANALISED ITEMS

Sl. No.	Description of items	Canalising Agency
1.	Petroleum products, namely, (a) Aviation Turbine fuel; (b) Crude Oil; (c) Kerosene; (d) Liquefied Petroleum Gas (LPG); (e) Motor Spirit; (f) Bitumen (asphalt)-Paving Grade; (g) Naphtha; and (h) Furnace Oil.	Indian Oil Corporation Limited
2.	All types of nitrogenous, phosphatic, potassic and complex chemicals fertilisers.	Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.
3.	Drugs. Vitamin-A and Premixes of Vitamin-A.	The State Trading Corporation of India Limited.
4.	Oils (Coconut Oil, Groundnut Oil, Safflower Oil, Palm Oil (all types, inlcuding palmolein and other fractions), Rapeseed Oil, Sunflower Oil, Soya bean Oil, Cotton Seed Oil).	The State Trading Corporation of India Limited and Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited.
5.	Seeds (Copra, Groundnut, Palm, Rapeseed, Safflower, Soyabean, Sunflower, Cotton).	-do-
6.	All other oils or seeds or any other material from which oil can be extracted (whether edible or non-edible) including vegetable fats not specifically mentioned above or elsewhere in this Policy (but excluding tung oil/China wood oil and natural essential oils).	-do-
7.	Fatty acids and acid oils (Palm Kernel Oil, Palm Stearine, Tallowamines, Hydrogenated tallow amines, Oleyl amines and Stearyl amines, including their primary, secondary, tertiary and quarternary derivatives).	The State Trading Corporation of India Limited.
8.	Cereals.	Food Corporation of India.

CHAPTER XVI

NEGATIVE LIST OF EXPORTS

PART I

158 PROHIBITED ITEMS

Sl. No.	Description of Items
1.	All forms of wild life including their parts and products
2.	Exotic birds
3.	All items of wild flora included in Appendix I of the Convention on International Trade in Endangered Species
4.	Beef
5.	Human skeletons
6.	Tallow, fat and/or oils of any animal origin excluding fish oil
7.	Wood and wood products in the form of logs, timber, stumps, roots, barks, chips, powder, flakes, dust, pulp and char coal

PART II

159 EXPORTS PERMITTED SUBJECT TO LICENSING

Sl, No.	Description of items
1	2
1.	Beche-de-mer of sizes below 3 inches
2.	Beryl including gem variety of beryl
3.	Bone meal
4.	Cattle
5.	Camel
6.	Coconut and copra, exluding decorticated coconut whole, coconut protein, coconut honey, coconut flour and dessicated coconut
7.	Creosote oil (light and heavy), coaltar and mixtures containing coaltar
8.	(i) Chemical fertilizers, all types, including super-phosphate (ii) Micronutrient fertilizers and mixtures thereof containing NPK excluding those specified in Schedule I, Part A 1 (f) of Fertilizers (Control) Order, 1985
9.	Chloroquine phosphate, including formulations manufactured from chloroquine phosphate
10.	Diosgenin and Dioscorea roots
11.	Dress materials/readymade garments fabrics/textile items with imprints of excerpts or verses of the Holy Quran
12.	Deoiled groundnut cakes containing more than 1% oil
13.	Donkeys
14.	Expeller cakes, all varieties, including groundnut oil cake but excluding cotton seed expeller cakes
15.	Fish meal with less than 50% protein content
16.	Ferrous scrap excluding mill scale scrap
17.	Fresh and frozen silver pomfrets of weight less than 20° gms. from the ports of Tuticorin, Madras, Kakinada Vishakapatnam, Paradeep and Calcutta and less than 300 gms. from all other ports
18.	Fur of domestic animals excluding lamb fur skin
19.	Grass, other than decorative and non-edible grass

1	2

20. Hand spun silk yarn

21. Hides and skins, namely:—

(i) Cuttings and fleshing of hides and skins used as raw materials for manufacture of animal glue gelatine

(ii) Raw hides and skins, all types excluding lamb fur skin

(iii) All categories of semi-processed hides and skins including E.I. tanned and wet blue hides and skins and crust leather

(iv) Clothing leather fur suede/hair, hair-on suede/shearing suede leathers

(v) Fur leathers

(vi) Industrial leathers, namely:—

1. Cycle saddle leathers
2. Hydraulic/packing/belting/harness/washer/leather
3. Picking band leathers
4. Strap/combing leathers

(vii) Lining leathers namely:—

1. From cow and buffalo hides and calf skins
   (a) Coloured lining leather
   (b) Lining suede/heel grip suede leathers
2. From goat/kid/lamb/sheep skins and lining suede

(viii) Luggage leathers—case hide or side/suit case/hand bag/luggage/cash bag leather

(ix) Miscellaneous leathers, namely:—

1. Booking binding leathers
2. Skiver leathers
3. Tranisistor case/camera case leather

(x) Shoe upper leathers, namely:—

1. Bunwar leather
2. Kattai slipper/sandal leather

(ix) Sole leather chrome tanned sole leather

22. Horses—Kathiawari, Marwari and Manipuri breeds; Mules

23. Kuth (Costus lappa syn. Saussurea lappa CB Cl-Asteraceae) obtained from the Wild; Wild orchids

24. Metals and their compounds, namely:—

(i) Beryllium and its compounds

(ii) Lithium and its compounts

(iii) Neptunium and its compounds

(iv) Plutonium and its compounsd

(v) Radium and its compounds

(vi) Thorium and its compounds

(vii) Uranium and its compounds

(viii) Zirconium and its compounds

(ix) Iridium, iridosmine and osmiridium

(x) Selenium

(xi) Deuterium compounds

(xii) Rare earth metals

(xiii) Scandium and Yttrium (whether or not interleaved or inter-alloyed/mixed)

(xiv) Oxide and peroxide of strontium

(xv) Lithium oxide and hydroxide

(1)	(2)

(xvi) Perchlorate of Sodium
(xvii) Chromium
(xviii) Germanium
(xix) Gallium
(xx) Hafnium
(xxi) Indium
(xxii) Niobium
(xxiii) Rhenium
(xxiv) Thallium
(xxv) Articles made of metals, including waste and scrap, mentioned in s. no. (xvii) to (xxvi) above
(xxvi) Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations with nickel or nickel compounds as active substance
(xxvii) Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included, with precious metal compounds as active substance

25. Minerals, ores and concentrates, namely:—
(i) Radium ores and concentrates
(ii) Uranium ores and concentrates
(iii) Chrome ores, other than those mentioned in part IV
(iv) Vanadium ores and concentrates
(v) Vanadium bearing iron ore containing V_2O_5 exceeding 0.2 percent
(vi) Tungsten (wolfrom) ores and concentrates
(vii) Andalusite
(viii) Kyanite all grades
(ix) All types of sillimanite (except granular sillimanite)
(x) Calcined magnesite with silica content below 7.5 percent and dead burnt magnesite
(xi) Chrysotile, crocidolite and amosite varieties of asbestos of all sizes and grades
(xii) Lumpy/blended manganese ore with more than 46% manganese
(xiii) Raw magnesite and fused magnesite

26. Mulberry pierced cocoons
27. Milk, baby milk and sterilised liquid milk
28. Military stores
29. Napthalene
30. Oleo resins ex-Pinus longifolia
31. Paraffin wax, excluding Type III
32. Pasewa and any lac containing living insects; Sticklac; Broodlac
33. Pig iron
34. Pulses, all types, including lentils, grams, beans and flour made therefrom
35. Processed pulses other than those made out of the pulses imported under the Duty Exemption Scheme or by an EOU/Unit in the EPZ
36. Paddy (Rice in husk)
37. Pure silk yarn including silk noil yarn
38. Rough (uncut and unset) precious stones and Rock crystal quartz
39. Rice, bran, raw and boiled
40. Rock phosphate
41. Raw silk

(1)	(2)

42. Seeds and planting materials namely: —

Castor seeds; cotton seeds; cashew seeds and plants; Egyptian clover (Barscem)-Trifolium alaxtum seeds; Fodder crop seeds; Green manure seeds other than Dhaincha; guar seeds (whole); jute seeds; linseeds; lemongrass seeds and roots; lucerne (alfalfa) medicago sativa; mustard seeds; mesta seeds; Nux vomica seeds/bark/leaves/roots and powder thereof; onion seeds; seeds of ornamental plants (wild variety); paddy seeds (wild variety); pepper cuttings or rooted cuttings of pepper; Persian clover (Snaftel trifolium-resupinatum) seeds; rape seed; red sanders seeds (Pterocarpus santalinus); rubber seeds; russa grass seeds and tufts; seeds of all forestry species; seeds of all oilseeds and pulses; sunflower seeds; soyabean seeds; sandalwood seeds (Santalum album); saffron seeds or corms (planting material for saffron); wheat seeds (wild variety)

43. Sea shells, excluding those mentioned in Part V of this chapter

44. Sea weeds, all types, including G. edulis but excluding brown sea weeds and agarophytes of Tamil Nadu coast origin in processed form mentioned in Part III of this chapter

45. Silk worms; silk tops, silk waste; silk worm seeds and silk worm cocoons including reeling cocoons

46. Uncrushed bones other than fish bones

47. Vegetable oils namely:
coconut oil; cotton seed oil, corn oil, groundnut oil; kardi oil; linseed oil; mustard oil; niger seed oil; palm oil; palm kernel oil; rap seed oil; rice bran oil; salad oil; sunflower oil; sesame seed oil; soyabean oil

48. Vintage motor cars, motor cycles and parts and components thereof i.e., motor cars and motor cycles manufactured prior to 1-1-1960.

49. Viscose staple fibre (regular,) excluding high performance viscose staple fibre

50. Whole human blood plasma and all products derived from human blood except gamma globulin and human serum albumin manufactured from human placenta and human placental blood; Raw placenta; Placental blood plasma

51. Waste paper.

PART III

160 EXPORTS PERMITTED SUBJECT TO QUANTITATIVE CEILINGS

Sl. No.	Description of items

1. Brown sea weeds and Agarophytes excluding G. eduils of Tamil Nadu coast origin in processed form
2. Cotton seed expeller cakes
3. Culled live sheep and goat (adult)
4. Calcined magnesite with silica contents of 7.5% and above
5. Corrundum other than sapphires and rubies
6. Handicrafts and articles made of peacock tail feathers
7. Iodised salt (used for human consumption)
8. Natural rubber of RMA IV or equivalent grade
9. Pyrophyllite
10. Safflower seed (Kardi seed)
11. Wheat straw (Hay)

PART IV

161 EXPORTS PERMITTED THROUGH CANALISING AGENCIES

The Canalising Agencies mentioned in Column 3 may export to any country the items as per the table below, subject to the provisions of the Policy:—

Sl. No.	Items	Canalising Agencies
1	2	3
1.	Petroleum products, namely :— (i) Aviation turbine fuel (ii) Bitumen (asphalt) paving grade (iii) Crude oil (iv) Furance oil (v) High speed diesel (vi) Kerosene (vii) Liquified petroleum gas (LPG) (viii) Motor spirit (ix) Naptha (x) Raw petroleum coke	Indian Oil Corporation Limited.
2.	Butter	National Dairy Development Board (NDDB), Anand, Gujarat.
3.	Gum Karaya	The Tribal Cooperative Marketing Federation of India Limited (TRIFED), New Delhi.
4.	Gum resin	THIRFED and tribal Corporations of the State Governments.
5.	Mica waste (including factory cuttings) and scarp which is obtained by processing mica and which because of size and colour is considered below the specification of processed mica.	Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited , (MMTC) New Delhi and Mica Trading Corporation of India Limited, Bihar.
6.	Minerals ores and concentrates, namely :—	
	(i) Thorium ores concentrates and compounds thereof	Indian Rare Earth Limited, Bombay.
	(ii) Rare Earths (including Yttrium) ores, concentrates and compounds thereof	-do-
	(iii) Other mineral containing the following substances as accessory ingredients including :— (a) Columbite (b) Monazite (c) Samerskite (d) Uraniferrous allanite:— (1) Radium ores and concentrates (2) Thorium ores and concentrates (3) Uranium ores and concentrates (4) Uranium bearing tailings left over from ores after extraction of copper or gold (5) Zircon ores and concentrates (6) Titanium ores and concentrate ilmenite, rutile, loucexene, etc.)	Indian Rare Earths Limited, Bombay and Kerala Minerals & Metals Limited, Kollam.

(1)	(2)	(3)
	(iv) Granular sillimanite produced by Indian Rare Earths Limited and Kerala Minerals and Metals Limited.	-do-
	(v) Iron ore except of Goa origin when exported to China or Europe in addition to Japan, South Corea and Taiwan and Iron ore of Redi Origin	to all markets
	(vi)(a) Chrome ore lumps with Cr_2O_3 not exceeding 38 percent	
	(b) Low silica friable/fine ore with Cr_2O_3 and Silica exceeding 4 percent	
	(vii) All grades of bauxite, except calcined bauxite and low grade bauxite with alumina content Al_2O_3 less than 54% of West coast orgin	-do-
	(viii) Manganese Ores ex-cluding the following:— Lumpy blended Manganese ore with more than 46% Manganese	-do-
	(ix) Iron ore concentrate prepared by benefications and/or concentration of low grade ore containing 40 percent or less of iron produced by Kudremukh Iron Ore Company Limited.	Kudremukh Iron Ore Company Limited, Bangalore.
	(x) Iron ore pellets manufactured by Kudremukh Iron Ore Company Ltd. out of concentrates produced by it.	-do-
7.	Niger Seeds	(i) National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd., (NAFED), New Delhi. (ii) TRIFED.
8.	Onions	NAFED
9.	Powder Milk (skimmed or full cream)/whole or infant milk food	NDDB ANAND.
10.	Pure milk ghee	-do-

PART V

162. ITEMS WHICH MAY BE EXPORTED WITHOUT A LICENCE BUT SUBJECT TO TERMS AND CONDITIONS SPECIFIED IN THIS BEHALF.

The following items may be exported without a licence. However, the exporter shall satisfy the terms and conditions specified in this behalf for each item or category of items. The terms and conditions are contained in the Handbook of Procedures.

Sl. No.	Description of Item
(1)	(2)
1.	(i) Arms and ammunition viz. Muzzle loading weapons and breach loading or bolt action weapons such as shot guns, revolvers, pistols and their ammunition (ii) Replicas of antique weapons
2.	All seeds of trees, hedges, ornamental plants, flowers and Gloriosa superba (Lilliaceae)
3.	Vegetable seeds other than onion seeds
4.	Aircrafts, spares and accessories thereof including those for repair/over-haul on returnable basis by both Indian and Foreign Airlines

(1)	(2)

5. All cultivated varieties of orchids
6. Basmati rice
7. Black pepper (Asta Quality MG-1)
8. Carbonised lignite briquettes (LECO)
9. Chloroquine phosphate, formulations manufactured out of imported bulk drug (choloroquine phosphate)
10. (i) Cinchona mixed Alkaloids and cinchona salts after extraction of quinine and quinidine and salts thereof
    (ii) Quinidine sulphate
    (iii) Quinine and Quinine Products
11. Coir and coir products
12. Cotton yarn including tyre cord yarn
13. De-oiled groundnut cake (extraction)
14. De-oiled rice bran (Rice bran extraction)
15. Flue-cured virginia tobacco, sun-cured virginia tobacco, Natu (Country)tobacco and suncrued jutty tobacco
16. Finished leathers, all kinds
17. Guar gum splits
18. Grains and flour, namely:—
    (i) Non-basmati rice
    (ii) Wheat
    (iii) Wheat products viz. rawa, resultant atta, wheat bran
    (iv) Maida, suji and whole-meal atta (Wheat flour of not less than 95% extraction)
    (v) Barley
    (vi) Maize
    (vii) Bajra
    (viii) Jowar
    (ix) Ragi
19. Hand made woollen/synthetic/silk carpets including other floor coverings like woollen durries, druggets, chain stitched rugs, needle point rugs, gabbas and namdhas
20. HPS groundnuts (both in shell and kernels)
21. (i) Handicrafts made of sandal wood
    (ii) Machine finished sandalwood products namely:—
        (a) Visiting cards
        (b) Blades for ladies hand fans
        (c) Outer case and dails of watches
        (d) Any other product of similar nature meeting the above specification and value addition norms
    (iii) Handicrafts made out of sea-shells
22. Kuth (Costus lappa Syn. Saussurea lappa CB CI-Asteraceae) cultivated in private lands and derivatives except wild varieties
23. Laterite
24. Lamb fur skin
25. Low grade bauxite with alumina content Al_2O_3 below 54% of West coast origin
26. (i) Meat of buffalo (both male and female) including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys, offals and other organs
    (ii) Meat of Indian sheep including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs
    (iii) Meat of Indian goat including heart, liver, lungs, brain, tongue, kidneys and other organs.

(1)	(2)

27. Metallurgical residues i.e. drosses, skimming slags, ashes, slims and flue dust (other than those of gold and silver) containing less than 15 per cent of free metal content

28. Mulberry X Dupion fabrics (100 per centar natural silk)

29. Meghalaya coal

30. Onions as a part of assorted vegetables

31. Processed pulses made only out of the pulses imported under the Duty exemption scheme or by an approved Export Oriented Unit/unit in the EPZ

32. (i) Processed mica including mica blocks, mica films and splittings, of all grades and varieties but excluding mica waste/factory cuttings and mica scrap
    (ii) Processed mica items, silvered mica, capacitor plates, fabricated mica, mica flakes/powder

33. (i) Phosphorous oxychloride
    (ii) Phosphorous trichloride
    (iii) Thinyl chloride
    (iv) Acetic anhydride

34. Plants, plant portions and derivatives, obtained from the wild

35. Raw cotton :
    (i) Bengal deshi
    (ii) Assam comillas
    (iii) Staple cotton
    (iv) Cotton decoloured by damage due to fire /water
    (v) Zodo and sweepings
    (vi) Yellow pickings
    (vii) Others

36. Sesame seeds

37. Silk goods excluding silk carpets

38. Soft cotton waste/hard cotton waste

39. Solvent extracted cotton seed cakes (Decorticated/undecorticated)

40. Soyabean extraction

41. Sugar

42. Shellac and all forms of lac except those specified in Part II of this chapter

43. Export of certain textile products of cotton, wool and manmade fibres and blends which are subject to MOUs/Agreements between India or Austria or Canada or EEC or Finland or Norway or Sweden or USA

44. Processed timber of all species excluding sandalwood and red sanders wood

45. Samples :—Samples of goods included in Part II, III, IV and V of the Negative List of Exports

46. Exhibits:—Exhibits of goods included in Parts II, III, IV and V of the Negative List of Exports

APPENDIX I

IMPORT REPLENISHMENT FOR GEM AND JEWELLERY

General Note

(1) Necklaces strung or threaded, with cut and polished precious/semipricious Stones/Polished and Processed Pearls will also fall under respectiv entries below and replenishment allowed accordingly, provided the value of metal fittings, namely, cliplps, Clasps, Pins, Hooks etc. is negligible and such value is excluded.

(2) Exports of Gem and Jewellery items to Rupee Payment Area will qualify for the grant of Replenishment Licences valid for Imports only from the Rupee[Payment Area.

S.No.	Export Product	Import Replenishment Percentage of FOB	Materials permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Polished, Processed Pearls (Real or Cultured).	65.00	01 Real or Cultured Pearls Unset/ Undrilled.	
2.1	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation upto US$ 260 FOB).	65.00	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Indusirial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%.)	
2.2	Cut & Polished Diamond (with per carat realisation of more than US$ 260 and upto US $ 350 FOB).	70.00	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Industrial Adhesives/Gums Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%).	
2.3	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US$ 350 and US $ 400 FOB).	75.00	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Industrial Adhesives/Gems Solutions used in Gems & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%).	
2.4	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US $ 400 FOB).	82.50	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Industrial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%).	
2.5	Cut & Polished Diamonds (with per carat realisation of more than US $ 600 FOB provided these are minimum 0.2 carat per stone).	90.00	01 Diamonds Unset and Uncut. 02 Special Industrial Adhesives/Gums/ Solutions used in Gem & Jewellery Industry and Synthetic Diamond Powder (1.00%).	(1) The import replenishment at the rate of 90% will be admissible on exports of cut and polished diamonds, provided the Custom attested invoice contains the exporter's declaration that the size of each diamond exported was 0.2 carat and above.
3.1	Cut and Polished Emeralds/ Rubies/Sapphires (with per carat realisation of US $ 350 and upto US $ 600 FOB).	80.00	01 Emeralds uncut & unset. 02 Rubies uncut & unset 03 Sapphires uncut & unset 04 Precious stone unset including in Tumbled/broken/sliced/damaged form.	
3.2	(i) Cut & Polished precious stones and semi-precious stones including cut and polished semi-precious stones from tumbled/ broken/sliced/damaged rough semi-precious stones, not covered by S.No. 3.1 of less than US $ 350 per carat FOB.	60.00	01 Precious or semi-precious stones unset & uncut. 02 Rough semi-precious stones in tumbled/broken/sliced/damaged form.	
	(ii) Cut & Polished Coral	65.00	01 Coral unprepared, or coral sticks not cut to any shape or size.	
	(iii) Cut & Polished precious stones (when per carat FOB is US $ 600 and above).	90.00	01 Emeralds uncut & unset 02 Rubies uncut & unset 03 Sapphires uncut & unset 04 Precious stones unset including in tumbled/broken/sliced/damaged form.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.3	Cut & Polished Onyx.	50.00	01 Sliced Onyx.	
4.	Jewellery containing platinum or palladium and studded/ strung with diamonds, Precious or semi-precious stones, real or cultured pearls, synthetic/ imitation stones provided the value of synthetic/imitation stones does not exceed 10% of the FOB value of Jewellery excluding the value of metal.	65.00	01 Diamonds uncut & unset 02 Precious or Semi-precious stones unseet and uncut. 03 Real or Cultured Pearls unset/ undrilled 04 Rough Semi-Precious Stones in tumbled/broken/sliced/damaged form 05 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	(1) Studded/Strung Jewellery containing Synthetic or Imitation stones exceeding 10% of the value of jewellery excluding the value of metal, in addition to the Diamonds, precious or semi-precious stones and/or Pearls are excluded from the scope of this Export Product. (2) Precious Metal Jewellery as described under Col.2 will be covered under S.No.4 provided the value of precious metal i.e. Platinum or Palladium is not less than 70% of total value of metal used therein or studded Jewellery containing in whole or in part, metal other than Platiunum or Palladium and studded/strung with diamonds, pearls, p ecious/ semi-precious stones will also be grouped under S.No. 4 for the puprose of import replenishment, provided the value of the studdings/stringings amount to 90% or above of the total FOB value. (3) For the purpos s of determining the FOB value of the studdings in jewellery, namely, the value of cut and polished diamonds and/ or precious and semi-precious stones and/or finished pearls as per the declaration of the exporter duly scrutinised and appraised by cusoms will be taken into account. (4) Replenishment of diamonds uncut and unset precious/semi-precious stones, uncut & unset real or cultured pearls, unset/ undrilled shall be allowed in proportion to the FOB value content of diamonds, uncut and unset precious or semi-precious stones unset and uncut and real or cultured pearls unset/ undrilled respectively used, as contained in the exported product, as declared by the exporter and duly attested by the customs in the invoice. No interchangeability of the aforesaid studding materials inter-se shall be allowed.
5.	Cut or polished senthetic stones	50.00	01 Rough synthetic stones 02 Cubic zirconia	(1) Production of customs attested invoices is not required for claiming Replenishment.
6.1	Imitation Jewellery/costumes jewellery studded or strung with synthetic/imitation stones plastic beads, wooden beads, glass beads, false pearls, glass chatons etc.	30.00	01 Glass beads, false pearls & glass chatons/glass chatons in stock lots. 02 Rough synthetic stones 03 Metal fittings, findings, components & accessories required for imitation jewelleIy. 04 Cubic zirconia. 05 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	(1) Only jewellery made of metals other than precious metals referred to in S. No. 4 will be covered by this entry. In other words, only jewellery made of base metal like aluminium, copper, brass etc. and studded/ strung with synthetic/imitation stontes/plastic beads, wooden beads, etc. would fall under this S. No. Base metal imitation jewellery studded/strung with semi-precious stones will also fall under this S.No. (2) Production of customs attested invoices is not required while claiming replenishment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(3) Cuff links (including brass cuff links, studded with synthetic/ imitation stones, decoated cuff links and gold plated cuff links will also fall under this S.No.
6.2	Imitation jewellery/costume jewellery plain (other than (those specified under S No. 6.1).	10.00	01 Meta fittings, findings, components & accessories required for imitation jewellery. 02 Empty jewellery Boxes (1.00%)	(1) Jhumka, Rings, Finger rings belts, necklaces, Ghungroos etc. made of base metals such as Aluminium and Gillet will also fall under this S.No. Brass cuff links other than those covered by S.No. 6.1 wil also fall under the S.No. (2) Production of customs attested invoices is not required while claiming replenishment.
6.3	Silver Filigree and Silver Filigree Jeweller	10.00	01 Metal Fittings 02 Empty Jewellery Boxes (1.00%)	
6.4	Jewellery made of platinum or palladium and studded with synthetic/imitation glass, stones, chatons, beads false pearls, etc. with or without diamonds, precious stones, semi-precious stones, real cultured pearls.	30.00	01 Glass Beads, False pearls & glass chatons/glass chatons in stock lots. 02 Rough synthetic stones 03 Cubic Zirconia 04 Fmpty Jewellery Boxes (1.00)%)	(1) The price of platinum and palladium will be excluded from the FOB value while calculating replenishment. (2) This S. No. will also cover articles studded with synthetic imitation glass stones, chaton beads,false pearls with or without diamonds, precious stones, semi-precious stones, real/cultured pearls.

APPENDIX—II

MINIMUM VALUE ADDITION REQUIREMENT FOR CERTAIN ITEMS

I.	ELECTRONICS	
	(a) Computer software	60%
	(b) Blank video cassette	25%
	(c) Consumer electronics	20%
II.	TEXTILES	
	(a) Ready made garments	40%
	(b) Made-ups	25%
	(c) Cotton yarn and cotton polyester yarn (ring spindles supn)	30%
	(d) Cotton yarn and cotton polyester yarn (open-end spinning)	35%
	(e) Piece good	30%
	(f) Denim fabrics	30%
	(g) Terry towels	30%
	(h) Silk fabrics	20%
III.	LEATHER PRODUCTS	
	(a) Leather footwear	25%
	(b) Leather shoe uppers	25%
	(c) Leather garments/good	30%
	(d) Sports shoes/sports footwear	25%
IV.	GEM & JEWELLERY	
	(a) Plain gold jewellery	10%
	(b) Studded gold jewelle y	15%
	(c) Silver jewellery	25%
V.	OTHERS	
	(a) Latex gloves	40%
	(b) Granite	45%
	(c) Fish and shrimp culture feed production unit	30%
	(d) Test and measuring instruments Industrial/control valves, photocopiers and medical and scientific instrements	20%
	(e) Clocks/Time pieces/wrist watches	30%
	(f Cigarettes	35%
	(g) Cigarette lighters	40%
	(h) Bristles, including brushes	30%
	(i) Tissue culture plants	60%
	(j) Telecommunication equipment	30%
	(k) Smaller vessels i.e. trawlers, tugs, dredgers, etc.	30%
	(l) Large ocean-going vessels	40%

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992